एस. जे. वज़ीफदार, सी. जे. और ए. बी. चौधरी, जे.

राम कुमार कल्याण-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण 2014 का सीआरए-डी No.922-DB और 2015 का सीआरए-एडी No.12

07 मार्च, 2017

(ए) भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 34, 302 और 307 **हत्या-बरी-बरी होने के खिलाफ अपील-क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा-आयोजित, डॉक्टर ने कभी जांच नहीं की-उसकी रिपोर्ट साबित नहीं हुई-ट्रायल जज डॉक्टर के साक्ष्य या उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सके-सभी चोटें पूर्व-पोस्टमार्टम थीं और सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं-यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं कि मृतक की मृत्यु से पहले या बाद में गोली चलाई गई थी-यह तथ्य कि दोनों गोलियों से मृतक की मृत्यु हो सकती थी, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता-गवाह ने स्वीकार किया कि दोनों घाव संपर्क के घाव थे और इसलिए आत्मघाती नहीं थे-यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं कि गवाह झूठे सबूत दे रहे थे-यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं कि उन्होंने सबूत दिए,** गवाहो की गवाही मुल्जिम को सजा कराने के लिये नाकाफी थी , इसकी सम्भावना है कि अपराधी के कपडो पर लगा खुन मृतका का नही है, अपीलकर्ता की सजा निरन्तर नही रखी जा सकती , अपील स्वीकार की जाती है।

मान लिया कि, यह वाक्य पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य में है "सभी

चोटें प्रकृति में पूर्व-परीक्षण थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

सामान्य जीवन में "।यह सच है कि (मृत्यु पूर्व) अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है।हालाँकि, समग्र रूप से पढ़े गए उनके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू8 इस बारे में गवाही नहीं दे रहा था कि दूसरी गोली श्रमवीर की मृत्यु से पहले चलाई गई थी या बाद में।उनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुद को संबोधित भी नहीं किया था।साक्ष्य का एकमात्र उद्देश्य यह था कि दोनों चोटें जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।सबूतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि श्रमवीर की मृत्यु से पहले या बाद में गोली चलाई गई थी या नहीं, इस सवाल पर दूर से भी विचार किया गया था।

(पैरा 46)

ने आगे कहा कि, पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहां तक कि अभियोजन पक्ष का मामला और रेणुका का सबूत यह है कि यह श्रामवीर है जिसने पहली गोली चलाई थी।

हो सकता है कि पहली गोली गर्दन पर लगी हो न कि छाती पर।इन गवाहों के अनुसार, गर्दन पर चोट लगने से श्रमवीर की मौत हुई होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद।उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था।इसलिए, यह असंभव नहीं है कि श्रमवीर अपनी छाती पर दूसरी गोली चलाने की स्थिति में था, हालांकि उसकी गर्दन पर गोली चलने के कारण उसे चोट लगी थी।इस प्रकार, यह तथ्य कि दोनों गोलियों से उनकी मृत्यु हुई होगी, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू23, जिसके साक्ष्य का हमें फिर से ध्यान दें करने का अवसर मिलेगा, ने कहाः"श्रमवीर की ठोड़ी के नीचे चोट लगने की संभावना पहले शॉट का परिणाम हो सकती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है।पीडब्लू8 के साक्ष्य के साथ पढ़ें कि ठोड़ी के नीचे/गर्दन पर लगी चोट ने श्रमवीर को कुछ मिनट तक जीवित रहने में सक्षम बनाया होगा, यह इंगित करता है कि श्रमवीर गर्दन पर पहली चोट के बाद अपनी छाती पर दूसरी गोली चलाने की स्थिति में हो सकता था।

(पैरा 47)

आगे कहा कि, यह साक्ष्य राम कुमार कल्याण द्वारा दूसरी गोली चलाने के अभियोजन पक्ष के मामले को वस्तुतः नष्ट कर देता है।गवाह स्वीकार करता है कि दोनों चोटें संपर्क की चोटें थीं।पार-परीक्षक सही ढंग से केवल दोनों लेखकों की टिप्पणियों को गवाह के सामने रखने पर नहीं रुका।अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा पर, गवाह ने कहा कि यह सही था कि उपरोक्त विशेषताएँ चोट Nos.1 और 3 क्वा श्रमवीर के बारे में सही हैं।वास्तव में, इसलिए, गवाह ने स्वीकार किया कि दोनों घाव संपर्क के घाव थे और इसलिए, आत्मघाती थे और हत्या नहीं।

(पैरा 49)

आगे कहा कि प्रस्तुत करना पूरी तरह से अस्थिर है।इस तरह की प्रस्तुति बार में नहीं की जा सकती है। अभियोजन पक्ष ने इस तर्क को कभी भी विद्वान न्यायाधीश के सामने नहीं उठाया।न ही इन गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए कोई आवेदन था।इसके अलावा, किसी भी पहलू को स्पष्ट करने के लिए पुनः परीक्षा के लिए कोई आवेदन भी नहीं था।इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि गवाह इस संबंध में गलत सबूत दे रहे थे।एक वह व्यक्ति था जिसने पोस्टमार्टम (पीडब्लू8) किया और दूसरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्लू23) था।हम उनके साक्ष्य को एक द्वारा अधिक बार देख चुके हैं।एक बात निश्चित है।यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य दिया था।(पैरा 51)

इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश पीडब्लू8 के साक्ष्य के एक हिस्से का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पीडब्लू8 द्वारा सुझाए गए अनुसार मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसलिए यह दर्शाता है कि यदि श्रमवीर ने खुद गर्दन पर पहली चोट पहुंचाई थी तो वह छाती में दूसरी चोट नहीं लगा सकता था।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने पीडब्लू8 पर अविश्वास किया है।विद्वान न्यायाधीश ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ex.P-15) का उल्लेख किया जिसमें दिखाया गया था कि अतिरिक्त ड्यूरल हेमेटोमा दोनों फ्रंटल लोब में मौजूद था और बायीं मैक्सिलरी एंट्रम खून से भरा था।इसके बाद उन्होंने देखा कि चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार फ्रंटल लोब मस्तिष्क का हिस्सा है, जिसका कार्य निर्णय, तर्क, ध्यान और अल्पकालिक स्मृति, मोटर कार्य, मोटर भाषण और व्यक्तित्व है।इससे वह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा सुझाए गए अनुसार मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था।

(पैरा 56)

आगे कहा कि इस गवाह के साक्ष्य पर रेणुका-अभियोजन की ओर से और साथ ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा काफी निर्भरता रखी गई थी।हमारे विचार में यह सबूत राम कुमार कल्याण को दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।यह उसके अपराध को स्थापित नहीं करता है।

(पैरा 71)

आगे कहा कि राम कुमार कल्याण को अपनी बेगुनाही साबित करने की आवश्यकता नहीं है।वह निर्दोष माने जाने का हकदार था।अभियोजन पक्ष को अपना दोष साबित करना था।डीएनए नमूना संभवतः उसे दोषी साबित नहीं कर सकता है।विद्वान न्यायाधीश ने यह भी माना कि यह राम कुमार कल्याण के पायजामे पर श्रमवीर का खून था।बिना इसके कोई सबूत के, इस आधार पर खुद को आधार बनाते हुए उन्होंने राम कुमार कल्याण को दोषी ठहराया या यह नहीं बताया कि श्रमवीर का खून उनके कपड़ों पर कैसे आया था।यह धारणा कि राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर खून श्रामवीर का था, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, गलत है।इसे स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

(पैरा 77)

ने आगे कहा कि, परिणाम में, रेणुका और उसके पिता रणबीर सिंह के अलावा अन्य गवाहों का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।वास्तव में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ है।भौतिक मामलों में यह रक्षा को स्थापित करता है।वास्तव में यह बचाव को इस हद तक स्थापित करता है कि Mr.Bajaj ने खुद को अपने

स्वयं के गवाहों का खंडन करते हुए पाया और अदालत को भौतिक मामलों में उन पर अविश्वास करने के लिए आमंत्रित किया।

राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

701 4

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

इन गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष को किसी भी तरह से राम कुमार कल्याण के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।इन गवाहों के साक्ष्य के आधार पर हम वास्तव में यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि अभियोजन पक्ष ने राम कुमार कल्याण के खिलाफ मामला स्थापित नहीं किया है, भले ही हमें उनके नागरिक कानून परीक्षण को लागू करना था।

संभावनाओं का संतुलन।इस साक्ष्य के आधार पर हमारा मानना है कि राम कुमार कल्याण ने गोली नहीं चलाई थी।

(पैरा 99)

ने आगे कहा कि, हालांकि, उपरोक्त निर्णयों और जिन तथ्यों और परिस्थितियों का हमने उल्लेख किया है, उन पर विचार करते हुए हम श्री नरूला के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना नहीं करेंगे कि रेणुका और रणबीर सिंह ने जानबूझकर और जानबूझकर गलत सबूत दिए।हमारे विचार में, शिकायत दर्ज करने में देरी और घटना के बाद हुई घटनाओं को एक अलग तरीके से देखा जा सकता है जो इस संभावना को इंगित करता है कि घटना के बारे में रेणुका का स्मरण विभिन्न कारकों के कारण धुंधला या गलत था।सबसे पहले, यह याद रखना चाहिए कि उस समय रेणुका एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी जिसे उसने इस घटना के कारण दुखद रूप से खो दिया था।करनाल के सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू2 Dr.Balwan सिंह के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि जब वह अस्पताल पहुंची तो वह अर्ध-अचेतन थी, हालांकि उन्होंने कहा कि रेणुका कुछ मिनटों के लिए बाद की घटनाओं को देख सकती थी।प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि छाती पर चोट लगने पर और गर्भावस्था के मानसिक तनाव और बहुवचन गुहा में 600 एमएल तरल पदार्थ के संग्रह के कारण रेणुका के तुरंत बेहोश होने की संभावना है।उन्होंने स्वीकार किया कि इन परिस्थितियों में रेणुका के बेहोश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।इस तरह की गंभीर घटना के आघात का उस पर अपना प्रभाव पड़ा होगा।उसने कुछ ही मिनटों में अपने भाई और अपने पति को खो दिया और खुद को गंभीर चोटें आईं।किसी भी माता-पिता के रूप में वह स्पष्ट रूप से अपनी बेटी अनन्या के भविष्य और उसके भविष्य के बारे में भी चिंतित रही होगी।एफ. आई. आर.-182 विचाराधीनता रहने और उसके परिवार पर संदेह होने की संभावना का अपना प्रभाव पड़ा होगा।हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि इन कई गंभीर तथ्यों का घटना के दौरान जो हुआ उसके बारे में रेणुका के स्मरण पर अपना प्रभाव पड़ा हो।इसलिए, यह

संभव है कि रेणुका ने झूठे बयान नहीं दिए, बल्कि इन सभी परिस्थितियों का शिकार हुईं, जिनका उनकी स्मृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।यह भी संभव है कि इस तरह से उन्होंने इसे अपने पिता रणबीर सिंह को बताया होगा।

रेणुका और रणबीर सिंह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया गया, हम एक ओर उनके साक्ष्य और दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के बाकी साक्ष्यों के बीच विसंगतियों को इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण बताते हैं जिनका सामना रेणुका ने किया था और जिनका सामना करना जारी रखना चाहिए।

(पैरा 130)

2015 के सी. आर. ए-ए. डी. No.12 में

(बी) भारतीय दंड संहिता 1860 धारा **302 हत्या के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील-क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे आरोप साबित करने में विफल रहा-आयोजित, रिपोर्ट दीवार पर एक गोली का निशान दिखाती है-गवाह के संस्करण पर विश्वास करना मुश्किल है कि आरोपी ने उस पर गोली चलाई-मामला स्थापित नहीं हुआ-अपील खारिज कर दी गई।**

यह मानते हुए कि यह हमें 2015 के दाण्डिक अपीलीय-ए. डी.-12 में सामान्य आदेश और फैसले के खिलाफ लाता है, जहां तक कि यह भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत अपराध के लिए राम कुमार कल्याण और भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 और 307 के तहत आरोप से ओम लता कल्याण को बरी करता है। दोषसिद्धि के विरुद्ध 2014 की दाण्डिक अपीली No 922-DB में हमने अब तक जो कहा है, वह यह भी स्थापित करता है कि रेणुका की हत्या के प्रयास के लिए राम कुमार कल्याण के खिलाफ कोई मामला नहीं है।हमने विक्षेपित गोलियों के कारण रेणुका को हुई दोनों चोटों के बारे में भी चर्चा की है।हमने फैसले के पैराग्राफ-60 का हवाला दिया जिसमें विद्वान न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे कि पीडब्लू 23 Dr.R.K.Kaushal, जो एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ हैं, के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस बात की संभावना थी कि रेणुका के जबड़े पर गोली दीवार जैसी कठोर सतह से विक्षेपित होने के बाद थी।रिपोर्ट Ex.P42 से पता चलता है कि दीवार पर गोली लगने का निशान था।राम कुमार कल्याण द्वारा उस पर गोली चलाने के बारे में रेणुका के बयान को प्रतिग्रहण करना करना तब मुश्किल है।

(पैरा 148)

ने आगे कहा कि इस बात पर विचार करना भी आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय में अपील में या अन्यथा, किसी आपराधिक मामले में गंभीर और अचानक उकसावे के वैकल्पिक बचाव का अनुरोध करने के लिए खुला है।यह गंभीर और अचानक उकसावा संभवतः राम कुमार कल्याण

द्वारा अपने बेटे को श्रामवीर द्वारा मारे जाने के कारण हुआ था और इसलिए उसने पिस्तौल उठाकर श्रामवीर को गोली मार दी थी।इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने माना है कि राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला स्थापित नहीं किया गया है।

राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

703 6

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

(पैरा 154)

सरतेज S.Narula, अधिवक्ता,

2014 के सी. आर. ए.-डी-922-डी. बी. में अपीलकर्ता के लिए।मनोज बजाज, अधिवक्ता

और रणबीर सिंह, अधिवक्ता,

सी. आर. ए.-ए. डी.-12-2015 में अपीलार्थियों के लिए

और 2014 के सी. आर. ए.-डी-922-डी. बी. में प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।J.S.Bedi, वरिष्ठ अधिवक्ता

दिव्या सोधी, अधिवक्ता के साथ,

2015 के सी. आर. ए.-ए. डी.-12 उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 2 के लिए।

कपिल अग्रवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा राज्य के लिए।

एस. जे. वज़ीफदार, मुख्य न्यायधीशः

(1) 2014 की आपराधिक अपील-डी-922-डी. बी. 2013 के सत्र मामला संख्या 838 में विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल के आदेश के खिलाफ एक अपील है जिसमें अपीलकर्ता राम कुमार कल्याण को एक श्रमवीर की हत्या का दोषी ठहराया गया है और उसे भारतीय दंड संहिता 1860 की खंड 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 20,000/- का जुर्माना लगाया गया है और इसके उल्लंघन में छह महीने के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

2015 की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 नबित कल्याण की विधवा शिकायतकर्ता रेणुका कल्याण और उक्त श्रामवीर बहन द्वारा, 2014 के सी. आर. ए.-डी.-922-डी. बी. में अपीलकर्ता को भा.दं.सं. सी. की खंड 307 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में बरी करने और भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 307,302 के तहत अपराध की उसकी सास ओम लता कल्याण को बरी करने के विद्वान सत्र न्यायाधीश के उसी आदेश के खिलाफ एक अपील है।

(2) दोनों अपीलों को एक सामान्य आदेश और निर्णय द्वारा निपटाना सुविधाजनक होगा क्योंकि वे एक ही घटना और एक ही शिकायत से संबंधित हैं।

(3) राम कुमार कल्याण 2014 की आपराधिक अपील-डी-922-डी. बी. में अपीलकर्ता हैं और की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 में पहले प्रतिवादी हैं।

2015. रेणुका कल्याण 2014 की आपराधिक अपील-डी-922-डी. बी. में दूसरी प्रतिवादी हैं और 2015 की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 में अपीलकर्ता हैं। ओम लता कल्याण 2015 की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 में दूसरे प्रतिवादी हैं। हम सुविधा के लिए इन पक्षों को नाम से संदर्भित करेंगे।

(4) शिकायतकर्ता की ओर से Mr.Bajaj के इस तर्क से निपटना शुरू में ही सुविधाजनक होगा कि निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के कारण आरोपी की बेगुनाही का अनुमान अब मौजूद नहीं है।उन्होंने तर्क दिया कि एक आरोपी जिसे दोषी ठहराया गया है, उसे अपील में उचित संदेह से परे अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए।(5) प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से निराधार है।दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील आयकर अधिनियम की खंड 260ए के तहत उच्च न्यायालय में अपील या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दूसरी अपील के समान नहीं है।पदम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 में उच्चतम न्यायालय के फैसले से इस मुद्दे का समापन होता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया हैः-

“2..... जब मामला तीसरे विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखा गया था। न्यायमूर्ति मालवीय ने अपील की अदालत के रूप में साक्ष्य की सराहना करने के बजाय, केवल दो विद्वान न्यायाधीशों के निष्कर्ष को बताया, जिन्होंने मूल रूप से अपील को सुना और एक-दूसरे से भिन्न थे और फिर वे माननीय न्यायमूर्ति श्री कुंदन सिंह के निष्कर्ष से सहमत हुए, केवल पीडब्लू 4, विमलेश के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, जिन पर पदम सिंह ने भी हमला किया था और जिन पर दो चोटें लगी थीं जो एक कुंद हथियार के कारण हो सकती थीं।न्यायाधीश मालवीय ने इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने चार चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता पर चर्चा नहीं की, यहां तक कि माननीय न्यायाधीश माथुर द्वारा पीडब्लू 1 से 4 के शत्रुतापूर्ण साक्ष्य पर भरोसा नहीं करने के तर्क पर भी चर्चा नहीं की है।न्यायाधीश मालवीय के फैसले को नंगे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि वह एक अपील न्यायालय के रूप में अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने, साक्ष्य की सराहना करने और किसी न किसी तरह से इसके निष्कर्ष पर पहुंचने में विफल रहे हैं।अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले में प्रस्तुत साक्ष्य को देखे और एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या उक्त साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं और भले ही

उस पर भरोसा किया जा सकता है, फिर क्या अभियोजन पक्ष [1 2000 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 138 राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]

705 8

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

यह कहा जा सकता है कि उक्त साक्ष्य पर उचित संदेह से परे साबित किया गया है।साबित और स्वीकृत तथ्यों से निष्कर्ष निकालने में एक गवाह की विश्वसनीयता का निर्णय अपील न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।यह याद रखना चाहिए कि निचली निचली अदालत की तरह अपील न्यायालय को भी सकारात्मक रूप से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष का मामला काफी हद तक सच है और आरोपी का अपराध सभी उचित संदेह से परे साबित हो गया है क्योंकि निर्दोषता का अनुमान जिसके साथ आरोपी शुरू होता है, तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे अपील की अंतिम निचली अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता है और यह धारणा न तो बरी होने से मजबूत होती है और न ही निचली निचली अदालत में दोषमुक्ति से कमजोर होती है।उस मामले से निपटने में न्यायिक दृष्टिकोण जहां एक आरोपी पर खंड 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया है, उसे सतर्क, चौकस और सावधान रहना होगा और इसलिए उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि को बरकरार रखने से पहले मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और सभी प्रासंगिक और भौतिक परिस्थितियों की जांच करनी होगी।"(जोर दिया गया)।

(6) राम कुमार कल्याण ओम लता कल्याण के पति हैं।उनके बेटे नबित कल्याण की शादी रेणुका कल्याण से हुई थी।रेणुका कल्याण रणबीर सिंह की बेटी हैं।उनके भाई श्रमवीर सिंह थे।नबित कल्याण और श्रमवीर सिंह की उसी घटना में मृत्यु हो गई जो इन अपीलों का विषय है।दूसरे शब्दों में, इस घटना में राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण ने अपने बेटे नबित कल्याण को खो दिया और रणबीर सिंह और उनकी पत्नी ने अपने बेटे श्रमवीर सिंह को खो दिया।रेणुका कल्याण और नबित कल्याण की एक बेटी थी, अन्न्या, जो घटना के समय केवल एक साल की थी।

(7) यह घटना 22.04.2008 की रात को हुई थी।जैसा कि घटना के अलग-अलग संस्करण हैं, हम पहले रेणुका कल्याण की शिकायत तिथि 09.05.2009 संस्करण का उल्लेख करेंगे जैसा कि भा.दं.सं. 302, 307 सी. की खंड 34 के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के तहत और भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की खंड 25,54 और 59 के तहत उनकी शिकायत में कहा गया है।इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि यह शिकायत 22.04.2009 पर हुई घटना के एक साल से अधिक समय बाद दर्ज की गई थी।

(8) रेणुका कल्याण ने अपनी शिकायत में कहाः-

शादी के समय दहेज उसके पति नबित के परिवार को मांग के अनुसार दिया गया था।स्थापना के बाद से, उनके ससुर यानी.

आरोपी ओम लता कल्याण और राम कुमार कल्याण ने दहेज की मांग करते हुए उसे परेशान किया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया।इस संबंध में एक अलग शिकायत दर्ज करने का अधिकार सुरक्षित था।उनके पति नबित थोड़े गुस्से में थे और उनके प्रति उनका व्यवहार असामान्य था।उसकी सास और उसके पति ने उसे दिनांक 23.03.2008 को रात 8:30 बजे उसके माता-पिता के घर के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया, जहां वह एक महीने से अधिक समय तक रहने के लिए मजबूर थी।नाबीत कल्याण रात 8:30 बजे दिनांक 22.04.2008 उसके माता-पिता के घर आया और उनकी नाबालिग बेटी अन्न्या को जबरन ले गया।वह अपने भाई श्रमवीर के साथ अपने वैवाहिक घर चली गई क्योंकि वह अपने बच्चे से अलगाव को सहन नहीं कर सकती थी।ओम लता कल्याण ने उन्हें ताना मारा और अपमानित किया और उन्हें फर्श पर सात बार अपनी नाक रगड़ने के लिए कहा।ओम लता कल्याण क्रोधित हो गईं और उन्होंने दावा किया कि वह उन्हें घर में नहीं रहने देंगी और वह खुद आधिकारिक हलकों में एक अच्छे पद पर हैं जबकि शिकायतकर्ता के पिता एक छोटे से वकील थे।ओम लता कल्याण ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के साथ मजबूत संबंध होने का दावा किया, एक R.S.Dalal।इस बीच, नबित कल्याण भी रेणुका कल्याण को ताना मारने और प्रताड़ित करने के लिए वहाँ आया था।पी. एम. श्रामवीर सिंह 11:48 सांय नबित के अनुरोध पर फिर से आरोपी के घर आए।उस समय तक राम कुमार कल्याण भी करनाल क्लब से घर लौट चुके थे।श्रमवीर ने दरवाजा खटखटाया जो नबित ने खोला और सीधे राम कुमार कल्याण के कमरे में चला गया जहाँ ओम लता कल्याण भी मौजूद थीं।श्रमवीर ने अपने ससुराल वालों से उसे ठीक से रखने का अनुरोध किया।इस बीच नबित ने उसे पीटना शुरू कर दिया और श्रमवीर को उसे अपने चंगुल से बचाने की चुनौती दी।नबित ने उसकी गर्दन पकड़ ली, उसे घर की लॉबी में खींच लिया और उसकी गर्दन को जोर से दबाया, जिस पर वह रो पड़ी और खुद को बचाने की कोशिश की।यह सुनकर श्रमवीर सिंह लॉबी में आया और उसे नबित के चंगुल से बचाने की कोशिश की।नबित क्रोधित हो गया और उसने श्रामवीर को गाली दी और घोषणा की कि वह उसे मार देगा और श्रामवीर जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र है।इस बीच, राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण भी कमरे में घुस गए और नबित का समर्थन किया जिसने उसकी जान लेने की धमकी दी थी।इसके बाद जो हुआ उसका सबसे अच्छा वर्णन रेणुका कल्याण की शिकायत के शब्दों में किया गया है जो इस प्रकार हैः-

“आरोपी नबित कल्याण के हाथों शिकायतकर्ता की जान को खतरा महसूस करते हुए, श्रामवीर ने अपनी पैंट की जेब से पिस्तौल निकाली और शिकायतकर्ता को बचाने के लिए नबित कल्याण पर गोली चला दी, लेकिन जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे आई तो उक्त गोली शिकायतकर्ता के सीने में लग गई।अभियुक्त नबित कल्याण ने शिकायतकर्ता को रिहा नहीं किया।

श्रामवीर ने फिर से नबित पर दो गोलियां चलाईं, जो पिस्तौल की गोलियां मिलने पर नीचे गिर गया।इसके बाद श्रामवीर ने अपने सीने में गोली चला ली।वह नीचे गिर गया और उसकी पिस्तौल भी नीचे गिर गई।उसी को आरोपी राम कुमार कल्याण ने उठाया था।इसके बाद दोनों आरोपी राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण ने चिल्लाकर कहा कि वे शिकायतकर्ता और उसके भाई को जीवित नहीं रहने देंगे।ओम लता कल्याण ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति के सामने घोषणा की कि "ये दोनो बहन भाई दुश्मन तो पीछे चले जाओ इंको मारो" और आरोपी राम कुमार ने यह भी घोषणा की कि "सेल हरमज़ादी टू जिंडा कैस रेह सक्ता है"।ओम लता कल्याण के उकसावे पर आरोपी राम कुमार कल्याण ने शर्मवीर पर गोली चलाई और बहुत करीब से उनकी ठोड़ी के नीचे उनकी गर्दन पर वार किया।उसने शिकायतकर्ता पर भी गोली चलाई और उसके माथे के बाईं ओर मारा।आरोपी राम कुमार कल्याण के हाथ में गोली लगने से शिकायतकर्ता गिर गया।ओम लता अभियुक्त के उकसावे पर राम कुमार कल्याण द्वारा की गई आग की बांह की चोट के दौरान शर्मवीर की मृत्यु हो गई थी।शिकायतकर्ता को मारने के इरादे से आरोपी राम कुमार ने भी गोली मार दी थी, लेकिन सौभाग्य से शिकायतकर्ता समय पर चिकित्सा सहायता के कारण बच गई, लेकिन बाद में आरोपी के कृत्य के कारण उसने अपने बच्चे को गर्भ में खो दिया।"

शिकायत इस प्रकार आगे बढ़ती हैः-

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के प्रभाव के कारण, राम कुमार कल्याण द्वारा एक झूठा और हेरफेर का मामला दर्ज किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत प्राथमिकी संख्या 182 दिनांक 23.04.2008 दर्ज की गई थी। (हम बाद में विस्तृत रूप से प्राथमिकी आर. का उल्लेख करेंगे।इस स्तर पर यह ध्यान दें के लिए पर्याप्त है कि यह पूर्वाहन कुमार कल्याण द्वारा अगले ही दिन दर्ज की गई थी। 24.04.2008 सुबह लगभग 6 बजे यानी घटना के छह घंटे के भीतर)।रेणुका कल्याण को घटना स्थल से पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल, करनाल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भेजा गया, जहाँ उन्हें 07.05.2008 तक भर्ती कराया गया।उसके शरीर से गोलियां निकालने के लिए उसका दो बार ऑपरेशन किया गया था।एक गोली उसकी छाती से निकाली गई लेकिन दूसरी गोली उसके जबड़े से नहीं निकाली जा सकी।08.05.2008 से 22.05.2008 तक उनका इलाज सेवा सदन में किया गया था।इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर गई जब उसे उसके पिता रणबीर सिंह ने बताया कि तोड़ने के बाद श्रमवीर ने बिना किसी की जानकारी के उनके घर से पिस्तौल ले ली है।

घटना की तारीख को ताला खोलें।इसके बाद शिकायत में जो कहा गया है वह स्पष्ट रूप से रेणुका कल्याण की जानकारी के आधार पर नहीं है, बल्कि उसके पिता रणबीर सिंह द्वारा उसे जो सूचित किया गया था, उसके आधार पर है।उन्होंने इस प्रकार कहाःराम कुमार कल्याण के करीबी पुलिस ने रणबीर सिंह पर दबाव डाला था।इसके परिणामस्वरूप वह राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण द्वारा अपने पति नबित की संपत्ति में अपने अधिकारों को त्यागने की मांग के अनुसार शपथ पत्र देने के लिए मजबूर हो गईं।उसे धमकी दी गई कि अगर वह ऐसा करने में विफल रही तो उसे और उसके परिवार को मामले में गलत तरीके से शामिल किया जाएगा।राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण द्वारा उनकी मृत्यु के बाद नबित कल्याण की एक झूठी वसीयत जाली बनाई गई थी, जिसमें उन्हें नबित की संपत्ति पर किसी भी अधिकार से बाहर रखा गया था।वसीयत में उसके और उसके माता-पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां हैं।राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण ने उनसे जाली वसीयत दिखाए बिना हलफनामे लिए थे।वह अकेली थी और बहुत सदमे और पीड़ा में थी।अपने माता-पिता के सम्मान की रक्षा के लिए, उन्होंने आत्मसमर्पण आदेश दिया और कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और कई अधिकारियों के सामने कई बयान दिए, लेकिन उन्हें बताया गया कि वह अपनी बेटी अन्न्या को अपने साथ रख सकती हैं।राम कुमार और ओम लता कल्याण ने चंडीगढ़ में इस अदालत के एक वरिष्ठ अधिवक्ता से संपर्क किया, जिन्हें वे जानते थे।अधिवक्ता का उसके पिता पर प्रभाव था क्योंकि वे लॉ कॉलेज में सहपाठी और बार में सहकर्मी थे।अधिवक्ता ने पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता करने की पेशकश की।इस संबंध में उनके आवास पर कई बैठकें हुईं।अधिवक्ता ने कई समझौते पत्रों का मसौदा तैयार किया, जिन पर उन्होंने अपने हाथ से सुधार किए।मसौदों को कभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

पुलिस अधिकारियों और "उच्च अधिकारियों" को कई अभ्यावेदन दिए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ।उसने इस शिकायत को दर्ज करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अन्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए वकील द्वारा से अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस विभाग में आरोपी के प्रभाव के कारण कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रही।शिकायत सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित कई आदेशों को संदर्भित करती है।शिकायत के साथ भी यही जोड़ा गया था।शिकायत में कहा गया हैः“एफ. एस. एल. रिपोर्ट उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान शिकायत दर्ज नहीं की जा सकी।इस माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए शिकायत की फोटोकॉपी, डाक रसीद और फैक्स संलग्न किए गए हैं।

(9) प्रारंभिक साक्ष्य में, रेणुका कल्याण ने सोलह गवाहों से पूछताछ की।

03.05.2010 राम कुमार कल्याण और ओम लता राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य पर

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

कल्याण को निचली अदालत ने भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ खंड 302,307 के तहत तलब किया था। 27.11.2010 पर शिकायत सत्र न्यायालय को सौंपी गई थी। 01-06-2011 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल की अदालत द्वारा उक्त प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया।इसके बाद अभियोजन पक्ष ने 23 गवाहों पी. डब्ल्यू. 1 से पी. डब्ल्यू. 23 की जांच की और Ex.P1 से Ex.P45 के रूप में चिह्नित 45 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया।श्रमवीर के कपड़ों की रिकवरी मेमो और एक बंदूक की रिकवरी मेमो और कई कारतुस और एक रिवॉल्वर और छह जीवित कारतुस को क्रमशः 'मार्क-ए' और 'मार्क-बी' के रूप में चिह्नित किया गया था।(10) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 313 के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए।बचाव पक्ष ने डी. डब्ल्यू. 1 से डी. डब्ल्यू. 4 तक तीन गवाहों से पूछताछ की।अभियुक्त के कहने पर, Ex.D1 से Ex.D1 0 और Ex.PX के रूप में चिह्नित दस दस्तावेज़ प्रदर्शित किए गए थे।रणबीर सिंह द्वारा रिपोर्ट को रद्द करने के लिए 16.05.2009 दिनांकित एक आवेदन और 30.03.2009 दिनांकित रेणुका कल्याण के बयान को क्रमशः 'मार्क-डी1' और 'मार्क-डी2' के रूप में चिह्नित किया गया था।

(11) अभियोजन पक्ष के गवाहों में से पीडब्लू1, पीडब्लू3 से पीडब्लू7, पीडब्लू9, पीडब्लू16 और पीडब्लू18 से पीडब्लू21 के साक्ष्य पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है।इसलिए, हम इन गवाहों को संदर्भित करने के बाद अन्य गवाहों के साथ व्यवहार करेंगे।

(12) पीडब्लू1-अनिल मेहता नबित और रेणुका की शादी में फोटोग्राफर थे।विवाह स्वीकार कर लिया जाता है।

पीडब्लू3-अनिल भंडारी दैनिक जागरण अखबार के साथ काम करने वाले फोटोग्राफर हैं।उन्होंने नबित कल्याण के अंतिम संस्कार में हरियाणा के डी. जी. पी., उक्त दलाल की तस्वीरें लीं।सबूत यह स्थापित करने के लिए था कि राम कुमार कल्याण डी. जी. पी. को अच्छी तरह से जानते थे।राम कुमार कल्याण स्वीकार करते हैं कि वे उन्हें जानते थे।

पीडब्लू4 कांस्टेबल सिया राम हैं। उन्होंने केवल यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री को संबोधित रेणुका की शिकायत आई. जी. पी. के कार्यालय में प्राप्त हुई थी और इसे रसीद रजिस्टर में दर्ज किया गया था और आई. जी. पी. द्वारा एस. पी., करनाल को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया था और एस. पी., करनाल से जवाब प्राप्त हुआ था, जिसे अपराध शाखा को भेज दिया गया था, जो मामले की जांच कर रही थी।उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मामले की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

पीडब्लू5 इंस्पेक्टर ईश्वर चंद हैं।श्रामवीर के पोस्टमॉर्टम के दौरान वे करनाल के सरकारी अस्पताल में मौजूद थे।

श्रमवीर के कपड़े उसे मामले की कुछ संपत्ति के साथ सौंप दिए गए थे।इस गवाह ने उसे एस. एच. ओ./इंस्पेक्टर हरबंस लाल को सौंप दिया और उसे एक वसूली ज्ञापन द्वारा पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।उन्होंने अगले दिन एक अन्य अवसर पर मामले की संपत्ति को भी संभाला।

पीडब्लू6 कांस्टेबल रणधीर सिंह हैं।इस गवाह ने 24.05.2008 पर मामले की संपत्ति के हिस्से को संभाला जिसे उसने निदेशक, एफएसएल के पास जमा किया। इस गवाह ने आगे के बयान के लिए वापस बुलाए जाने पर कुछ तिथियों को सही किया जिनका उसने उल्लेख किया था।

पीडब्लू 7 डॉ. दीपक वत्स हैं, जो अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने रेणुका के इलाज के बारे में मूल रिकॉर्ड तैयार किया था।उन्होंने छुट्टी सारांश जैसे अभिलेखों पर अपोलो अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों के हस्ताक्षरों की पहचान की।उन्होंने स्वीकार किया कि उनका चिकित्सा प्रक्रियाओं से कोई लेना-देना नहीं था।पी. डब्ल्यू. 9. जगजीत सिंह, जे. एम. आई. सी., करनाल की अदालत के अहलमद हैं, जिन्होंने 2011 की आपराधिक शिकायत No.18 की समन फाइल, जिसका शीर्षक रेणुका बनाम राम कुमार कल्याण था, लाई और उसे पेश किया।

पीडब्लू 16 दिनेश कुमार हैं, जो एक हेड कांस्टेबल हैं।उन्होंने मौखिक साक्ष्य के बदले में एक शपथ पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि दिनांक 10.07.2009 करनाल के पुलिस स्टेशन, एम. एम. एच. सी./ई. ए. एस. आई. ने उन्हें एफ. एस. एल. में जमा करने के लिए प्राथमिकी आर. No.182 के संबंध में श्रमवीर और नबित के संबंध में मामले की संपत्ति के दो पार्सल दिए और उसे जमा कर दिया गया और उसे स्वीकार करने वाली रसीद एम. एम. एच. सी./ई. ए. एस. आई. को सौंप दी गई। उन्होंने आगे कहा कि मामले की संपत्ति बरकरार रही और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई।उन्होंने जिरह में इस सुझाव का खंडन किया कि मामले की संपत्ति को एफएसएल में जमा करने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसका साक्ष्य केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि मामले की संपत्ति एफएसएल को सौंप दी गई थी। इस गवाह की जिरह से यह स्थापित नहीं होता है कि उसने इसके साथ छेड़छाड़ की थी।

पीडब्लू 18 कांस्टेबल राजेश कुमार हैं।इस गवाह ने जाँच-इन-चीफ के बदले में एक शपथ पत्र दिया जिसमें उसने कहा कि 15.05.2008 पर उसे मामले की संपत्ति का एक हिस्सा सौंप दिया गया था जिसे उसने एफएसएल में जमा किया था और रसीद एमएचसी को सौंप दी थी। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्हें एमएचसी/एमएमएचसी का नाम याद नहीं है।

पीडब्लू19 ओम प्रकाश हैं, जो छँटाई सहायक, आरएमएस, करनाल हैं।उन्हें तीन रसीदें दिखाई गईं जो 18.02 पर थीं।(वर्ष जिसका उल्लेख नहीं है) 6,7 और 10 पत्र यू. पी. सी. को प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है।

711 14

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

उसी के संबंध में डाकघर में और डाकघर की मुहर लगाने के बाद रसीद वापस कर दी जाती है।जिरह में उन्होंने कहा कि डाकघर यू. पी. सी. द्वारा से भेजे गए लिफाफों की सामग्री की जांच नहीं करता है। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि शिकायतकर्ता की मदद के लिए रसीदें बाद में बनाई गई थीं।इसे स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

पीडब्लू20 ईएसआई ओम कुमार हैं।इस गवाह ने जाँच-इन-चीफ के बदले में एक शपथ पत्र दिया जिसमें उसने कहा कि 16.04.2009 पर उसने मामले की संपत्ति और राम कुमार कल्याण के डीएनए युक्त एक पार्सल को परीक्षण और एफएसएल को देने के लिए सौंप दिया। दिनांक 10.07.2009 को आई. डी. 1 पर, उन्होंने एफ. एस. एल. को ले जाने के लिए श्रमवीर और नबित से संबंधित दो पार्सल वाली मामले की संपत्ति सौंप दी। उन्होंने आगे कहा कि उस समय तक मामले की संपत्ति उनके कब्जे में थी और उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी।जिरह में, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि मामले की संपत्ति उनके शपथ पत्र में बताए गए विवरण के अनुसार जमा नहीं की गई थी।उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मामले की संपत्ति में हस्तक्षेप किया गया था।इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उसने ऐसा किया था।

पीडब्लू21 इंस्पेक्टर हरिंदर कुमार, गुड़गांव हैं जिन्होंने कहा कि दिनांक 16.04.2009 को पीडब्लू20-ओम कुमार ने मामले की संपत्ति उन्हें सौंप दी और उन्होंने उसे एफएसएल में जमा कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है।

(13) जहाँ तक घटना का संबंध है, इस स्तर पर रेणुका की जाँच-प्रधान को संदर्भित करना सुविधाजनक होगा।हम उसके बाकी साक्ष्य का उल्लेख बाद में करेंगे।अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने कहा कि उनकी शादी 03.03.2006 पर नबित कल्याण से हुई थी और उन्होंने दहेज के दावों का उल्लेख किया और कहा कि उनके साथ उनके ससुराल वालों के साथ-साथ उनके पति नबित कल्याण द्वारा दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया गया था।22.04.2008 पर हुई घटना के संबंध में उनकी जाँच-इन-चीफ इस प्रकार हैः-

दिनांक 23.03.2008 को "लगभग 8:30 बजे मेरे पति नबित कल्याण और मेरे ससुर राम कुमार मुझे मेरे घर के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ गए और तब से मैं अपने माता-पिता के साथ रह रहा हूं जो मेरी इच्छा के खिलाफ मेरे पति द्वारा छोड़े गए हैं।

दिनांक 22.04.2008 को रात करीब साढ़े आठ बजे मेरे पति नबित कल्याण मेरे माता-पिता के घर आए और मेरी बेटी अन्न्या को जबरन ले गए।उसके बाद मैं अपने दिवंगत भाई सरमवीर सिंह के साथ में अपने वैवाहिक घर गया।

सेक्टर 14 करनाल मेरी बेटी को वापस ले जाएगा क्योंकि मैं अपनी बेटी के अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरे पति नबित की मृत्यु हो चुकी थी और मेरी सास घर में थीं।मैंने उनसे अपनी बेटी को वापस करने का अनुरोध किया और मेरी सास ने मुझे उसके पैर छूने के लिए कहा और अपनी बेटी के लिए भीख मांगी और तदनुसार मैंने अपनी नाक से उसके पैर छुए लेकिन उसने मेरे अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।उसके बाद मेरी सास ने फिर कहा कि मेरे पिता एक साधारण अधिवक्ता हैं, जबकि सरकार और प्रशासन में उनका दबदबा है और डी. जी. पी. के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं। इस दौरान मृतक नबित ने भी अपनी माँ का समर्थन किया और मुझे अपने भाई के साथ घर छोड़ने के लिए कहा।इस पर मेरे भाई ने बहुत महसूस किया और मुझे घर छोड़ने के लिए कहा लेकिन वह घर से अकेले निकल गए।फिर से लगभग 11:40 बजे सांय मेरे भाई सरमवीर मेरे पति के मोबाइल फोन पर कॉल करने पर मेरे ससुराल लौट आए।मेरे ससुराल में प्रवेश करने के बाद मेरा भाई सीधे घर के मास्टर बेडरूम में घुस गया जहाँ मेरे ससुर राम कुमार मौजूद थे और मेरे भाई ने मेरे ससुर से अनुरोध किया कि वे मुझे सम्मान के साथ रखें।मैंने यह बातचीत शयनकक्ष के दरवाजे के बाहर सुनी।इसके बाद मेरे पति नबित सिंह ने मुझे लॉबी की ओर घसीटा और मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया, जिस पर मैंने शोर मचाया और रोया और यह सुनकर कि मेरा भाई सरमवीर कमरे से बाहर आया और मेरे पति से मुझे छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन नबित ने दावा किया कि वह मुझे मार देगा जो कुछ भी मेरे भाई को करना चाहिए।इस दौरान मेरे सास-ससुर भी लॉबी में आए और अपने बेटे का समर्थन किया।इस दौरान जब मैं अपने पति के सामने आया तो मेरे भाई सरमवीर ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जो मेरे सीने पर लगी।इसके बाद सरमवीर ने मुझे बचाने के लिए मेरे पति पर गोली चलाई जो मेरे पति की छाती के बाईं आदेश लगी जिसके परिणामस्वरूप वह छाती के दाईं आदेश गिर गया (फिर से कहा) और दूसरी गोली मेरे भाई द्वारा

मेरे पति की गर्दन पर लगी।उसके बाद सरमवीर ने खुद पर गोली चला दी जो उसकी छाती पर लगी और जिससे सरमवीर नीचे गिर गया और उसके हाथों से पिस्तौल भी नीचे गिर गई।यह देखकर मेरे सास-ससुर दोनों ने प्रोत्साहित किया कि हम दोनों को, मुझे और मेरे भाई को जीवित नहीं रहने दिया जाना चाहिए।अभियुक्त ओम लता ने फिर से प्रोत्साहित किया कि हम दोनों को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि हम राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और एक और राज्य क्यों हैं।

दुश्मन जीवित थे।इसके बाद आरोपी राम कुमार ने यह भी कहा कि मेरा भाई क्यों जीवित है, वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा।उसके बाद आरोपी राम कुमार ने मेरे भाई की पिस्तौल उठाई और मेरे भाई की ठोड़ी पर गोली चलाई और मुझ पर भी गोली चलाई जो मेरे माथे के बाईं ओर लगी जिससे मैं नीचे गिर गया।"

उन्होंने कहा कि उन्हें शुरू में सरकारी अस्पताल, करनाल लाया गया था और फिर अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी सर्जरी की गई थी।उसने दुर्भाग्य से उक्त घटना के कारण अपने बच्चे का गर्भपात करने का उल्लेख किया।उसने अपने माता-पिता के घर लौटने का उल्लेख किया जहां उसे पता चला कि उसके भाई श्रमवीर ने उसके पिता की अलमारी का ताला तोड़ दिया था और उसकी जानकारी और सहमति के बिना एक पिस्तौल ले गया था।यहाँ निम्नलिखित बयान पर ध्यान दें महत्वपूर्ण हैः-

"मैंने अपने पिता को घटना के सभी विवरणों के बारे में भी बताया जैसा कि ऊपर बताया गया है।मैंने अपने पिता से भी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया।जिस पर मेरे पिता ने मुझे बताया कि समझौते की बात पहले से ही R.S.Cheema द्वारा से चल रही है जो दोनों पक्षों के लिए जाना जाता है और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है।लेकिन बाद में हमें पता चला कि R.S.Cheema ने मेरे ससुराल वालों को पकड़ लिया है।

दिनांक 28.05.2008 पर श्री चीमा मेरे पिता के आवास पर आए और मुझसे मुलाकात की और मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी की तरह हूं और वह मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे और वह मुझे जहां भी करने के लिए कहेंगे, मुझे हस्ताक्षर करने चाहिए और वह देखेंगे कि मेरे साथ पूरा न्यायाधीश किया जाए।मुझे यह भी पता चला कि मेरे पति की हत्या के लिए मेरे भाई और मेरे पिता के खिलाफ पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज है।मुझे यह भी पता चला कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मुझे और मेरी बेटी को मेरे मृत पति की संपत्ति से बेदखल आदेश के लिए श्री चीमा द्वारा से मेरे पति की वसीयत भी जाली और मनगढ़ंत बनाई है।26.5.2008 और 27.5.2008 पर मेरे ससुर के मामा श्री राम किशन ने मुझे विवाद को निपटाने के लिए उनके द्वारा लाए गए दो

हलफनामों पर हस्ताक्षर आदेश के लिए कहा।मैंने उन शपथ-पत्रों की विषय-वस्तु को देखे बिना उन द्वारा हस्ताक्षर किए।

18.02.2009 पर मुझे पता चला कि मेरे पति की जाली वसीयत के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पति की संपत्ति के नाम पर हस्तांतरित कर दी थी ।

ओम लता, मेरी सास।इस पर मैंने उच्च अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई और Ex.P21 मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से एक है और उसके बाद 9.5.2009 पर मैंने विद्वान क्षेत्र मजिस्ट्रेट की अदालत में Ex.P22 शिकायत दर्ज की, जब मेरी शिकायतों Ex.P21 पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।हरियाणा पुलिस के डी. जी. पी. श्री आई. डी. 1 के साथ मेरे ससुराल वालों के घनिष्ठ संबंध थे और हमारे पास इस संबंध में तस्वीरें हैं।मैं एल्बम लाया हूँ और तस्वीरों में से एक में डी. जी. पी. दलाल की बेटी सुश्री वसुंधरा वहाँ हैं क्योंकि वे मेरी शादी में शामिल हुई थीं।"

(14) उसकी मुख्य परीक्षा यहीं समाप्त होती है।हम बाद में प्रतिपरीक्षा का उल्लेख करेंगे।इस स्तर पर यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिपरीक्षा और अन्य गवाहों के साक्ष्य पर भी विचार करने के बाद, रेणुका के साक्ष्य पर काफी हद तक विश्वास नहीं किया।वास्तव में उन्होंने उनके और उनके पिता रणबीर सिंह के रवैये के लिए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए।समग्र रूप से पढ़ा गया निर्णय इंगित करता है कि विद्वान न्यायाधीश ने राम कुमार कल्याण को अनिवार्य रूप से अन्य गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया, न कि रेणुका के साक्ष्य के आधार पर।निर्णय का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में अन्य गवाहों के साक्ष्य से संबंधित है।विद्वान न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों से यह स्पष्ट हैः-

"58. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस मामले में घटना 22.4.2008 पर हुई थी और वर्तमान शिकायत, Ex.P22, शिकायतकर्ता रेणुका द्वारा 9.5.2009 पर अदालत में दायर की गई थी।इससे पहले, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को 18.2.2009 पर एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामले की जांच अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दी गई थी।बचाव पक्ष के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि घटना के 382 दिनों के बाद शिकायत दर्ज करने में यह देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है और शिकायत केवल मृतक नबित और आरोपी राम कुमार और ओम लता की संपत्ति हड़पने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर दर्ज की गई है।शिकायतकर्ता ने 26.5.2008, Ex.P17 दिनांकित एक शपथ पत्र की शपथ ली है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि शर्मवीर ने आत्महत्या कर ली है।दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने इन तथ्यों से इनकार नहीं किया है और कहा है कि शिकायत दर्ज करने और दिनांक

26.5.2008,27.5.2008 और दिनांकित 7.6.2008 के शपथ पत्र के निष्पादन में देरी राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के कारण हुई थी

715 18

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

पक्षों के बीच चल रही समझौता वार्ता और जब अंततः समझौता विफल हो गया और उसने पाया कि आरोपी ने उसे धोखा दिया है, तो उसने वर्तमान शिकायत दर्ज कराई।इस न्यायालय की सुविचारित राय में, शिकायतकर्ता और उसके पिता पीडब्लू 10, रणबीर सिंह, जो स्वयं एक वकील हैं, का कार्य और आचरण निंदनीय है।संपत्ति के लिए, उन्होंने असली अपराधी की जांच करने की साजिश रची।यदि उन्हें समझौते के अनुसार या अन्यथा संपत्ति मिली होती, तो अपराध पर किसी का ध्यान नहीं जाता।पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11 की गवाही में कई सुधार हुए हैं और उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कानूनी बिरादरी के एक वरिष्ठ सदस्य की छवि को खराब करने की भी कोशिश की, लेकिन वे उनके बीच साजिश साबित करने में विफल रहे हैं।हालाँकि पी. डब्ल्यू. 10 और पी. डब्ल्यू. 11 ने अपराध को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन उनके साक्ष्य को अकेले इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोषियों को दंडित करना न्यायालय का कर्तव्य है।अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं, कि 22.4.2008 पर आरोपी राम कुमार ने अपनी गर्दन पर गोली चलाकर शर्मवीर की हत्या की है।इसलिए, अभियुक्त द्वारा दिए गए निर्णय हालांकि मार्गदर्शन के स्रोत हैं, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं।

59. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा किए गए साक्ष्य से, यह रिकॉर्ड पर साबित होता है कि 22.4.2008 पर, शर्मवीर ने नबित और उसकी बहन पर गोलियां चलाने के बाद अपने सीने में गोली चला ली और नीचे गिर गया।इसके बाद, राम कुमार ने शर्मवीर की पिस्तौल उठाने के बाद उसकी गर्दन पर गोली चला दी।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चोटें पूर्व-पोस्टमार्टम प्रकृति की थीं और सामान्य जीवन में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

60. अब, जहां तक रेणुका के जबड़े पर आग की बांह की चोट का सवाल है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि राम कुमार ने उस पर बहुत करीब से गोली चलाई थी जो इंच के भीतर थी।हालाँकि, पीडब्लू2 डॉ. बलवान सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि रेणुका के व्यक्ति पर कोई काला रंग या टैटोटिंग नहीं था।पी. डब्ल्यू. 23 डॉ. R.K.kaushal, जो अपनी प्रतिपरीक्षा में एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ हैं, ने कहा है कि दीवार आदि जैसी कठोर सतह से विक्षेपण के बाद रेणुका के मंडिबल पर गोली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।अभियुक्त राम कुमार का यह भी कहना है कि

716 19

शारामवीर ने उस पर गोली चलाई थी लेकिन गोली दीवार से टकरा गई और विक्षेपण पर रेणुका से टकरा गई।रिपोर्ट Ex.P42 से यह भी पता चलता है कि दीवार पर गोली लगने का निशान था।ऐसा लगता है कि जहां तक उसके जबड़े पर चोट का सवाल है, रेणुका ने सही बयान नहीं दिया है।हालाँकि, राम कुमार द्वारा शर्मवीर की गर्दन में गोली मारने के बारे में उनका कथन साबित होता है जैसा कि रिकॉर्ड पर दिए गए वैज्ञानिक साक्ष्य से ऊपर चर्चा की गई है।सिर्फ इसलिए कि जहां तक उसके जबड़े पर चोट का सवाल है, उसने गलत बयान दिया है, उसे सभी पहलुओं में एक सच्ची गवाह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कानून अच्छी तरह से तय है कि ओम्नी बस में यूनो फाल्सस में फाल्सस के सिद्धांत का भारत में कोई उपयोग नहीं है।इस प्रकार, हाथ में मामले की ओर मुड़ते हुए, यह माना जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि राम कुमार ने गोली चलाई थी जो रेणुका के जबड़े में लगी थी।"

(15) इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता और उसके पिता को केवल संपत्ति में रुचि रखने वाले के रूप में देखा और इस हद तक कि उनके भाई/बेटे की हत्याओं को उसी के लिए बचाया जा सके।हम इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर अपना विचार बाद में बताएंगे।

(16) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से निपटने से पहले, हमें बचाव पक्ष का उल्लेख करना चाहिए।पहला संदर्भ भारतीय दंड संहिता की धारा 302,307 और 120-बी और पुलिस स्टेशन सी. एल. करनाल में पंजीकृत शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 और 59 के तहत No.182 दिनांक 23. 04.2008 प्राथमिकी डी. 2 पर होना चाहिए।बचाव पक्ष और साक्ष्य के साथ आगे बढ़ने से पहले, हमें इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि घटना के तुरंत बाद क्या हुआ।राम कुमार कल्याण ने लगभग तुरंत इस घटना की सूचना दी जिसके परिणामस्वरूप पी. सी. आर. वाहन श्रमवीर, नबित और रेणुका कल्याण को सरकारी अस्पताल, करनाल ले गया।वास्तव में, घटना के आधे घंटे से भी कम समय में रेणुका कल्याण की जाँच की गई।यह डॉक्टर द्वारा भरी गई 23.04.2008 (Ex.P9) दिनांकित मेडिको-लीगल रिपोर्ट से स्पष्ट है, जो 23.04.2008 पर आगमन के दिन और घंटे को 12.10 पूर्वाहन के रूप में नोट करती है।यह नोट करता है कि वह पुलिस पीसीआर के साथ थी।

(17) उक्त पूर्वाहन संख्या 182-23.04.2008 (Ex.P45) घटना के लगभग 8 घंटे बाद सुबह 8.05 बजे दर्ज की गई थी।बयान सुबह लगभग 6 बजे दिनांक 17.12.2016 दर्ज किया गया था, सुनवाई के दौरान, वकील ने सहमति पूर्वाहन का एक नया अनुवाद प्रस्तुत किया, क्योंकि दोनों ने कहा कि अपील पत्र पुस्तक के साथ संलग्न अनुवाद संतोषजनक नहीं था।प्राथमिकी आर. में इस प्रकार कहा गया हैः

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

रेणुका अमेरिका में गुड़गांव या दिल्ली में बसने पर जोर दे रही थी।विवाद से बचने के लिए, आरोपी ने नबित और रेणुका को करनाल में किराए पर लिए गए एक अलग घर में स्थानांतरित कर दिया और पूरी "दहेज की वस्तुओं" के साथ-साथ दैनिक जरूरतों को खरीद के बाद दे दिया गया था।रेणुका के माता-पिता को घर पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा उसी शहर में किराए पर एक अलग घर की व्यवस्था करने के कारण उन्हें अपमानित किया गया था और इसलिए, वे रेणुका को अपने साथ अपने घर ले गए।अभियुक्तों ने उनसे ऐसा न करने का अनुरोध किया क्योंकि उनका व्यवसाय करनाल में था जो नबहित द्वारा अलग से चलाया जाता था और उन्हें व्यवसाय को निपटाने में कुछ समय लगेगा।उनका बेटा नबित परिवार के साथ रहना चाहता था।बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, रेणुका के परिवार ने अपनी मांग को बनाए रखा और आरोपी को लालची बताते हुए उन्हें धमकी दी।घटना के बारे में राम कुमार कल्याण के बयान को दर्ज करने वाली प्राथमिकी आर. को उद्धृत करना सुविधाजनक होगा।यह नीचे लिखा हैः-

दिनांक 22.04.2008 करीब 11 बजे रात मेरी बहू रेणुका और रणबीर सिंह का बेटा उसका भाई श्रमवीर, बालदी अपनी मारुति कार में मेरे घर आए और श्रमवीर अपनी बहन रेणुका को मेरे घर पर छोड़कर चला गया।उस समय मैं अपने घर से बाहर था लगभग दोपहर 11:15 बजे जब मैं घर पहुँचा और अपनी पोती के साथ खेलने लगा तो रणबीर सिंह, अधिवक्ता, बाल्दी ने मुझे मोबाइल से मेरे फोन नंबर 94163-00008 पर फोन किया और मुझसे पूछा कि क्या घर में सब कुछ ठीक है।कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाया गया और किसी ने दरवाजा खोलने के लिए कहा।मैंने पूछा कि यह कौन है और इस पर श्रामवीर ने जवाब दिया कि मैं श्रामवीर हूं।मैंने दरवाजा खोलने के लिए पुकारा।जैसे ही दरवाजा खोला गया, श्रामवीर ने घर में प्रवेश किया और गुस्से में कहा, "जीजाजी यहाँ आओ।आज हम अंक तय करेंगे।" जैसे ही मेरा बेटा नबित उसके सामने आया, श्रामवीर ने अपनी पिस्तौल से नबित पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जो मेरे बेटे नबित की गर्दन और कान के नीचे लगी।गोली लगने के बाद मेरा बेटा फर्श पर गिर गया और उसके बाद एक साल की मेरी पोती अनन्या पर गोलियां चलाईं, जो उसे नहीं लगी।फिर श्रमवीर ने अपनी बहन पर गोलियां चलाईं और गोली लगने के बाद रेणुका फर्श पर गिर गई और जैसे ही मैंने नाव से बाहर निकलने की कोशिश की तो श्रमवीर ने मुझ पर गोलियां चलाईं।लेकिन मैं बाल-बाल बच गया।मैं अंदर से झुक गया।मेरी पत्नी ओमलता ने बताया कि परिवार को खत्म करने के बाद उसने खुद को गोली मार ली है।ऐसा लगता है कि श्रामवीर हमारे परिवार को के भीतर समाप्त कर देगा।

श्रामवीर के परिवार को पता था कि वह हमें मारने गया था।मैंने पुलिस को जानकारी दी।मेरे बेटे और श्रमवीर की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई और मेरी बहू रेणुका को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेफर कर दिया गया।मैंने अभिलिखित कथन सुना है और यह सही है।एस. डी./- राम कुमार ने हरबंस लाल, एस. एच. ओ., पी. एस. सिविल लाइन्स, करनाल दिनांक 23.04.2008 को सत्यापित किया।"

(18) पुलिस की कार्यवाही भी उसी प्राथमिकी आर. में दर्ज की जाती है। इसमें कहा गया है कि इंस्पेक्टर/एस. एच. ओ. के साथ ए. एस. आई.-ईश्वर चंद, ए. एस. आई.-जगत सिंह और सिपाही-रणधीर सिंह घटना की तारीख को गश्त पर थे जब उन्हें सूचना मिली कि गोलीबारी हुई है और तीन घायल व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल, करनाल ले जाया गया है।एस. एच. ओ. अन्य अधिकारियों के साथ करनाल के सरकारी अस्पताल गए, जहाँ उन्हें पता चला कि रेणुका को अपोलो अस्पताल भेजा गया है और श्रामवीर और नबित की मृत्यु हो गई है और वे करनाल के मुर्दाघर में हैं।इसके बाद वह उस स्थान पर पहुंचे जहां राम कुमार कल्याण और परिवार के अन्य सदस्य सदमे की स्थिति में थे और बयान देने की स्थिति में नहीं थे।उन्होंने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को एक संदेश भेजा।राम कुमार कल्याण का बयान दर्ज किया गया था और उसे पढ़ा गया था और उनके द्वारा सही के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।उसी को सिपाही रणधीर सिंह द्वारा से मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेजा गया था।इस स्तर तक की कार्यवाही इंस्पेक्टर/एस. एच. ओ. हरबंस लाल द्वारा शाम 7:30 बजे 23.04.2008 पर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि वह मौके पर मामले की जांच कर रहे हैं।

(19) 29.04.2008 पर, राम कुमार कल्याण ने प्राथमिकी आर. को सही करने के लिए एस. एच. ओ. को एक आवेदन संबोधित किया। 16.12.2016 पर सुनवाई के दौरान, वकील ने कहा कि कार्यवाही के साथ संलग्न अनुवाद संतोषजनक नहीं था और सहमति से, एक और अनुवाद प्रस्तुत किया।

इस आवेदन में राम कुमार कल्याण ने कहा कि पुलिस ने अपने बयान में दर्ज किया था कि श्रमवीर ने अपनी बहन रेणुका पर भी गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप रेणुका गिर गई थी।राम कुमार कल्याण ने आगे कहा कि उन्होंने पुलिस के सामने यह नहीं बताया।आवेदन अन्य बातों के साथ साथ अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार कहा गया हैः-

"याचिकाकर्ता ने पुलिस के सामने यह नहीं बताया।हालाँकि, जब सरनवीर ने आवेदक और अनन्या पर गोली चला दी तो अनजाने में रेणुका के खिलाफ गोलियां लग गईं।आवेदक ने यह भी कहा कि सरनवीर ने पूर्व नियोजित योजना के जवाब में राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य पर हमला किया।

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों को पूरे परिवार को खत्म करना।उस योजना में उनके माता-पिता शकुंतला और रणबीर सिंह भी शामिल थे और योजना रेणुका के कहने पर तैयार की गई थी।हमारी संपत्ति पर उनकी नजर थी, इसलिए उस योजना के अनुसार, बहू रेणुका को रात में लगभग 11 बजे सरनवीर ने घर पर छोड़ दिया था। उस समय आवेदक घर में मौजूद नहीं था।जब भी उन्होंने पूछा कि आवेदक घर पर आया है, तो वे तुरंत फिर से आए और हमला कर दिया।हालाँकि, रेणुका में आग लगने के बारे में तथ्य पुलिस द्वारा मेरे बयान में अनजाने में दर्ज किया गया है।मैंने पुलिस को अपनी और अपने परिवार की हत्या के बारे में बताया था लेकिन वह गायब था।इस संबंध में मैंने तीन-चार बार मौखिक रूप से बताया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है।इसलिए, मैं लिखित रूप में सच्चाई दे रहा हूं ताकि कोई गलत बयान दर्ज न किया जाए।

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि जांच के समय उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाए।कृपया मेरी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।"

(20) अब तक हमारे पास नबित और श्रामवीर की मौत की घटना के प्रतिद्वंद्वी संस्करण हैं।इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता के भाई और रणबीर सिंह के बेटे श्रमवीर ने आरोपी के बेटे-राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण की हत्या की थी।न ही इस बात पर कोई विवाद है कि नाबीत को मारने के बाद श्रामवीर ने खुद को गोली मार ली।सबूत यह स्थापित करते हैं कि श्रमवीर पर दोनों गोलियां घातक थीं।यह यह भी स्थापित करता है कि छाती पर लगी चोट के कारण एक मिनट के भीतर उनकी मृत्यु हो गई होगी और गर्दन में लगी चोट ने उन्हें उसके बाद कुछ मिनट जीवित रहने में सक्षम बनाया होगा।

(21) हालाँकि, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि हालाँकि दोनों में से किसी भी गोली से श्रामवीर की मृत्यु हो गई होगी, श्रामवीर ने खुद को सीने में गोली मार ली और नीचे गिर गया और राम कुमार कल्याण ने लगभग एक मिनट की उस अवधि के भीतर उसी हथियार से श्रामवीर पर दूसरी गोली चलाई और इसलिए, उसकी मृत्यु हो गई, इससे पहले कि वह वैसे भी मर जाता।आरोपी का मामला यह है कि श्रमवीर ने पहले खुद को गर्दन में गोली मारी और नीचे गिर गया और फिर खुद को सीने में गोली मार ली।इसलिए, पहला मुद्दा यह है कि उसने पहले खुद को सीने में कहाँ गोली मारी, जैसा कि रेणुका और राज्य ने आरोप लगाया है या गर्दन में, जैसा कि आरोपी ने तर्क दिया है।दूसरा मुद्दा यह है कि क्या दूसरी गोली श्रमवीर द्वारा चलाई गई थी, जैसा कि आरोपी ने आरोप लगाया है, या राम कुमार कल्याण द्वारा, जैसा कि रेणुका और राज्य ने आरोप लगाया है।

(22) हमें इस स्तर पर ध्यान दें चाहिए कि श्री बजाज ने रेणुका के पिता से निर्देश लेने पर, जो इन मामलों की सुनवाई के दौरान मौजूद थे, निष्पक्ष रूप से कहा कि लेकिन रेणुका द्वारा प्राप्त तत्काल चिकित्सा के लिए वह जीवित नहीं रहती।उन्होंने निष्पक्ष रूप से यह भी कहा कि राम कुमार कल्याण द्वारा घटना के बारे में तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के कारण ही यह संभव हुआ।हमें यहाँ यह उल्लेख करने के लिए भी रुकना चाहिए कि यह कभी किसी का मामला नहीं रहा है कि राम कुमार कल्याण या ओम लता कल्याण या नबित का कभी भी श्रमवीर पर हमला करने का इरादा नहीं था।उनका पूरा मामला यह है कि श्रमवीर द्वारा उनके बेटे नबित की हत्या करने के कारण ही राम कुमार कल्याण ने श्रमवीर को गोली मार दी।दूसरी ओर, राम कुमार कल्याण का मामला लगभग शुरू से ही रहा है कि श्रमवीर और उसके परिवार के सदस्यों ने अपने बेटे नबित की पूर्व नियोजित हत्या की साजिश रची थी।उनकी आगे की शिकायत यह है कि उनके खिलाफ मामले की कभी भी ठीक से जांच नहीं की गई है।यह एक ऐसा पहलू है जिस पर हम 2015 के सी. आर. एम.-एम.-26269 में चर्चा करेंगे जिसके द्वारा मजिस्ट्रेट ने प्राथमिकी आर. No.182 की आगे की जाँच का आदेश दिया।

(23) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, विद्वान न्यायाधीश ने, काफी हद तक, एक चश्मदीद गवाह के रूप में रेणुका के साक्ष्य पर अविश्वास किया है, लेकिन अन्य गवाहों के पुष्टिकारक साक्ष्य के आधार पर घटना के बारे में उसके विवरण को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है।इसलिए, अन्य गवाहों के साक्ष्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।अब हम उसी से निपटेंगे।

पीडब्लू2-Dr.Balwan सिंह, चिकित्सा अधिकारी, सरकारी अस्पताल, करनाल

(24) यह पीडब्लू-2 है जिसने मेडिको-लीगल रिपोर्ट (Ex.P9) भरी थी, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था।पीडब्लू2 ने घटना के आधे घंटे के भीतर रेणुका की जाँच की थी।उसने कहा कि वह अर्ध-होश में थी।उन्होंने घावों की प्रकृति का वर्णन किया।चोटों में से एक (गवाह द्वारा दूसरी चोट के रूप में संदर्भित जैसा कि प्रतिपरीक्षा से स्पष्ट है) माथे के बाईं ओर ठीक ऊपर और भौंह के बगल में एक घाव था।दूसरी चोट (जिसे पहली चोट के रूप में संदर्भित किया जाता है जैसा कि क्रॉस-परीक्षा के नोटों से स्पष्ट है) छाती की दीवार के बाईं ओर मध्य क्लैविकल के ठीक नीचे एक घाव था।चोट संख्या 1 को जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया गया था।

इसके बाद उन्होंने यह बयान दिया कि 19.03.2010 (गलत तरीके से 20.03.2010 कहा गया है) यानी घटना के दो साल बाद, पुलिस ने [राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य राज्य] मामला दर्ज किया था।

आवेदन (Ex.P10) (जिस पर आपत्ति जताई गई थी) जिस पर उन्होंने इस आशय की राय दी थी कि एक गोली लगने के बाद कुछ मिनटों के लिए घायल के होश में रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी छाती में चोट और घायल ने बाद की घटना को कुछ मिनटों के लिए देखा होगा।अभियोजन पक्ष/रेणुका के अनुसार, बाद की घटना गोलीबारी थी जिसमें अंततः नबित और श्रामवीर की मौत हो गई।उन्होंने 20.03.2010 दिनांकित अपनी राय Ex.P.10/A पर प्रस्तुत की (आपत्ति जताई) और उस पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की।

(25) एहि साक्ष्यक आधार पर अभियुक्तकेँ दोषी नहि ठहराओल जा सकैत अछि।सबसे पहले, दिलचस्प रूप से, यह राय 19.03.2010 यानी घटना के लगभग दो साल बाद मांगी गई थी।दूसरा, पीडब्लू2 में यह नहीं कहा गया है कि छाती में चोट लगने के बाद रेणुका होश में थी, जिससे वह देख सकी कि उसके बाद क्या हुआ।उन्होंने केवल इतना कहा कि कुछ मिनटों के लिए उनके होश में रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि रेणुका ने "कुछ मिनटों के लिए बाद की घटना को देखा होगा"।

जिरह में, उन्होंने कहा कि अपोलो अस्पताल के रिकॉर्ड से यह पाया गया कि रेणुका लगभग 10-12 हफ्तों से गर्भवती थी और गर्भावस्था के दौरान महिलाएं आम तौर पर तनाव में आ जाती हैं।उन्होंने आगे स्वीकार किया कि छाती में चोट नंबर 2 लगने पर और गर्भावस्था के मानसिक तनाव और बहुवचन गुहा में 600 मिली तरल पदार्थ के संग्रह के कारण रेणुका के तुरंत बेहोश होने की संभावना है।उन्होंने स्वीकार किया कि इन परिस्थितियों के कारण उनके बेहोश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(26) अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नरूला ने कहा कि दिनांक 19-03-2010 के आवेदन द्वारा पुलिस ने पीडब्लू 2 की राय मांगी कि क्या एक गोली की चोट मिलने के बाद रेणुका ने बाद की घटना देखी होगी और चोट लगने के बाद वह कितने समय तक होश में रह सकती थी।श्री नरूला ने कहा कि यह दिलचस्प है कि डॉक्टर ने अगले दिन छाती की चोट पर विचार करके अपनी राय दी, न कि माथे की चोट पर, हालांकि आवेदन में उन चोटों का उल्लेख नहीं किया गया था जिनके संबंध में राय मांगी गई थी।

हम मानेंगे कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी राय व्यक्त करने से पहले पुलिस से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा होगा।इसके अलावा, इस संबंध में डॉक्टर से प्रतिपरीक्षा में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था।इसलिए, डॉक्टर के साक्ष्य को गलत नहीं कहा जा सकता है।हालाँकि, यह अनिर्णायक है और

संभवतः अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर सकता कि पहली चोट लगने के बाद रेणुका होश में थी।

(27) इस साक्ष्य के आधार पर, इसलिए, यह किसी भी हद तक निश्चितता के साथ निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि रेणुका पहली चोट के बाद होश में थी और उसके बाद क्या हुआ उसे देखने में समर्थ थी।बचाव के मामले को सबसे निचले स्तर पर रखने के लिए, पीडब्लू2 का साक्ष्य दोनों संभावनाओं को समान रूप से दृढ़ता से इंगित करता है।

(28) हम अन्य गवाहों के साक्ष्य से निपटने के बाद पीडब्लू 10 और पीडब्लू 11, रणबीर सिंह और रेणुका के साक्ष्य से निपटेंगे।

पीडब्लू8 डॉ. राकेश मित्तल, डिप्टी सिविल सर्जन, करनाल और पीडब्लू-23 डॉ. R.K.Koshal, सहायक निदेशक, बैलिस्टिक, एफएसएल, हरियाणा

(29) पीडब्लू8 और पीडब्लू23 के साक्ष्य पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए।हम सबसे पहले पीडब्लू8 के साक्ष्य का उल्लेख करेंगे।

(30) इस गवाह ने अन्य डॉक्टरों के साथ श्रमवीर का पोस्टमार्टम किया।उन्होंने अपदस्थ किया कि दाहिनी आंख आंशिक रूप से खोली गई थी, बाईं आंख बंद थी और सूज गई थी, मुंह आंशिक रूप से खोला गया था, चारों अंगों पर कठोर मृत्यु मौजूद थी, पोस्टमॉर्टम तनाव मौजूद थे।आश्रित भागों पर और दोनों नासिकाओं और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे और गर्दन और छाती के ऊपरी हिस्से पर खून के थक्के मौजूद थे।(31) श्रामवीर को दो गोलियां लगीं।इस गवाह ने एक गोली से हुए दो घावों का उल्लेख किया जो रेणुका के अनुसार श्रामवीर द्वारा उसकी छाती पर दागे गए थे।इस गवाह द्वारा वर्णित दो चोटें इस गोली के प्रवेश और निकास बिंदुओं को संदर्भित करती हैं।पैराग्राफ 1 और 2 क्रमशः प्रवेश बिंदु पर चोट और निकास बिंदु पर चोट को संदर्भित करते हैं, और नीचे पढ़ा जाता हैः-

“1. घाव का माप 0.8 x था।

0.7 छाती के बाईं ओर से. मी., बाईं ओर से मध्य रेखा के लिए 1 से. मी. पार्श्व, बाईं निप्पल से xiphisternum 10.5 से. मी. ऊपर।यह उल्टे किनारों के साथ अंडाकार आकार का था और 2.5 x 2.5 सेमी के क्षेत्र में घाव के आसपास काला पड़ गया था।टी शर्ट में संबंधित छेद था।

2. एक और घाव मापा गया था

1.5 x 1 से. मी. मौजूद था, डेढ़ से. मी. नीचे और 1 से. मी. बाएं स्कैपुला के निचले कोण पर छोड़ दिया गया था । राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

13.5 मध्य रेखा के पार्श्व में से. मी.।यह अंडाकार आकार का था और इसके किनारे को तिरछा रखा गया था।घाव के मुँह पर नंगी आँखों से एक धातु का शरीर दिखाई दे रहा था।"

उल्टा किनारा उस त्वचा का संदर्भ है जो गोली के प्रवेश के कारण अंदर की ओर जाती है और झुका हुआ किनारा गोली के बाहर निकलने के साथ त्वचा के बाहर की ओर जाने को संदर्भित करता है।

(32) अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने की जगह, पीडब्लू8 का साक्ष्य कई महत्वपूर्ण पहलुओं में इसके खिलाफ दृढ़ता से विरोध करता है।सबसे पहले निकास बिंदु पर, जो ऊपर पैराग्राफ-2 में संदर्भित दूसरी चोट है, गोली का धातु शरीर घाव के मुंह पर नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था।इसलिए गोली शरीर में निकास बिंदु पर लगी हुई थी।इसलिए, यह स्वीकार किया जाता है कि छाती पर चलाई गई गोली से हुई दूसरी चोट के स्थान पर गोली शरीर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि उसमें लगी हुई थी।

(33) इस साक्ष्य का खंडन नहीं किया गया है।वास्तव में, यह अभियोजन पक्ष के गवाह पीडब्लू8 का सबूत है।यह इंगित करता कि श्रामवीर फर्श पर था जब उसे इन गोलियों की चोटों का सामना करना पड़ा अन्यथा गोली उसके शरीर से बाहर निकल गई होती और उसमें नहीं लगी होती।अपनी प्रतिपरीक्षा में, गवाह ने केवल इतना ही कहा था:"मैं यह नहीं कह सकता कि गोली उस स्थिति में बाहर नहीं आ सकी जब गोली चलाने वाला व्यक्ति कठोर सतह पर पड़ा हो।यह एक संरक्षित कथन है।बचाव पक्ष के पक्ष में कम से कम यह कहा जाना चाहिए कि गवाह यह नहीं कहता है कि भले ही गोली चलाने वाला व्यक्ति कठोर सतह पर पड़ा हो, गोली बाहर आ जाएगी।उन्होंने यह नहीं बताया कि अगर कोई व्यक्ति कठोर सतह पर पड़ा हुआ है तो गोली कैसे निकलेगी।

(34) पी. डब्ल्यू. 23 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि छाती पर गोली तब चलाई गई थी जब श्रमवीर फर्श पर था।अपराध स्थल की यात्रा पर पीडब्लू23 की रिपोर्ट (Ex.P42) में कहा गया है कि श्रमवीर के पीछे बाईं ओर एक छेद था और एक जैकेट वाली गोली क्षैतिज रूप से घाव में रखी हुई थी और वही बाहर से दिखाई दे रही थी।जैकेट वाली गोली वह होती है जिसका आकार बदल गया हो।

यह इंगित करता है कि गोली तब चलाई गई होगी जब श्रमवीर फर्श पर लेटा हुआ था।पीडब्लू8 और पीडब्लू23 के साक्ष्य इंगित करते हैं कि गोली, इसलिए, पूरी संभावना में उसके शरीर में अंतर्निहित थी, क्योंकि शरीर फर्श पर था जिससे गोली को आगे की यात्रा करने से रोका जा सकता था। पर गोली के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है।

छाती उसके शरीर से बाहर नहीं निकल रही थी।(35) अभियोजन पक्ष और रेणुका का मामला यह है कि श्रामवीर ने पहली गोली चलाई और वह उसकी छाती पर थी।आरोपी का कहना है कि श्रमवीर ने पहले उसकी गर्दन पर पिस्तौल चलाई, जिस पर वह जमीन पर गिर गया और उसके बाद इस बार छाती पर पिस्तौल चलाई।चार तथ्यों को स्वीकार किया जाता है-(i) श्रमवीर ने खुद पर पहली गोली चलाई, (ii) जब उसने ऐसा किया तो वह खड़ा था। (iii) पहली गोली लगने पर वह जमीन पर गिर गया और (iv) उसे दो गोलियां लगीं।अगर हम अपने निष्कर्ष में सही हैं कि सीने पर गोली उस समय लगी थी जब श्रामवीर जमीन पर था, तो यह पता चलता है कि पहला गोली जो श्रामवीर द्वारा चलाई गई थी, उसकी गर्दन पर लगी थी।वास्तव में कम से कम, यदि कोई अंतर्निहित संभावना नहीं है, तो इस बात की संभावना है कि पहली गोली के कारण जमीन पर गिरने के बाद श्रमवीर ने उनकी छाती पर गोली चलाई, जो उन्होंने उनकी गर्दन पर चलाई थी।

(36) पीडब्लू8 के साक्ष्य का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्रमवीर की छाती पर चोट लगने से एक मिनट से भी कम समय में उनकी मृत्यु हो गई होगी।पीडब्लू8 ने अपने मुख्य परीक्षण में चोट संख्या 1 का वर्णन किया है जो छाती पर गोली के प्रवेश बिंदु पर लगी चोट है।उन्होंने गोली के रास्ते का उल्लेख किया, जिस रास्ते से वह गुजरी थी।पीडब्लू8 ने अपने परीक्षण प्रमुख में कहाः-

"चोट की जांच पर सं।1 ट्रैक पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस, डाउन वार्ड, बैक वार्ड और आउटवर्ड द्वारा गुजर रहा था।बायीं बहुवचन गुहा खून से भरी हुई थी और फेफड़े में घाव हो गया था।हृदय का दाहिना निलय और बायां निलय क्षतिग्रस्त हो गया था।छठी पसली के पीछे की तरफ फ्रैक्चर हो गया था।पेरिकार्डियल गुहा खून से भरी हुई थी।पेट में अर्ध-पचने वाले खाद्य कण होते हैं, छोटी आंत में चूने और गैस होते हैं, बड़ी आंत में मल पदार्थ और गैस, यकृत, प्लीहा, गुर्दे पीले और स्वस्थ होते हैं।मूत्राशय खाली था।ट्रेकिया और लाइन्क्र्स और दाहिना फेफड़ा स्वस्थ थे।पेट की दीवार, पेरिटोनियम, मुँह, ग्रसनी और अन्नप्रणाली भी स्वस्थ थे।" (हमारे द्वारा रेखांकित)

अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू8 ने कहाः- "यह सही है कि चोट के मामले में नं।1 छाती के बाईं ओर होने और हृदय पर घाव होने के कारण, व्यक्ति एक मिनट के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन चोट के मामले में नं।3 एक व्यक्ति कुछ मिनटों तक जीवित रह सकता है।"

चोट संख्या 3 गर्दन पर चलाई गई गोली है।

(37) चोट संख्या 1 छाती पर गोली के प्रवेश के कारण हुई थी।अपनी जाँच-इन-चीफ में, गवाह ने कहा था कि दिल का दाहिना निलय और बायां निलय घाव हो गया था।फेफड़े को भी चोट लगी थी।इस प्रकार, यह गवाह स्वयं कहता है कि छाती पर चोट लगने के कारण श्रामवीर एक मिनट

भी जीवित नहीं रह सकता था।अपने मुख्य परीक्षण में, पीडब्लू8 ने कहा थाः"सभी चोटें प्रकृति में पूर्व-शव परीक्षण थीं और जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।हालाँकि, यह कहते हुए कि दोनों गोलियों के परिणामस्वरूप श्रामवीर की मृत्यु हो गई होगी, उन्होंने कहा कि छाती पर लगी गोली ने उन्हें एक मिनट से भी कम समय तक जीवित रहने में सक्षम बनाया होगा, जबकि गर्दन में लगी गोली ने उन्हें कुछ मिनट तक जीवित रहने में सक्षम बनाया होगा।इसलिए, अभियुक्त का मामला इस साक्ष्य के साथ संभावित और सुसंगत है कि गर्दन में पहली चोट लगने पर श्रामवीर कुछ मिनट तक जीवित रहा होगा जिससे वह जमीन पर गिरने के बाद अपनी छाती पर दूसरी गोली चलाने में सक्षम हो गया होगा।

(38) विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया कि श्रमवीर ने पहले खुद को सीने पर गोली मारी, न कि गर्दन पर, जैसा कि आरोपी ने आरोप लगाया था।इस संबंध में उन्होंने तस्वीरों के आधार पर देखा कि खून श्रामवीर के सिर की ओर क्षैतिज रूप से नीचे की ओर जा रहा था।उन्होंने देखा कि अगर श्रमवीर ने खुद को गर्दन पर गोली मार ली होती, तो खून लंबवत रूप से नीचे की ओर बहता क्योंकि जब उन्होंने खुद को गोली मारी तो वह खड़े थे।

(39) यह इस संभावना को ध्यान में नहीं रखता है कि गर्दन की चोट से तुरंत खून नहीं निकल रहा है, बल्कि श्रामवीर के गिरने के बाद।

(40) श्री बजाज ने हमें यह अनुमान लगाने के लिए आमंत्रित किया कि राम कुमार कल्याण श्रामवीर के बगल में लेटे थे और फिर उनके पायजामे पर खून पाए जाने को देखते हुए उनकी गर्दन में गोली मार दी।

(41) इस तरह का निष्कर्ष संभवतः नहीं निकाला जा सकता है।शूटिंग खत्म होने के बाद भी उनके पायजामे पर खून आ सकता था।यह मान लेना उचित होगा कि राम कुमार कल्याण उस क्षेत्र के आसपास रहे होंगे जहां गोली चलने के बाद खून बिखरा हुआ था, उस समय उनके पायजामा पर खून आ सकता था।जैसा कि Mr.Narula ने आगे बताया कि इस प्रभाव के लिए रेणुका का कोई प्रमाण नहीं था।Mr.Bajaj के प्रस्तुतिकरण को प्रतिग्रहण करना करना शुद्ध अटकलबाजी होगी।

(42) विद्वान न्यायाधीश गलत निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि श्रमवीर ने पहले खुद को सीने में गोली मारी थी, यह मानते हुए आगे बढ़े कि छाती की चोट के कारण वह में फिर से खुद को गोली नहीं मार सकते थे।

यह निष्कर्ष एक Dr.P.D.Dogra की रिपोर्ट के आधार पर निकला, जिसने अपने सहयोगी डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद कथित तौर पर कहा था कि सीने में चोट के कारण दिल के घाव होने के बाद श्रमवीर के लिए फिर से खुद पर गोली चलाना संभव नहीं था और यदि

श्रमवीर ने खुद अपनी ठोड़ी के नीचे गोली चलाई थी, तो उसके लिए फिर से खुद पर गोली चलाने की संभावना नहीं थी।डॉक्टर की कभी जांच नहीं की गई और उनकी रिपोर्ट साबित नहीं हुई।इसलिए विद्वान न्यायाधीश डॉक्टर के साक्ष्य या उसकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता था।यह केवल एक राय है जो पुलिस ने प्राथमिकी आर. संख्या 182 की जाँच करते समय ली है।रिपोर्ट को सबूत के रूप में भी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(43) पीडब्लू8 के साक्ष्य का एक और पहलू है।यह मानते हुए भी कि अभियोजन पक्ष का मामला और रेणुका का सबूत कि पहली गोली सीने पर चलाई गई थी, सही है, इसका मतलब यह होगा कि दूसरी गोली, जो कथित तौर पर गर्दन पर लगी थी, श्रमवीर द्वारा छाती पर पहली गोली चलाने के एक मिनट से भी कम समय में चलाई गई थी और वह गिर गई थी।रेणुका का साक्ष्य, जिसका हम बाद में उल्लेख करेंगे, राम कुमार कल्याण की ओर से इतनी त्वरित प्रतिक्रिया का संकेत नहीं देता है।हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह कैसे माना जा सकता है कि राम कुमार कल्याण ने पहले शॉट के एक मिनट से भी कम समय के भीतर दूसरा शॉट दागा।

हमने पहले शिकायत में और उसकी जाँच में रेणुका के संस्करण का उल्लेख किया था।उसने कहा कि श्रामवीर के खुद को गोली मारने के बाद जमीन पर गिरने के बाद ही दोनों आरोपी चिल्लाने लगे कि वे रेणुका और उसके भाई श्रामवीर को जीवित नहीं रहने देंगे।उन्होंने आगे कहा कि ओम लता ने अपने पति से घोषणा की कि "ये दोनो बहन भाई दुश्मन ने गाय इंको मारो को वापस भेजा" और राम कुमार आरोपी ने यह भी घोषणा की कि "सेल हरमजादे टू जिंडा कैस रेह सक्ता है, एबी टू मेन टेर पूअर परिवार को खटम कर की दाम लूंगा"।उन्होंने आगे कहा कि यह ओम लता के उकसावे पर था कि राम कुमार कल्याण ने श्रामवीर पर गोली चलाई और बहुत करीब से उनकी ठोड़ी के नीचे उनकी गर्दन पर वार किया।

यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह सब 60 सेकंड से भी कम समय में हुआ।यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि राम कुमार कल्याण की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी।इसे स्थापित करना अभियोजन पक्ष का काम था।रेणुका एकमात्र ऐसी व्यक्ति थीं जो इस तरह के सबूत पेश कर सकती थीं।उसने ऐसा नहीं किया।

(44) इस संबंध में एक और पहलू भी है।यहां तक कि पीडब्लू8 के अनुसार, श्रमवीर की मृत्यु उनके स्वयं प्रेरित राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य कारणों से हुई होगी।

एक मिनट से भी कम समय में छाती पर घाव।अभियोजन पक्ष इससे इनकार नहीं करता है।श्री बजाज वास्तव में इस बात से सहमत थे कि ऐसा ही था।जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है कि राम कुमार कल्याण ने हथियार उठाया और एक मिनट से भी कम समय में दूसरी गोली

चलाई, यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने श्रामवीर की मृत्यु के बाद गोली चलाई थी।ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को इस अनुमान पर दोषी ठहराना मुश्किल है कि राम कुमार कल्याण ने हथियार उठाया और गोली चला दी, जबकि श्रमवीर अभी भी जीवित था, यानी पहली गोली के 60 सेकंड से भी कम समय के भीतर।रेणुका का साक्ष्य, जिसे हम बाद में देखेंगे, इसे स्थापित नहीं करता है।न ही अन्य गवाहों के साक्ष्य इसे स्थापित करते हैं।

(45) यह मानते हुए भी कि राम कुमार कल्याण ने उनकी गर्दन पर दूसरी गोली चलाई थी, श्रामवीर की, किसी भी स्थिति में, पहली गोली के घाव के कारण एक मिनट से भी कम समय में मृत्यु हो गई होगी, जो रेणुका के साक्ष्य के अनुसार उन्होंने अपनी छाती पर चलाई थी।अगर राम कुमार कल्याण ने एक मिनट के भीतर गोली नहीं चलाई होती तो शायद उन्होंने किसी मृत व्यक्ति पर गोली चला दी होती।उस घटना में उन्हें हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सका था।

(46) पी. डब्ल्यू. 8 के साक्ष्य में यह वाक्य है "सभी

चोटें प्रकृति में पूर्व-परीक्षण थीं और मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।

सामान्य जीवन "।यह सच है कि 'एंटी-मॉर्टम' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है।हालाँकि, समग्र रूप से पढ़े गए उनके साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडब्लू8 इस बारे में गवाही नहीं दे रहा था कि दूसरी गोली श्रमवीर की मृत्यु से पहले चलाई गई थी या बाद में।उनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुद को संबोधित भी नहीं किया था।साक्ष्य का एकमात्र उद्देश्य यह था कि दोनों चोटें जीवन के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।सबूतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि श्रमवीर की मृत्यु से पहले या बाद में गोली चलाई गई थी या नहीं, इस सवाल पर दूर से भी विचार किया गया था।

(47) पुनरावृत्ति की कीमत पर, यहां तक कि अभियोजन पक्ष का मामला और रेणुका का सबूत यह है कि यह श्रामवीर है जिसने पहली गोली चलाई थी।पीडब्लू8 और पीडब्लू23 के साक्ष्य इंगित करते हैं कि पहला शॉट गर्दन पर हो सकता है न कि छाती पर।इन गवाहों के अनुसार, गर्दन पर चोट लगने से श्रमवीर की मौत हुई होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद।उन्होंने जिरह में यह भी स्वीकार किया कि मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था।इसलिए, यह असंभव नहीं है कि श्रमवीर अपनी छाती पर दूसरी गोली चलाने की स्थिति में था, हालांकि उसकी गर्दन पर गोली चलने के कारण उसे चोट लगी थी।इस प्रकार, यह तथ्य कि दोनों गोलियों से उनकी मृत्यु हुई होगी, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है।

यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पीडब्लू23, जिसके साक्ष्य का हमें फिर से ध्यान दें करने का अवसर मिलेगा, ने कहाः“श्रमवीर की ठोड़ी के नीचे चोट लगने की संभावना पहले शॉट का

परिणाम हो सकती है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है।पीडब्लू8 के साक्ष्य के साथ पढ़ें कि ठोड़ी के नीचे/गर्दन पर लगी चोट ने श्रमवीर को कुछ मिनट तक जीवित रहने में सक्षम बनाया होगा, यह इंगित करता है कि श्रमवीर गर्दन पर पहली चोट के बाद अपनी छाती पर दूसरी गोली चलाने की स्थिति में हो सकता था।

(48) यह हमें पीडब्लू8 की प्रतिपरीक्षा के तीसरे महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है।उन्होंने कहा कि - ".....यह सही है कि ये दोनों चोटें नं।1 (छाती) और 3 (गर्दन) निकट संपर्क से आग की बांह की चोटों से संभव हैं, क्योंकि चोट संख्या 3 (गर्दन) में दोनों चोटों और बालों के गाने में कालापन था।इस प्रकार, इस वाक्य में ही वह स्वीकार करता है कि दोनों चोटें संख्या 1 और 3 यानी छाती पर गोली के प्रवेश बिंदु पर चोट और गर्दन पर गोली की चोट "निकट संपर्क" से थी।इसका तात्पर्य है कि हथियार/पिस्तौल को शरीर में रखा जा रहा है।गवाह के अनुसार, यह इन दो चोटों में काला पड़ना और चोट संख्या 3 में बालों के गाने से स्पष्ट था।जिरह में आगे क्या होता है, यह महत्वपूर्ण है।गवाह ने आगे कहाः-

"यह सही है कि पोस्टमॉर्टम मामले के मेडिकोलेगल पहलू से संबंधित अध्याय No.25 संस्करण 23 में मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि "एक आत्मघाती आग की बांह का घाव आमतौर पर मंदिर के किनारे स्थित एक संपर्क घाव होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस हाथ का उपयोग खुद को गोली मारने के लिए किया गया था, माथे के केंद्र में, मुंह की छत में, छाती में या बाईं ओर के सामने और कभी-कभी ठोड़ी के नीचे।" यह सही है कि इसी सिद्धांत का उल्लेख एक पाठ्यपुस्तक फोरेंसिक मेडिसिन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में प्रो.कृष्ण विज। "यह सही है कि आमतौर पर आग्नेयास्त्रों द्वारा आत्महत्या के प्रयासों के मामले में गोलीबारी की दिशा स्व-गोलीबारी के अनुरूप होती है और इसका उल्लेख फोरेंसिक चिकित्सा की पाठ्यपुस्तक प्रो.कृष्ण विज। यह सही है कि उपरोक्त विशेषताएँ चोट संख्या 1 और 3 के लिए सही हैं।"

(49) यह सबूत राम कुमार कल्याण द्वारा दूसरी गोली चलाने के अभियोजन पक्ष के मामले को लगभग नष्ट कर देता है।गवाह स्वीकार करता है कि दोनों चोटें संपर्क की चोटें थीं।जिरह-परीक्षक केवल दोनों लेखकों की टिप्पणियों को देने पर ही नहीं रुके।

गवाह।अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा पर, गवाह ने कहा कि यह सही था कि उपरोक्त विशेषताएँ चोट Nos.1 और 3 क्वा श्रमवीर के बारे में सही हैं।वास्तव में, इसलिए, गवाह ने स्वीकार किया कि दोनों घाव संपर्क के घाव थे और इसलिए, आत्मघाती थे और हत्या नहीं।

(50) श्री बजाज ने पहली बार अपने स्वयं के गवाहों पीडब्लू8 और पीडब्लू23 के साक्ष्य को अस्वीकार और बदनाम करने की मांग की।श्री बजाज ने स्वीकार किया कि इस संबंध में पीडब्लू8 और पीडब्लू23 के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले को वस्तुतः नष्ट कर देते हैं।हालाँकि, उन्होंने इन गवाहों के साक्ष्य से खुद को दूर करने की कोशिश की और कहा कि अदालत को उनके साक्ष्य को त्याग देना चाहिए।

(51) प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से अस्थिर है। इस तरह की प्रस्तुति बार में नहीं की जा सकती है। अभियोजन पक्ष ने इस तर्क को कभी भी विद्वान न्यायाधीश के सामने नहीं उठाया।न ही इन गवाहों को शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए कोई आवेदन था।इसके अलावा, किसी भी पहलू को स्पष्ट करने के लिए पुनः परीक्षा के लिए कोई आवेदन भी नहीं था।इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि गवाह इस संबंध में गलत सबूत दे रहे थे।एक वह व्यक्ति था जिसने पोस्टमार्टम (पीडब्लू8) किया और दूसरा बैलिस्टिक विशेषज्ञ (पीडब्लू23) था।हम उनके साक्ष्य को एक द्वारा अधिक बार देख चुके हैं।एक बात निश्चित है।यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य दिया था।

(52) राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री कपिल अग्रवाल, गवाहों को बदनाम करने के बारे में श्री बजाज से निष्पक्ष और उचित रूप से सहमत नहीं थे।उन्होंने उनके सबूतों का खंडन नहीं किया।उन्होंने यह तर्क नहीं दिया कि सबूतों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

(53) विद्वान न्यायाधीश ने पीडब्लू8 से पीडब्लू23 के साक्ष्य के इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया है।विद्वान न्यायाधीश ने पैराग्राफ-55 में कहा कि "गर्दन में चोट लगने के बाद वह छाती में खुद को दूसरी चोट नहीं पहुँचा सके।"हालाँकि, इस निष्कर्ष के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया गया है।इस निष्कर्ष पर आने से पहले विद्वान न्यायाधीश द्वारा गवाहों के साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया था।जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, गवाह स्वयं कहते हैं कि गर्दन पर चोट लगने के बाद श्रामवीर कुछ मिनट तक जीवित रह सकता था।प्रत्यक्षदर्शियों ने यह नहीं कहा कि गर्दन में चोट लगने के बाद श्रमवीर के लिए अपनी छाती पर एक और गोली चलाना संभव नहीं था।गवाहों द्वारा ऐसा नहीं कहने के कारण, हम यह देखने में विफल रहते हैं कि न्यायालय द्वारा इस तरह का निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है।अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों के सामने इस आशय का मामला भी नहीं रखा गया था।विशेष रूप से आपराधिक मुकदमे में न्यायालय को ऐसे मामलों पर अटकलें लगाने की अनुमति नहीं है।

साक्ष्य का लाभ और अभियुक्त के खिलाफ जो संदेह के लाभ का हकदार होना चाहिए।इस पहलू पर इसके विपरीत कोई सबूत भी नहीं है।यही कारण है कि Mr.Bajaj को अपने स्वयं के गवाहों के साक्ष्य को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया था, बिना कभी भी उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए या आगे के सबूत का नेतृत्व किए बिना निचली निचली अदालत के समक्ष आवेदन किए बिना।

(54) पैराग्राफ-55 में, विद्वान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नाबीत के अपनी बहन रेणुका को चोट पहुँचाने के कारण अपना मानसिक संतुलन खोने पर श्रामवीर ने खुद पर गोली चलाई थी और श्रामवीर खुद को गर्दन में और उसके बाद छाती में कई बार गोली मार सकता था, अगर वह किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए इतना दृढ़ था जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पता नहीं चलता है।

(55) हम इस संबंध में इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं।तर्क शुद्ध अनुमान है।श्रामवीर शायद आत्महत्या करने के इरादे से घटना स्थल पर नहीं गया होगा।हालांकि, तथ्य यह है कि रेणुका और अभियोजन पक्ष ने भी स्वीकार किया है कि श्रामवीर ने पहली गोली से आत्महत्या करने की कोशिश की थी।पहला शॉट चाहे वह छाती पर हो या गर्दन पर, पी. डब्ल्यू. 8 घातक के अनुसार था।पीडब्लू8 ने कहा कि किसी भी गोली से उनकी मृत्यु हो गई होगी-कुछ मिनटों के भीतर गर्दन पर और एक मिनट से भी कम समय में छाती पर।श्रामवीर का पहला गोली चलाना आत्मघाती था।यह अनुमान लगाने के लिए कोई वारंट नहीं है कि दूसरी गोली उसके द्वारा नहीं चलाई गई थी क्योंकि वह 'किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए इतना दृढ़ नहीं था'।

(56) विद्वान न्यायाधीश पीडब्लू8 के साक्ष्य के एक हिस्से का उल्लेख करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पीडब्लू8 द्वारा सुझाए गए अनुसार मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसलिए यह दर्शाता है कि यदि श्रमवीर ने खुद गर्दन पर पहली चोट पहुंचाई थी तो वह छाती में दूसरी चोट नहीं लगा सकता था।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने पीडब्लू8 पर अविश्वास किया है।विद्वान न्यायाधीश ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (Ex.P-15) का उल्लेख किया जिसमें दिखाया गया था कि अतिरिक्त ड्यूरल हेमेटोमा दोनों फ्रंटल लोब में मौजूद था और बायीं मैक्सिलरी एंट्रम खून से भरा था।इसके बाद उन्होंने देखा कि चिकित्सा न्यायशास्त्र के अनुसार फ्रंटल लोब मस्तिष्क का हिस्सा है, जिसका कार्य निर्णय, तर्क, ध्यान और अल्पकालिक स्मृति, मोटर कार्य, मोटर भाषण और व्यक्तित्व है।इससे वह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा सुझाए गए अनुसार मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं हुआ था।

(57) पीडब्लू8 डॉक्टर है।वह अभियोजन पक्ष का गवाह है।अभियोजन पक्ष उसे अस्वीकार नहीं करता है।अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीडब्लू8 के कथन के विपरीत हो।इस आशय का मामला भी पक्षों द्वारा पीडब्लू8 के समक्ष नहीं रखा गया था।दोहराने की कीमत पर उन्हें न तो शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और न ही उनसे फिर से पूछताछ की गई।

(58) पीडब्लू23 के साक्ष्य राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर रक्त के नमूनों और उन पर पाए गए बंदूक की गोली के अवशेषों के मुद्दे के संबंध में भी प्रासंगिक हैं।हालाँकि, हम इस पहलू पर बाद में चर्चा करेंगे।इसके लिए उनकी रिपोर्ट (Ex.P42-pg-531) और उनके बयान (Ex.P43-pg-291) पर विचार करने की आवश्यकता है।

(59) हम पहले ही रेणुका कल्याण (पीडब्लू11) के साक्ष्य का उल्लेख कर चुके हैं।हम अन्य गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख करने के बाद उसके साक्ष्य और पीडब्लू 10 रणबीर सिंह के साक्ष्य से निपटेंगे।हमने पीडब्लू 23 के साक्ष्य के साथ भी काम किया क्योंकि यह पीडब्लू 8 के साक्ष्य के लिए प्रासंगिक था।हम पी. डब्ल्यू. 23 के साक्ष्य का उल्लेख बाद में एक अन्य संदर्भ में करेंगे।

(60) इसके साथ हम अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर आते हैं-12 से 15।

पीडब्लू 12 राजेश सोनी, सहायक निदेशक, भौतिकी, एफएसएल मधुबन

(61) पीडब्लू12 ने कहा कि दिनांक 27.04.2009 घटना के एक साल से थोड़ा अधिक समय बाद, उसे डी. आई. जी., सी. आई. डी. क्राइम से एक टेलीफोनिक संदेश मिला जिसमें उसे प्राथमिकी आर. संख्या 182 के संबंध में घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया गया था।वह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ रणबीर सिंह के घर गया जहां इस गवाह का कहना है कि राजिंदर सिंह ने बताया कि 22.04.2008 की रात श्रमवीर ने रणबीर सिंह के शयनकक्ष में लकड़ी की अलमारी (अलमारी) से पिस्तौल ली थी।राजिंदर सिंह ने पीडब्लू12 को अलमारी की जांच करने और अपनी राय देने के लिए कहा।तदनुसार उन्होंने अलमारी की जांच की, तस्वीरें लीं और तस्वीरों के साथ अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.04.2009 (Ex.P33) प्रस्तुत की।जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने अलमीरा का निरीक्षण किया तो ताला अलमीरा पर नहीं लगाया गया था और अलग से पड़ा हुआ था जैसा कि पुलिस ने उन्हें दिखाया था।खाली बंदूक का डिब्बा बिस्तर पर पड़ा हुआ था।उन्होंने स्वीकार किया कि ताला पर कोई उपकरण के निशान या खरोंच या कटक नहीं थे।उन्होंने स्वीकार किया कि जहाँ एक अलमारी का ताला बलपूर्वक तोड़ा जाता है, वहाँ अलमारी के ताले पर कुछ निशान, चराई/खरोंच दिखाई देने की संभावना है; हालाँकि, उन्हें दिखाए गए ताले पर कोई खरोंच या चराई नहीं थी और अलमारी के अंदर लगे दोनों लट्ठों पर किसी भी खरोंच या बल के निशान नहीं थे।उन्होंने कहा कि वह इंगित करने की स्थिति में नहीं थे

अलमारी तोड़ने का समय।(62) यह दिलचस्प है कि इस गवाह के साक्ष्य का नेतृत्व अभियोजन पक्ष ने किया था।यह राम कुमार कल्याण के खिलाफ आरोपों के लिए प्रासंगिक नहीं था।यह कोई मामला नहीं है कि राम कुमार कल्याण ने रणबीर सिंह की अलमारी से हथियार लिया था।यह माना जाता है कि यह श्रामवीर ही था जो हथियार को स्थल पर लाया था।

रणबीर सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा कि उन्होंने अपनी अलमीरा के निरीक्षण के लिए एस. एच. ओ. को कभी कोई आवेदन नहीं दिया; कि जब वे अलमीरा के निरीक्षण के लिए 07.06.2008 पर अपने घर गए तो उन्होंने इंस्पेक्टर हरबंस लाल को कोई आवेदन नहीं दिया था; कि उन्होंने यह मामला दर्ज होने तक या उसके बाद भी अलमीरा के निरीक्षण के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं दिया था।हम यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि इस तरह के महत्वपूर्ण पहलू पर उन्होंने पुलिस से अपनी अलमारी की जांच करने का मौखिक अनुरोध किया था।

(63) पीडब्लू 12 के साक्ष्य का नेतृत्व करने का उद्देश्य यह दिखाने की कोशिश करना था कि रणबीर सिंह और उनकी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे ने अलमारी तोड़ दी है और वे अपने साथ हथियार ले गए हैं।उन्होंने राम कुमार कल्याण के लगभग शुरू से ही इन आरोपों को देखते हुए ऐसा किया कि रणबीर सिंह के परिवार ने उनके बेटे नबित की हत्या की साजिश रची थी।

(64) पी. डब्ल्यू. 12 का साक्ष्य वास्तव में उत्तर से अधिक प्रश्न उठाता है।घटना के लगभग एक साल बाद अलमीरा की जांच क्यों की गई; एक साल से अधिक समय तक अलमीरा को टूटी हुई स्थिति में क्यों रखा गया; अगर वास्तव में श्रमवीर ने अपने माता-पिता की जानकारी के बिना अलमीरा का ताला तोड़ा था तो ताला पर खरोंच के निशान क्यों नहीं थे; एक साल से अधिक समय से अलमीरा की मरम्मत क्यों नहीं की गई थी; रणबीर सिंह ने एक साल से अधिक समय के बाद अलमीरा के संबंध में पुलिस अधिकारियों से साइट पर जाने का अनुरोध क्यों किया था।गवाह ने आगे कहा कि वह अलमारी तोड़ने का समय नहीं बता सका।

पीडब्लू 13 नरेश कुमार, मुख्य खंड पर्यवेक्षक, बीएसएनएल, चंडीगढ़

(65) इस गवाह से यह स्थापित करने के लिए पूछताछ की गई कि लैंडलाइन संख्या 2777279 संबंधित समय पर पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के नाम पर स्थापित की गई थी और लैंडलाइन No.2726363 अधिवक्ता राजिंदर सिंह चीमा के नाम और आवास पर स्थापित की गई थी।जहां तक इन संख्याओं के वास्तविक कार्यकरण का संबंध है, प्रतिपरीक्षा में उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी।

पीडब्लू 14 एचसी अमरजीत सिंह, एमएचएचसी, P.S.Civil लाइन्स,

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

733

करनाल पीडब्लू 15 इंस्पेक्टर राज कुमार

पीडब्लू 17 एस. आई. राम सरूप, एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन घरौंडा, करनाल

(66) इस गवाह ने कहा कि वह मामले की संपत्ति लाया था और उसे तत्कालीन मोहरिर हेड कांस्टेबल (एम. एच. सी.) के पास 24.04.2008 पर प्रविष्टि संख्या 891 दिनांक 24.04.2008 के साथ इंस्पेक्टर/एस. एच. ओ. करनाल द्वारा बरकरार स्थिति में जमा किया था।जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि पार्सल संख्या 6 के रूप में चिह्नित पार्सल में से एक को 16.04.2009 पर अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था।गवाह को आगे के बयान के लिए वापस बुला लिया गया।उन्होंने अपने आगे के साक्ष्य में अपना शपथ पत्र (Ex.PW14/A) प्रस्तुत किया।उन्होंने कहा कि 16.04.2009 पर पार्सल नंबर 6 एस. आई. हरिंदर सिंह को सौंप दिया गया था।

(67) Mr.Narula ने अब तक शपथ पत्र पर भरोसा किया क्योंकि उनके राम कुमार कल्याण के कपड़ों को सौंपने/ले जाने का कोई उल्लेख नहीं था (पैराग्राफ-2)।हालाँकि, बाद में शपथ पत्र के पैराग्राफ-4 में यह कहा गया है कि मामले की संपत्ति कांस्टेबल रणधीर सिंह को एफ. एस. एल. के पास जमा करने के लिए सौंप दी गई थी। पैराग्राफ-4 में इस तरह सौंपी गई संपत्ति राम कुमार कल्याण के कपड़ों के एक पार्सल को संदर्भित करती है जिसे विधिवत मुहर 'आई. सी.' से सील कर दिया गया है।इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब उन्हें राम कुमार कल्याण के कपड़े नहीं सौंपे गए थे, जैसा कि शपथ पत्र के पैराग्राफ-2 से स्पष्ट है, तो राम कुमार कल्याण के कपड़े बाद में उन्हें सौंप दिए गए, जैसा कि शपथ पत्र के पैराग्राफ-4 में कहा गया है।गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसे मामले की संपत्ति जमा करने और स्थानांतरित करने की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और उसके शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्य रजिस्टर No.19 में की गई प्रविष्टियों के अनुसार थे।इस प्रकार साक्ष्य में एक महत्वपूर्ण अंतर है।इस गवाह को 25.04.2009 पर सौंपे जाने से पहले राम कुमार कल्याण के कपड़े कहाँ थे, इसका संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है।उक्त अवधि के दौरान उनके कपड़ों का स्थान अभी भी अज्ञात है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्त के नमूनों और राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर बंदूक की गोली के अवशेषों के आधार पर इसे बनाने की कोशिश की गई थी।विवादित निर्णय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा भी इस पर काफी हद तक भरोसा किया गया था।हम बाद में उसी पर चर्चा करेंगे।

(68) पी. डब्ल्यू. 14 के साक्ष्य पर पी. डब्ल्यू. 17 एस. आई. राम सरूप, एस. एच. ओ., करनाल के पास घरौंडा पुलिस स्टेशन के साक्ष्य के साथ विचार किया जाना चाहिए।पीडब्लू 17 ने अपने परीक्षा-प्रमुख (Ex.PW17/A) के बदले में अपना शपथ पत्र दिया।Mr.Narula ने फिर से इस साक्ष्य पर भरोसा किया।

गवाह।जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि पीडब्लू14 अमरजीत सिंह ने अपने शपथ पत्र (Ex.PW14/A) के पैराग्राफ-2 में कहा है कि 23.04.2008 पर इंस्पेक्टर हरबंस लाल ने प्राथमिकी संख्या 182 में मामले की संपत्ति सौंप दी।पैराग्राफ-2 में उन्होंने केस प्रॉपर्टी को निर्दिष्ट किया जिसमें राम कुमार कल्याण के कपड़े शामिल नहीं थे।राम सरूप पीडब्लू17 ने अपने शपथ पत्र (Ex.PW17/A) में कहा कि 23.04.2008 पर हरबंस लाल ने मामले की संपत्ति उन्हें सौंप दी।वह पैराग्राफ-2 में मामले की संपत्ति को निर्दिष्ट करता है जिसमें राम कुमार कल्याण के कपड़े शामिल नहीं हैं।पैराग्राफ-4 में उन्होंने कहा कि दिनांक 25.04.2008 उन्होंने मामले की संपत्ति कांस्टेबल रणधीर सिंह को एफ. एस. एल. के पास जमा करने के लिए सौंप दी। उन्होंने पैराग्राफ-4 में मामले की संपत्ति को निर्दिष्ट किया है जिसमें अब राम कुमार कल्याण के कपड़े शामिल हैं।राम कुमार कल्याण के कपड़े अचानक कहाँ से दिखाई दिए, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

(69) इस स्तर पर पीडब्लू15 के साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि वह एफ़. आई. आर.-182 की जाँच से जुड़े थे।उन्होंने घटना स्थल पर मिली संपत्ति का उल्लेख किया।उन्होंने अदालत में इसकी पहचान की।इसमें राम कुमार कल्याण के कपड़े भी शामिल थे।Mr.Narula ने कहा कि पीडब्लू14 और पीडब्लू17 के साक्ष्य के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़ों को कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा गया था, जहाँ भी उन्हें भेजा गया हो।यही कारण है कि पी. डब्ल्यू. 14 और पी. डब्ल्यू. 17 को पहली बार में एफ. एस. एल. को सौंपे जाने के लिए कपड़े कभी नहीं मिले, लेकिन एफ. एस. एल. से मामले की संपत्ति की प्राप्ति पर बाद में कपड़े वहां थे।राम कुमार कल्याण के कपड़ों के स्थान के संबंध में लिंक में ब्रेक घटना की तारीख यानी 23.04.2008 से 25.04.2008 तक है जब उन्हें PW14 और PW17 को सौंप दिया गया था।पीडब्लू15 द्वारा उल्लिखित राम कुमार कल्याण के कपड़ों का रंग धूसर है जबकि पीडब्लू22 के साक्ष्य में रंग का उल्लेख आकाश के रंग के रूप में किया गया है जिसका संभवतः अर्थ है नीला रंग।

पीडब्लू 22 Dr.Pandu गुगुलोथ, उप निदेशक, डीएनएस, एफएसएल, मधुबन, करनाल

(70) इस गवाह ने कहा कि 16.04.2009 पर उसे प्राथमिकी आर. No.182 के संबंध में कुछ पार्सल मिले।उनके शपथ पत्र का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः-

"पहला पार्सल नंबर 1, जिसे सीरोलॉजिकल विभाग, एफएसएल, मधुबन द्वारा पार्सल नंबर 6 के रूप में चिह्नित किया गया था, को एफएसएल-एच सेरो की मुहर के साथ सील कर दिया गया था, जिसमें अक्षुण्ण मुहरें पाई गईं और इसमें शामिल थीं ।

क) मेरे द्वारा आइटम नंबर 1 के रूप में चिह्नित एक नारंगी रंग की सूती टी-शर्ट;

ख) मेरे द्वारा वस्तु संख्या 2 के रूप में चिह्नित एक धूसर रंग का सूती पायजामा;

ग) एक अन्य सीलबंद पार्सल No.II जिसमें 08/F-1987 के रूप में लेबल किए गए अक्षत मुहरों के साथ Fएसएल-H सेरो की मुहर है; S-341/08, P5 सरनबीर और निहित है।

a) सूती भूरे रंग की पतलून पर कुछ गहरे भूरे रंग के दाग हैं जिन्हें मैंने आइटम नंबर 3 के रूप में चिह्नित किया है

ख) मेरे द्वारा आइटम नंबर 4 के रूप में चिह्नित एक सफेद सूती अंडरवियर ग) मेरे द्वारा आइटम नंबर 5 के रूप में चिह्नित कई गहरे भूरे रंग के दाग के साथ एक काली सूती टी-शर्ट।

परीक्षा का परिणामः

डी. एन. ए. को वस्तु संख्या 2 और 3 से निकाला गया था और वाई-फाइलर किट का उपयोग करके वाई-एसटीआर विश्लेषण किया गया था। डी. एन. ए. प्रोफाइल वस्तु संख्या 2 से प्राप्त किया गया था और इसकी तुलना वस्तु संख्या 3 से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल से की गई थी।

आइटम नंबर 2 का एलीलिक पैटर्न आइटम नंबर 3 के एलीलिक पैटर्न से मेल खाता है।

निष्कर्षः

वाई-एसटीआर विश्लेषण निर्णायक रूप से साबित करता है कि वस्तु संख्या 2 (पायजामा) का स्रोत वस्तु संख्या 3 (पतलून) के स्रोत के डीएनए प्रोफाइल से मेल खा रहा था।"

(71) रेणुका की ओर से काफी भरोसा रखा गया था-अभियोजन पक्ष के साथ-साथ विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस गवाह के साक्ष्य पर।हमारे विचार में यह सबूत राम कुमार कल्याण को दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।यह उसके अपराध को स्थापित नहीं करता है।

(72) सबसे पहले यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि राम कुमार कल्याण, श्रमवीर, नबित कल्याण और रेणुका कल्याण के रक्त के नमूने नहीं लिए गए थे।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुतियाँ केवल अनुमान थीं जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष थे।गवाह ने वस्तु संख्या 2 से डीएनए निकाला जो राम कुमार कल्याण के भूरे रंग के सूती पायजामे और वस्तु संख्या 3 थी जो श्रामवीर की पतलून थी।दो वस्तुओं का एलीलिक पैटर्न मेल खाता है।हालाँकि, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह स्थापित करता है कि किसका रक्त है।

राम कुमार कल्याण के पायजामे और श्रमवीर की पतलून पर था।जगह की कमी, घटना में मौजूद व्यक्तियों की निकटता और पिस्तौल से हुई चोटों को देखते हुए, यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि किसी के कपड़ों पर खून किसी विशेष व्यक्ति का था और कोई और नहीं।दूसरे शब्दों में, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि श्रमवीर का खून उसकी पतलून या राम कुमार कल्याण के पायजामे पर था।इन दोनों कपड़ों पर खून के नमूने अन्य व्यक्तियों जैसे रेणुका या नबित के हो सकते हैं।

जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसे श्रमवीर के माता-पिता या नबित के माता-पिता या राम कुमार कल्याण का भी कोई प्रतिनिधि नमूना नहीं मिला था।इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का कोई प्रतिनिधि नमूना नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई राय नहीं दी थी कि वस्तु संख्या 2 और 3 पर रक्त, यानी उक्त वस्त्र किसी विशेष व्यक्ति के थे।

(73) Mr.Bajaj सहित सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया कि यह जाँच में एक गंभीर चूक थी।गवाह द्वारा स्वीकार की गई एक और गंभीर चूक यह थी कि उसने पार्सल संख्या 3 यानी नबित के कपड़ों के डीएनए प्रोफाइल की तुलना अन्य पार्सल के किसी भी डीएनए प्रोफाइल से नहीं की थी और इस तरह वह इस संबंध में कोई राय देने में असमर्थ था।जिरह में उनकी यह स्वीकारोक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने वस्तु संख्या 2 और 3 राम कुमार कल्याण और श्रमवीर के कपड़ों के डीएनए प्रोफाइल के स्रोत को स्थापित नहीं किया था क्योंकि उनके पास कोई प्रतिनिधि नमूना नहीं था।अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आइटम नंबर 4 और 5 के डीएनए प्रोफाइल की तुलना नहीं की जो श्रामवीर के 'अंडरवियर' और 'टी-शर्ट' थे।

(74) इस प्रकार यह मानते हुए भी कि श्रमवीर की पतलून और राम कुमार कल्याण के पायजामे से लिए गए नमूनों के डीएनए प्रोफाइल समान थे, अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित नहीं किया है कि रक्त के नमूने श्रमवीर के पतलून पर या राम कुमार कल्याण के पायजामे पर थे।सिर्फ इसलिए कि राम कुमार कल्याण के पायजामे पर खून था, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने श्रमवीर को गोली मारी थी।श्रमवीर की पतलून के नमूने नबित के खून के होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।यह एक छोटा सा कमरा था और श्रामवीर द्वारा गोली मारे जाने पर नबित का खून बिखरा हुआ था और इसलिए श्रामवीर के कपड़ों, विशेष रूप से उसके पतलून पर जा सकता था।

अगर राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर नबित का खून होता, तो यह अप्रत्याशित नहीं होता।वास्तव में इसकी काफी उम्मीद की जा रही थी।राम कुमार कल्याण से शायद ही उम्मीद की जा सकती थी कि वह अपने बेटे को नहीं छुएंगे।

उसे गोली मारकर मार दिया।श्रमवीर की कमीज के नमूने भी नहीं लिए गए।सबूत अनिर्णायक हैं।यह किसी भी तरह से राम कुमार कल्याण के अपराध को साबित नहीं कर सकता है।

(75) श्री बजाज ने तर्क दिया कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि खून आपस में मिला हुआ था और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि श्रमवीर के कपड़ों पर खून उसका अपना खून था।कारणों से हम पहले ही कह चुके हैं कि यह अत्यधिक संभावना है कि श्रमवीर की पतलून पर खून नबित का खून था।दिलचस्प बात यह है कि उनकी शर्ट के नमूने नहीं लिए गए थे।दुर्भाग्य से किसी भी पक्ष के रक्त के नमूने नहीं लिए गए थे।पी. डब्ल्यू. 23 ने अपराध स्थल (Ex.P42) की अपनी यात्रा के संबंध में अपनी रिपोर्ट में पैराग्राफ-बी में देखा कि एफ. एस. एल. टीम पूर्वाहन डी. 2 पर सुबह 1 बजे घटना स्थल पर पहुंची जब यह देखा गया कि खून का पूल पड़ा हुआ था जहां नबित मृत पड़ा था।इसमें यह भी कहा गया है कि खून उस स्थान पर मौजूद था जहां श्रमवीर मृत पड़ा था।वे सभी एक छोटे से कमरे में थे और नबित और श्रमवीर के खून के आपस में मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(76) विद्वान न्यायाधीश ने राम कुमार कल्याण को दोषी ठहराने में पीडब्लू 22 के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया।विद्वान न्यायाधीश ने आइटम नंबर 2 और 3 पर दो कपड़ों पर डीएनए प्रोफाइल को समान होने का उल्लेख किया और कहा कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि डीएनए परीक्षण एक पूर्ण विज्ञान है और यदि ठीक से किया जाता है तो यह अचूक है।उन्होंने आगे कहा कि राम कुमार इस बारे में कोई ठोस या विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं कि उनके कपड़ों पर खून कैसे आया और उन्होंने खंड 313 Cr.P.C के तहत अपने बयान में यह भी नहीं कहा कि उन्होंने अपने मृत बेटे को किसी भी तरह से संभाला था।त्रुटि गलत आधार पर आगे बढ़ने में थी कि यह राम कुमार कल्याण और श्रमवीर के कपड़ों पर श्रमवीर का खून था।हालाँकि, आधार स्वयं स्थापित नहीं किया गया था।

(77) राम कुमार कल्याण को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ी।वह निर्दोष माने जाने का हकदार था।अभियोजन पक्ष को अपना दोष साबित करना था।डीएनए नमूना संभवतः उसे दोषी साबित नहीं कर सकता है।विद्वान न्यायाधीश ने यह भी माना कि यह राम कुमार कल्याण के पायजामे पर श्रमवीर का खून था।इसका कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, इस आधार पर खुद को आधार बनाते हुए उन्होंने राम कुमार कल्याण को दोषी ठहराया या यह नहीं बताया कि श्रमवीर का खून उनके कपड़ों पर कैसे आया था।यह धारणा कि राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर खून श्रामवीर का था, जैसा कि हम पहले ही मान चुके हैं, गलत है।इसे स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं था।

(78) विद्वान न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि डी. एन. ए. रिपोर्ट ने शिकायतकर्ता के कथन की पुष्टि की कि राम कुमार कल्याण

श्रामवीर की गर्दन में करीब से गोली मारी गई थी और इसी वजह से उसके कपड़ों पर खून आ गया था।यहाँ कुछ उलझन है।यह निष्कर्ष इस गलत आधार पर है कि यह श्रमवीर का खून है जो राम कुमार कल्याण के पायजामे पर पाया गया था।

(79) श्री नरूला ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः-

(ए) कंस बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 2 में, सुप्रीम

अदालत ने कहाः-

"11. जहाँ तक रक्त के दाग वाली कमीज या धोती की बरामदगी का संबंध है, जो सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त से सना हुआ था, लेकिन रक्त के समूह के बारे में सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं है और इसलिए इसे मृतक के साथ सकारात्मक रूप से जोड़ा नहीं जा सकता है।जाँच अधिकारी के साक्ष्य या रिपोर्ट में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि रक्त के दाग के आयाम क्या थे।किसी व्यक्ति के कपड़ों पर कुछ छोटे-छोटे खून के धब्बे उसके अपने खून के भी हो सकते हैं, खासकर अगर कोई ग्रामीण इन कपड़ों को पहनता है और गाँवों में रहता है।रक्त समूह के बारे में साक्ष्य केवल मृतक के साथ रक्त के धब्बों को जोड़ने के लिए निर्णायक है।वह साक्ष्य अनुपस्थिति है और मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय में, यह भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।" (जोर दिया गया)।

(ख) राजस्थान राज्य बनाम राजाराम 3 में, सुप्रीम कोर्ट ने

अदालत ने कहाः-

"21. कथित रूप से जब्त किए गए कपड़ों पर खून के धब्बों पर आते हुए, अभियुक्त द्वारा इंगित किए जाने पर, फोरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट ने संकेत दिया कि अभियुक्त की शर्ट और पतलून पर मानव खून के धब्बे थे।रक्त समूह का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।वास्तव में, उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को नोट किया और कहा कि वसूली के समय पीडब्लू 4 की उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि वह एक अविश्वसनीय गवाह पाया गया है।यह देखा गया कि भले ही यह है

2 1987(2) आर. सी. आर. (क्रोरल) 157

3 2003(8) एस. सी. सी., 180 राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

739

यह स्वीकार करते हुए कि खून का अस्तित्व था, यह स्थिति ऐसी नहीं है जिससे यह पाया जा सके कि आरोपी अपराध का अपराधी था।उपरोक्त रिपोर्ट में (विस्तार से। 61) यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कपड़ों पर पाए गए रक्त के रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका था।न तो मृतक का रक्त समूह निर्धारित किया गया था और न ही आरोपी का।उस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी का खून होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।कथित अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकार्यता से संबंधित साक्ष्य की अस्वीकृति के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखते हुए, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो असमर्थनीय हों।हम अपीलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं और उन्हें खारिज कर दिया जाता है।" (जोर दिया गया)।

(80) निर्णय अभियुक्त के मामले का समर्थन करते हैं।डी. एन. ए. परीक्षणों का बहुत कम महत्व होता है जब तक कि कपड़ों पर रक्त समूह और अभियुक्त के रक्त समूह के बीच कोई संबंध न हो।कपड़ों पर खून को सकारात्मक रूप से राम कुमार कल्याण और राम कुमार कल्याण के रक्त समूह का नहीं कहा जा सकता है।इसलिए, संपर्क स्थापित नहीं किया गया था।

पीडब्लू-23 डॉ. R.K.Koshal, सहायक निदेशक, बैलिस्टिक, एफएसएल, हरियाणा

(81) यह हमें बंदूक की गोली के अवशेष (जी. एस. आर.) के सवाल पर लाता है।श्री नरूला ने बताया कि वास्तव में हर जगह केवल नाइट्राइट परीक्षण का उल्लेख किया गया है।फैसले के पैराग्राफ-55 में, विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी की इस दलील को खारिज कर दिया कि लॉबी में अंधाधुंध गोलीबारी हुई थी जो लगभग 12 'x 15' थी, राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर धुएँ का पाउडर जमा होने की संभावना थी।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अगर राम कुमार कल्याण श्रमवीर के निकट संपर्क में नहीं आते तो उनके कपड़ों पर जी. एस. आर. नहीं हो सकता था क्योंकि मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी पर मोदी की टिप्पणी के अनुसार हाथ की बंदूक का धुआं/पाउडर केवल 60 सेंटीमीटर की सीमा में यात्रा करता है।यह, यह माना गया था, इस कथन का समर्थन करता है कि राम कुमार कल्याण ने श्रमवीर की गर्दन पर गोली चलाई थी क्योंकि अन्यथा उनके कपड़ों पर गोली का पाउडर मिलने की कोई संभावना नहीं है।

(82) सबसे पहले, जैसा कि श्री नरूला ने सही बताया, यह बचाव का मामला कभी नहीं था कि राम कुमार कल्याण के करीब नहीं गए।

रेणुका, नबित और श्रामवीर।यह स्पष्ट है कि गोलीबारी के बाद वह उनके आसपास रहा होगा।उनके आसपास न होना उनके लिए अस्वाभाविक होगा।बाकी सब के अलावा, उनके बेटे को गोली मार दी गई थी।यह कभी भी नहीं माना जा सकता है कि एक पिता अपने बेटे के पास नहीं जाएगा, भले ही वह क्षेत्र बड़ा हो।न ही राम कुमार कल्याण ने कभी यह आरोप लगाया कि उन्होंने घटना में शामिल तीन व्यक्तियों को नहीं छुआ था।श्री बजाज का प्राथमिकी आर. में इस बात पर भरोसा कि जब श्रामवीर ने गोली चलानी शुरू कर दी और वह संयोग से बच गया तो उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया, बचाव पक्ष के मामले के खिलाफ नहीं है।यह इस बात का संदर्भ था कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद क्या हुआ।राम कुमार कल्याण ने कभी नहीं कहा कि उसके बाद वह कमरे से बाहर नहीं निकले।

(83) मोदी की टिप्पणी पर विद्वान न्यायाधीश की निर्भरता भी गलत है।अध्याय 24, पृष्ठ 543 में, लेखक यह नहीं कहता है कि एक बन्दूक का धुआं/पाउडर केवल लगभग 60 सेंटीमीटर की सीमा में यात्रा करता है।यह टिप्पणी का गलत अध्ययन है।"बन्दूक की चोटों या कपड़ों पर गोली के छेद में देखी गई निकट दूरी की घटना" शीर्षक के तहत जो कहा गया है वह इस प्रकार हैः-

"बन्दूक की चोटों या कपड़ों पर गोली के छेद में निकट दूरी की घटना देखी गई

घटनाएँ	सीमा और टिप्पणियां
....……...... ....……	....
3. टैटू बनाना	लगभग 60 सेमी तक की बन्दूकें। आमतौर पर 75 सेमी तक की राइफलें। 100-300 m तक की बन्दूकें (उच्च सीमा पर सावधानीपूर्वक खोज के बाद पाई जा सकती हैं)। "

इसलिए, 60 सेंटीमीटर की सीमा केवल टैटू बनाने के मामले में है और धुएँ के पाउडर के निशान के लिए नहीं जब बंदूक को दूर से दागा जाता है।इसके अलावा, इस टिप्पणी को किसी भी गवाह

द्वारा गवाही भी नहीं दी गई थी।यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों में से किसी ने टिप्पणी का उल्लेख किया होता, तो बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को उससे जिरह करने और किसी भी स्थिति में, कम से कम स्पष्ट करने का अवसर मिलता कि टिप्पणी का वास्तव में क्या अर्थ है।इस प्रकार, जिस आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर पाए गए बंदूक की गोली के अवशेष पर भरोसा किया, वह गलत है।

(84) कि गोली के अवशेष राम कुमार कल्याण के

कपड़े, किसी भी मामले में, यह साबित नहीं करते हैं कि उनका अपराध कई अन्य तथ्यों से भी स्पष्ट है।

(85) जैसा कि श्री नरूला ने ठीक ही बताया, अन्य गवाहों ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया था कि राम कुमार कल्याण ने हथियार को संभाला था या उसे चलाया होगा।पीडब्लू23 ऐसा नहीं कहता है।अन्य गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा था कि पीडब्लू 23 की रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को देखते हुए राम कुमार कल्याण ने पिस्तौल चलाई होगी।

(86) पीडब्लू23 ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ-3 में कहा कि बंदूक की गोली के अवशेष/पाउडर कणों का पता लगाने का परीक्षण श्रमवीर और नबित के दोनों हाथों पर किया गया था और परीक्षण श्रमवीर के दाहिने हाथ पर सकारात्मक पाया गया था।रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि राम कुमार कल्याण के "हाथों और कपड़ों" पर भी गोली के अवशेष का परीक्षण किया गया था और राम कुमार कल्याण के पायजामा और टी-शर्ट पर नाइट्राइट/गोली के अवशेष पॉजिटिव पाए गए थे।यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि राम कुमार कल्याण के हाथों पर नाइट्राइट/बंदूक की गोली के अवशेष पाए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि उनके हाथों का भी परीक्षण किया गया था।(87) इस पूर्वाहन बजाज ने कहा कि परीक्षण केवल अगले दिन सुबह 10.00 पर किया गया था, यानी लगभग दस घंटे के बाद।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि इस बीच राम कुमार कल्याण ने अपने हाथ धोए और इसलिए, नाइट्राइट/बंदूक की गोली के अवशेष का कोई निशान नहीं था।

(88) यह एक काल्पनिक तर्क है।गवाह से स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया था।न तो अपनी रिपोर्ट में और न ही अपने बयान में गवाह ने कहा कि हाथ धोने की स्थिति में गोली के अवशेष नहीं मिलेंगे।श्री बजाज ने तब कहा कि यह जाँच में एक त्रुटि थी।निश्चित रूप से राम कुमार कल्याण को जाँच में त्रुटि के कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इसके अलावा, गवाह अपने साक्ष्य में इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकता था।

(89) पी. डब्ल्यू. 23 (Ex.43) की रिपोर्ट पर श्री बजाज की निर्भरता रिपोर्ट के लिए कोई सहायता नहीं है या यह नहीं बताती है कि राम कुमार कल्याण ने हथियार को संभाला था।अंत में, "परिणाम" शीर्षक के तहत यह कहा गया हैः

"3. पार्सल No.VI में निहित कपड़ों पर गोली के अवशेषों की उपस्थिति से पता चलता है कि व्यक्ति गोलीबारी के निकट था।"

इस प्रकार, पीडब्लू 23 का निष्कर्ष केवल यह है कि राम कुमार कल्याण

वह गोलीबारी के निकट था और यह नहीं कि उसने हथियार संभाला था।गवाहों ने यह भी नहीं बताया कि राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर मिले गोली के अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि उसने हथियार संभाला था।श्री नरूला ने ठीक ही कहा कि यदि कोई पहलू, जो तथ्य के प्रश्न को निर्धारित करने में मदद करता है, अभियोजन पक्ष/अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा नहीं देखा जाता है, तो अभियुक्त के खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।उनके आगे के निवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उस मामले में अभियुक्त के पक्ष में एक निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।

(90) इस मुद्दे पर एक अतिरिक्त पहलू है।जैसा कि हमने पहले बताया, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि राम कुमार कल्याण के कपड़े दो दिनों तक कहाँ थे।हमने पहले पीडब्लू14 और पीडब्लू17 के साक्ष्य का उल्लेख किया था।उन्होंने कपड़े प्राप्त किए।उनके हलफनामों में उन्हें मिले कपड़ों का उल्लेख है जिसमें राम कुमार कल्याण के कपड़े शामिल नहीं थे।हालाँकि, एक-दो दिन बाद, राम कुमार कल्याण के कपड़े अचानक दिखाई देने पर मामले की संपत्ति उन्हें वापस कर दी गई।इस अवधि के दौरान राम कुमार कल्याण के कपड़े कहाँ थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है।भले ही यह तथ्य अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले में कमजोरी दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसे हमने जिन अन्य परिस्थितियों का उल्लेख किया है, उनके साथ लिया जाए, यह अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर देता है।इस साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना पर्याप्त है कि अभियोजन पक्ष राम कुमार कल्याण के कपड़ों पर मिले बंदूक की गोली के अवशेष के आधार पर उसके अपराध को स्थापित करने में विफल रहा है।

(91) राम कुमार कल्याण के कपड़ों के संबंध में एक और विसंगति है।Ex.P36 इंस्पेक्टर-एसएचओ करनाल द्वारा 23.04.2008 पर तैयार किए गए कपड़ों की वसूली ज्ञापन की प्रमाणित प्रति का अनुवाद है।यह घटना के समय राम कुमार कल्याण द्वारा पहने गए कपड़ों के पार्सल के संबंध में है।इसमें कहा गया है कि "आकाश का निचला रंग और पीले रंग की टी-शर्ट का उत्पादन"।हम मानते हैं कि निचले हिस्से का संदर्भ उनके 'पायजामा' के लिए है।पी. डब्ल्यू. 22 Dr.Pandu

गुगुलोथ, हालांकि, पायजामा का रंग धूसर बताता है जबकि पुनर्प्राप्ति ज्ञापन इसे आकाश का रंग बताता है जो संभवतः नीला रंग है।अभियोजन पक्ष ने रंग में इस अंतर के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।वसूली ज्ञापन पर राम कुमार कल्याण ने भी हस्ताक्षर किए थे।टी-शर्ट के रंग में विसंगति महत्वपूर्ण नहीं है-जबकि रिकवरी मेमो में इसे पीला पीडब्लू 22 बताया गया है जिसे 'नारंगी' के रूप में वर्णित किया गया है।

(92) हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता श्री कपिल अग्रवाल ने श्री बजाज की दलीलों को स्वीकार किया।हालाँकि, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, उन्होंने Mr.Bajaj

यह तर्क कि पीडब्लू 23 के साक्ष्य को खारिज कर दिया जाना चाहिए।(93) रक्षा गवाह-3 (डी. डब्ल्यू. 3) Dr.S.K.Dhattarwal, प्रोफेसर फोरेंसिक मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रोहतक का साक्ष्य बहुत प्रासंगिक नहीं है।उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था।उन्होंने कहा है कि उन्होंने न्यायिक फाइल देखी है द्वारा चोटों के बारे में अपनी विशेषज्ञ राय दी है।हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस न्यायिक फाइल के किस हिस्से की जांच की थी।

(94) श्री नरूला ने तब कहा कि यह मानते हुए भी कि अभियोजन पक्ष के मामले में श्रामवीर ने खुद को सीने पर गोली मारी थी, स्वीकार किया जाता है, श्रामवीर की गर्दन में गोली राम कुमार कल्याण द्वारा नहीं चलाई गई थी।उन्होंने इसे पीडब्लू8 के साक्ष्य से और दो मॉडलों-एक स्केल्टन और एक मानव चेहरे के उपयोग के साथ प्रदर्शित किया।उनके अनुसार गोली का प्रक्षेपवक्र घावों से स्पष्ट है।उन्होंने जो प्रक्षेपवक्र प्रस्तुत किया वह ऐसा था कि गोली केवल किसी के लेटने या कम से कम श्रामवीर के नीचे गिरने के बाद उसके बगल में फर्श पर झुकने से चलाई जा सकती थी।

(95) पीडब्लू8 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहाः- “3. गर्दन के दाहिने हिस्से में 1 x 0.75 सेमी मापने वाला एक और घाव था।4 ठोड़ी की नोक से सेमी नीचे, उल्टे किनारों के साथ मध्य रेखा को छूते हुए और 2 x 1.7 सेमी के आसपास के क्षेत्र में त्वचा के काले होने के साथ।ठोड़ी पर बालों का गायन मौजूद था।

4. बाईं आंख की गेंद और पलकें सूज गई थीं।दोनों की आँखें भर आई थीं।

चोट संख्या 3 की जांच करने पर, ट्रैक ऊपर की ओर, बाहर की ओर बाईं ओर जा रहा था।विच्छेदन पर मैक्सिलरी एंट्रम की कठोर तालू की निचली दीवार और बाईं ओर के एंट्रम की छत टुकड़ों में टूट गई थी।धातु की वस्तु का एक हिस्सा बाईं आंख की दीवार में प्रभावित हुआ था और धातु की वस्तु का एक हिस्सा बाईं फ्रंटल साइनस में मौजूद था।एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमोटोमा दोनों फ्रंटल लोब में मौजूद था और बायीं मैक्सिलरी एंट्रम खून से भरा हुआ था।”

गोली इसलिए गर्दन के दाहिने हिस्से में घुस गई और फिर ऊपर की ओर, बाहर की ओर और बाईं ओर चली गई।रेणुका कल्याण, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, ने कहा कि राम कुमार कल्याण ने दूर से गोली चलाई और श्रामवीर फर्श पर थे।उस घटना में गोली

इस रास्ते से कभी नहीं गए होंगे।कोण पूरी तरह से अलग है।गोली गर्दन में प्रवेश करने पर बाईं ओर नहीं मुड़ती है।यह सबूत नीचे से पिस्तौल चलाने वाले व्यक्ति के अनुरूप है।यह भी Mr.Bajaj स्वीकार करता है।श्री बजाज ने यह तर्क देते हुए इसका सामना करने का प्रयास किया कि राम कुमार कल्याण श्रमवीर के ठीक बगल में फर्श पर लेट गए और पिस्तौल से गोली चला दी।

(96) यह रेणुका कल्याण का मामला नहीं है कि राम कुमार कल्याण घटना के दौरान किसी भी स्तर पर श्रमवीर के पास गिर पड़े।Mr.Bajaj ने हमें यह मानने के लिए आमंत्रित किया कि राम कुमार कल्याण श्रमवीर के बगल में लेटा हुआ है या कम से कम श्रमवीर के पास लेटा हुआ है और फिर गोली चला दी।आपराधिक मामले में इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई अदालत इस तरह से और इस हद तक अटकलें नहीं लगा सकती है।इस संबंध में किसी भी गवाह की ओर से, यहां तक कि रेणुका की ओर से भी कोई कानाफूसी नहीं की गई है।यह केवल इस अपील में बार के पार एक प्रस्तुति है।यह सुझाव विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष भी नहीं दिया गया था।यह मुख्यमंत्री को रेणुका की शिकायत दिनांक 18.02.2009 (Ex.P21) के विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा थाः

“फिर मेरी सास ने मेरे ससुर को उकसाया जिन्होंने मेरे भाई श्रमवीर की ठोड़ी पर थोड़ी दूरी से आग लगा दी और उसके बाएं कान में भी आग लगा दी और इसके बाद वह नीचे गिर गईं।

प्रत्यक्षदर्शी रेणुका ने खुद कहा कि "राम कुमार कल्याण ने कुछ दूरी से अपने भाई की ठोड़ी पर बंदूक चलाई।"प्रत्यक्षदर्शी ने खुद यह कहा है कि यह मानने का कोई सवाल ही नहीं है कि राम कुमार कल्याण गोली चलाने के समय श्रमवीर के पास लेटे हुए थे या झुके हुए थे।

(97) वास्तव में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या राम कुमार कल्याण ने गोली चलाई जैसा कि रेणुका ने आरोप लगाया था।

(98) जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया कि पीडब्लू8 ने कहा कि गर्दन पर यह एक निकट संपर्क घाव था।हमने इस साक्ष्य का विश्लेषण किया और पहले यह माना कि यह आरोपी के मामले के अनुरूप था कि चोट आत्महत्या थी न कि हत्या।पीडब्लू8 अभियोजन पक्ष का गवाह है।दोहराने की कीमत पर उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करने के लिए कोई आवेदन नहीं था और उसकी फिर से जांच भी नहीं की गई थी।यह उनकी गवाही थी।इस आशय की गवाही को किसी अन्य गवाह द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया गया है।इसका किसी अन्य गवाह ने भी खंडन नहीं किया है।यह इस तथ्य से

अलग है कि क्या रेणुका इस गोली को देखने की स्थिति में भी थी, जो स्वीकार किया जाता है कि रेणुका के गोली लगने से घायल होने के बाद चलाई गई थी।हम रेणुका के साक्ष्य पर चर्चा करते हुए इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे।

48

राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

745

(99) नतीजतन, रेणुका और उसके पिता रणबीर सिंह के अलावा अन्य गवाहों के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं।वास्तव में अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ हैं।भौतिक मामलों में यह रक्षा को स्थापित करता है।वास्तव में यह बचाव को इस हद तक स्थापित करता है कि Mr.Bajaj ने खुद को अपने स्वयं के गवाहों का खंडन करते हुए पाया और अदालत को भौतिक मामलों में उन पर अविश्वास करने के लिए आमंत्रित किया।इन गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष को किसी भी तरह से राम कुमार कल्याण के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।इन गवाहों के साक्ष्य के आधार पर हम वास्तव में यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि अभियोजन पक्ष ने राम कुमार कल्याण के खिलाफ मामला स्थापित नहीं किया है, भले ही हमें संभावनाओं के संतुलन के नागरिक कानून परीक्षण को लागू करना था।इस साक्ष्य के आधार पर हमारा मानना है कि राम कुमार कल्याण ने गोली नहीं चलाई थी।

(100) श्री बजाज की यह दलील भी निराधार है कि बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर सकता है।जावेद में

मसूद और दूसरा बनाम राजस्थान राज्य 4, उच्चतम न्यायालय

आयोजितः-

“13. इस न्यायालय ने मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (एन. सी. टी.

दिल्ली) [(2005) 5 एससीसी 258:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1037] ने कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 270-71, पैरा 30-31)

“30. एक ऐसा ही सवाल पहले भी विचार के लिए सामने आया था।

राजा राम बनाम राजस्थान राज्य [(2005) 5 में यह न्यायालय

एससीसी 272:2005 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1050]उस मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जाँच किए गए डॉक्टर के साक्ष्य से पता चला कि मृतक को एक के द्वारा कहा जा रहा था कि उसे आरोपी को फंसाना चाहिए अन्यथा उसे अभियोजन का सामना करना पड़

सकता है।डॉक्टर को 'शत्रुतापूर्ण' घोषित नहीं किया गया था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बचाव पक्ष के लिए डॉक्टर के साक्ष्य पर भरोसा करना खुला है और यह अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है।

31. वर्तमान मामले में, पीडब्लू 1 वेद प्रकाश गोयल के साक्ष्य ने अभियोजन पक्ष की उत्पत्ति को नष्ट कर दिया कि उन्होंने अपनी मारुति कार पुलिस को दी थी जिसमें पुलिस बहाई मंदिर गई थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था।जब गोयल ने उस मामले का समर्थन नहीं किया, तो आरोपी उस सबूत पर भरोसा कर सकता है।"

4 2010(2) आर. सी. आर. (क्रोरल.) 285

उक्त निर्णय में वर्णित कानून का प्रस्ताव हाथ में तथ्यों पर समान रूप से लागू होता है।फैसला अभियोजन पक्ष के गवाहों के संबंध में अधिक बल के साथ लागू होता है जो इच्छुक व्यक्ति नहीं हैं।(101) श्री बजाज ने कहा कि जांच में कुछ खामियां थीं और इसलिए अभियोजन पक्ष को इसके कारण नुकसान नहीं उठाना पड़ सकता है।हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस निवेदन को प्रतिग्रहण करना करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।हमने जांच में किसी भी चूक के लिए आरोपी या उनकी ओर से किसी को जिम्मेदार नहीं पाया है।इसलिए, जांच में खामियां संभवतः आरोपी को प्रभावित नहीं कर सकती हैं।में।

पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह और अन्य, 5 उच्चतम न्यायालय

आयोजितः-

"14. विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले के दौरान कहा है कि पोस्टमार्टम परीक्षण करने वाला डॉक्टर लापरवाही से काम ले रहा था क्योंकि वह दो शवों को शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर के पास भेजने में विफल रहा था, जो शायद इस स्थिति में था कि हाइपोइड हड्डी और ग्रीवा कशेरुका की जांच करने के बाद राय व्यक्त करने की स्थिति में था कि क्या दो मृत व्यक्तियों की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी।हालाँकि यह हो सकता है कि डॉक्टर की ओर से शवों को शरीर रचना विज्ञान विशेषज्ञ के पास भेजना अधिक उचित होता, लेकिन यह तथ्य कि डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया, आरोपी के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं हो सकता है।डॉक्टर की उस चूक के कारण आरोपी को पीड़ित नहीं किया जा सकता है।अभियोजन पक्ष को उस चूक का लाभ देना वास्तव में सभी स्वीकृत सिद्धांतों के विपरीत होगा।आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती है।यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में कोई अंतर या कमी है, तो अभियोजन पक्ष नहीं, बल्कि अभियुक्त इसका लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।"

(102) यह हमें रेणुका (पीडब्लू11) और उसके पिता रणबीर सिंह (पीडब्लू10) के साक्ष्य पर लाता है।पीडब्लू10 रणबीर सिंह, अधिवक्ता, श्रमवीर और पीडब्लू11 रेणुका कल्याण के पिता।

पीडब्लू10 रणबीर सिंह, अधिवक्ता, श्रमवीर और पीडब्लू11 रेणुका कल्याण के पिता।

(103) रणबीर सिंह इस घटना के गवाह नहीं थे।वह था।

5 1975 एस. सी. सी. (सी. आर. एल.) 584

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

747

उनकी बेटी रेणुका ने उन्हें इसकी जानकारी दी और उनके अनुसार इसके बाद जो हुआ उसे अपदस्थ कर दिया।उन्होंने अपने परिवार और राम कुमार कल्याण के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. एस. चीमा के हस्तक्षेप द्वारा से नबहित की संपत्ति से संबंधित विवाद को निपटाने के प्रयासों का उल्लेख किया।2013 के सी. आर. एम.-एम.-32789 में अधिवक्ता के खिलाफ प्रक्रिया से इनकार करने के आदेश के साथ-साथ उनकी बेटी रेणुका द्वारा नबहित की कथित वसीयत को चुनौती देने और कथित रूप से उनकी संपत्ति का गठन करने वाली संपत्तियों के संबंध में राहत पाने के लिए मुकदमा दीवानी मुकदमे में उनका साक्ष्य महत्वपूर्ण है।इसलिए, उनका सबूत राम कुमार कल्याण के अपराध को स्थापित करने में कोई सहायता नहीं करता है।हालाँकि, प्रतिपरीक्षा में उनसे प्राप्त उत्तर रक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।

(104) इसलिए हम रणबीर सिंह के साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख नहीं करेंगे।साक्ष्य को केवल तब तक संदर्भित किया जाएगा जब तक कि यह अभियुक्त के खिलाफ आरोप के लिए प्रासंगिक हो।जैसा कि हम इसके तुरंत बाद विस्तार से बताएंगे, वह स्वीकार करता है कि घटना के लगभग एक पखवाड़े बाद यानी 6/7 मई, 2008 के आसपास राम कुमार कल्याण द्वारा कथित अपराध की जानकारी थी।वह स्वीकार करता है कि राम कुमार कल्याण को न्यायाधीश के कटघरे में लाने या अपने कथित अपराध की रिपोर्ट करने के बावजूद उसने इस मामले में कुछ नहीं किया।उनके व्यवहार और उनकी बेटी रेणुका के व्यवहार की विद्वान न्यायाधीश ने कड़ी आलोचना की है।अगर, वास्तव में, राम कुमार कल्याण ने श्रमवीर और रेणुका, पीडब्लू 11, और उसके पिता रणबीर सिंह को गोली मार दी थी, तो पीडब्लू 10 को इसके बारे में पता था और फिर भी परिवारों के बीच संपत्ति विवाद के निपटारे के लिए बातचीत जारी रखी, यह वास्तव में चौंकाने वाला होता और विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां पूरी तरह से उचित होतीं।हालाँकि, हम इन तथ्यों को पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जैसा कि बाद में संकेत दिया गया है।

(105) रणबीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में इस प्रकार कहा दिनांक 22.04.2008 रात 8:30 बजे उसके घर आया और रेणुका को नीचे आने के लिए कहा जो उसने अपनी बेटी अन्न्या के साथ किया।नबित अन्न्या को जबरन ले गया और चला गया।यह उसकी प्रतिपरीक्षा में रेणुका के बयान

के विपरीत है जिसमें उसने कहा था कि क्योंकि अन्न्या अस्वस्थ थी और उसकी चिकित्सा जांच की आवश्यकता थी और क्योंकि नबित उस दिन उसे चिकित्सा जांच के लिए नहीं ले गया था, इसलिए उसने उसे अनन्या की चिकित्सा जांच कराने के लिए कहा।उसने आगे कहा कि उसके कहने पर नबित ने 2 या 3 मिनट के भीतर अनन्या को ले लिया।रेणुका ने तब स्वेच्छा से कहा कि वह उसे जबरन ले गया।उन्होंने जो स्वेच्छा से किया वह एक विचार था।अगर उसने स्वीकार किया होता कि वह अनन्या को चिकित्सा जांच के लिए ले जाने के लिए कहती और उसने ऐसा किया होता, तो कोई नहीं होता।

सवाल यह है कि उसने अनन्या को जबरन ले लिया था।रणबीर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहाःइसके बाद, श्रामवीर और रेणुका राम कुमार कल्याण के घर अन्न्या को वापस लाने के लिए गए क्योंकि रेणुका अपनी बेटी से अलगाव को सहन नहीं कर सकती थी।मध्यरात्रि 12 बजे (कॉल रिकॉर्ड से यह 11:52 पी. एम.), उन्हें राम कुमार कल्याण का फोन आया जिसमें कहा गया था कि उनके घर पर गोलीबारी हुई थी और रेणुका और नबित की मौत हो गई थी, लेकिन श्रामवीर अभी भी जीवित था।वह अपनी पत्नी के साथ राम कुमार कल्याण के घर गया और पाया कि श्रमवीर, नबित और रेणुका वहां नहीं थे, लेकिन पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई थी।राम कुमार कल्याण फोन पर बात कर रहे थे जबकि उनकी पत्नी ओम लता कल्याण और उनकी बहन रो रहे थे।उन्होंने राम कुमार कल्याण को यह कहते हुए सुना।

फोन पर कोई "भाई साहब आप सम्भल लेना" (भाई अब

चीज़ों का ध्यान रखें/ध्यान रखें)।उसकी बहन के बेटे ने उसे फोन पर सूचित किया कि नबित और श्रमवीर की मृत्यु हो गई है लेकिन रेणुका जीवित है।उन्होंने उन्हें रेणुका को दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाने के लिए कहा।

दोपहर 2:30 बजे एस. एच. ओ. सदर उसके घर गया और हथियार के बारे में पूछताछ की, जिस पर उसने खुलासा किया कि उसके पास तीन हथियार थे जिनमें से दो घर में थे और तीसरा पूर्वाहन उसकी सहमति के बिना अलमारी तोड़कर ले लिया था।उन्होंने दोनों हथियार एसएचओ को सौंप दिए। एस. एच. ओ. ने अलमारी का निरीक्षण करने के बाद घर छोड़ दिया।यहां यह ध्यान दें महत्वपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 12 की जांच की, जिसने कहा कि 29-04-2009 घटना के लगभग एक साल बाद अलमीरा का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था, लेकिन एसएचओ, सदर से पूछताछ नहीं की, जिन्होंने उनके अनुसार, घटना के ढाई घंटे बाद अलमीरा का निरीक्षण किया था।हम पहले ही अलमारी के संबंध में पीडब्लू 12 के साक्ष्य पर विस्तार से विचार कर चुके हैं।

मुख्य परीक्षा इस प्रकार जारी हैःघटना के अगले ही दिन उन्हें राम कुमार कल्याण द्वारा उनके और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बारे में पता चला।उसी दिन उन्हें अधिवक्ता राजिंदर सिंह चीमा का टेलीफोन आया, जिन्होंने उन्हें मामले को निपटाने की सलाह दी और कहा कि वह समझौता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि वह दोनों परिवारों के करीबी थे।उन्होंने ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की।कुछ दिनों के बाद, उन्होंने एक शोक यात्रा की जब इसी तरह की बातचीत हुई।अधिवक्ता यह कहते हुए चला गया कि वह शोक की अवधि के बाद आवश्यक कार्य करेगा।हालाँकि, 22-05-2008 पर शोक की अवधि के दौरान, राम कुमार कल्याण ने उन्हें फोन करके एक बैठक में भाग लेने पर जोर दिया, जिसमें उनके बहनोई, राम कुमार कल्याण और उनके मामा राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शामिल थे।

52

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

749

राम किशन और यह कि मामले का निपटारा अधिवक्ता द्वारा से किया जाए।राम कुमार कल्याण ने अपने प्रतिरोध के बावजूद शोक की अवधि के दौरान समझौते पर जोर दिया।गवाह ने तब एक समझौते का पता लगाने के लिए बैठकों का विवरण दिया।

(106) तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं।सबसे पहले, संपत्तियों से संबंधित समझौते के संबंध में बैठकें बुलाई गईं।दूसरा, दोनों परिवारों के विभिन्न सदस्यों ने इसमें भाग लिया।तीसरा, 12.05.2008,17.05.2008,20/21.05.2008,26.05.2008 और 28.05.2008 पर आयोजित बैठकों का संदर्भ है।इन बैठकों के दौरान, शपथ पत्र बनाए गए और निपटान विलेखों का आदान-प्रदान किया गया, अधिवक्ता और गवाह द्वारा परिवर्तन किए गए जो स्वयं काफी प्रतिष्ठा के वकील हैं।वसीयत का नहीं बल्कि वसीयत के साथ-साथ वसीयत तैयार करने का भी संदर्भ है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 28.05.2008 पर, अधिवक्ता इस गवाह के घर गया और रेणुका से भी मिला, जिन्हें तब तक अपोलो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।अधिवक्ता ने कथित तौर पर रेणुका से कहा कि वह मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे।हम मानेंगे कि रणबीर सिंह को जून, 2008 में संदेह होने लगा, जब वह एस्टेट अधिकारी, हुडा, करनाल के कार्यालय गए और उन्हें पता चला कि एक कथित वसीयत और उनकी बेटी रेणुका के हलफनामे के आधार पर नबहित के नाम पर एक भूखंड ओम लता के नाम पर स्थानांतरित किया गया था।उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत अधिवक्ता को अपने मोबाइल पर बुलाया और उन्हें मनगढ़ंत वसीयत के बारे में सूचित किया।अधिवक्ता ने उन्हें सूचित किया कि राम किशन ने उन्हें खुद दो वसीयतें दिखाई हैं, कि वह 26.06.2008 पर भारत लौट रहे हैं और इसलिए, वह एक सामान्य वसीयत के साथ वसीयत को बदल देंगे।रणबीर सिंह का कहना है कि किसी तरह उन्होंने उन पर विश्वास किया।हमें यहाँ यह टिप्पणी करने के लिए रुकना चाहिए कि जाँच-इन-चीफ में आने वाले उनके साक्ष्य से ही पता चलता है कि रणबीर सिंह वसीयत बदलने के लिए सहमत थे।संभवतः यदि बदली हुई वसीयत उन्हें

स्वीकार्य होती तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होती।दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में यह कहकर जवाब नहीं दिया कि वसीयत को बदला नहीं जा सकता है और कथित रूप से इसे बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद वसीयत को बदले जाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।हालाँकि, यह एक अलग मामला है जो अन्य कार्यवाहियों में प्रासंगिक होगा।

(107) अधिवक्ता के लौटने पर, समझौते की बातचीत जारी रही।सुनने में भले ही हैरान करने वाला लगे, रणबीर सिंह अपने मुख्य परीक्षण में फिर से कहते हैंः"मैंने फिर से उनसे वसीयत बदलने के लिए कहा, लेकिन आरोपी पक्ष से बात करने के बाद श्री चीमा ने जुलाई के अंत में मुझे सूचित किया कि दूसरा पक्ष वसीयत बदलने के लिए तैयार नहीं है।पहले का बयान था।

जाहिर है, आकस्मिक नहीं।इसे जानबूझकर बनाया गया था।गवाह स्वयं वास्तव में एक मृत व्यक्ति की वसीयत को बदलने की मांग कर रहा था।साक्ष्य समझौता, मुकदमा दायर करने, उसे खारिज करने, आवेदन के साथ-साथ बहाली के लिए आवेदन पर आदेश की आगे की बातचीत का वर्णन करता है।वह उन शिकायतों को भी संदर्भित करता है जिनमें वे शिकायतें भी शामिल हैं जिनका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं।

(108) इस प्रकार, जाँच-इन-चीफ के चरण तक, गवाह कहता है कि अपने बेटे की मृत्यु के अगले ही दिन उसने अधिवक्ता के हस्तक्षेप द्वारा से और कभी-कभी दोनों परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति में राम कुमार कल्याण के साथ बातचीत की।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये बातचीत जुलाई महीने तक चली और मई के अंत तक जोरदार तरीके से जारी रही।

(109) अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य आता है।रणबीर सिंह ने इस प्रकार कहाः-

"पैरा नं. में शिकायतकर्ता (एस. आई. सी.) में उल्लिखित सभी तथ्य।3 दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब मेरी बेटी करनाल वापस आई तो उसने भी मुझे इस बारे में बताया और मैंने अपनी बेटी को घटना के दिन से लेकर छुट्टी तक की सभी घटनाओं के बारे में सूचित किया और मेरी बेटी ने मुझे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उससे कहा कि चूंकि मैंने श्री चीमा को सौहार्दपूर्ण समझौते का आश्वासन दिया है और वादा किया है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।लेकिन जब समझौता विफल हो गया और हमारे साथ धोखाधड़ी की गई तो मेरी बेटी ने वर्तमान शिकायत दर्ज कराई।"

जिरह में उन्होंने इस प्रकार कहाः-

"पहली बार जब मैं अस्पताल में अपनी बेटी से मिलने गया तो मुझे उससे वास्तविक तथ्यों के बारे में पता चला, लेकिन जब वह 22.5.2008 पर इलाज के बाद मेरे घर लौटी तो उसने मुझे पूरे

तथ्यों का खुलासा किया, लेकिन मुझे वह तारीख याद नहीं है जब मैं दिल्ली के अस्पताल में अपनी बेटी से मिलने गया था, लेकिन जहां तक मुझे याद है वह घटना के चौदह या पंद्रह दिनों के बाद की थी।मुझे पता चला कि राम कुमार ने मुझे और मेरी पत्नी, मेरी बेटी को उनके बेटे की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में फंसाने के लिए पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी।जब मैं पहली बार अपनी बेटी से मिला तो मुझे संकेत मिला कि कैसे मेरे राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

751

बेटे को मार दिया गया था और जिसने मार दिया था, लेकिन पूरे तथ्य मेरे ध्यान में केवल 22.5.2008 पर आए।यह सही है कि वास्तविक तथ्यों के बारे में जानने के बाद, मैंने अपनी बेटी रेणुका, राम कुमार और ओम लता के शपथ पत्र तैयार किए, लेकिन उन तथ्यों का उल्लेख दिनांकित शपथ पत्र में नहीं किया गया था।स्वेच्छा से कि यह सब श्री आर. एस. चीमा के आश्वासन पर किया गया था, जिन्होंने मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया है।यह सही है कि भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत अपराध गैर-शमनीय है।यह कहना गलत है कि 26.5.2008 दिनांकित हलफनामों को देखते हुए, राम कुमार को हत्या के आरोपों से बचाया जा सकता था।स्वैच्छिक रूप से ऐसा किया लेकिन प्राथमिकी आर. को रद्द कर दिया गया होगा।यह सही है कि हमने इस घटना के बारे में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए खंड 156 (3) Cr.P.C के तहत एक आवेदन दायर किया है, लेकिन यह गलत है कि उस आवेदन में 26.5.2008 दिनांकित हलफनामों पर भी भरोसा किया गया था।मैंने उपर्युक्त आवेदन मार्क-डी1 की फोटो प्रति देखी है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं।मैंने मार्क-डी1 अनुप्रयोग की सामग्री सुनी है जो सही है।इस आवेदन में उपर्युक्त शपथपत्रों का संदर्भ सही है।स्वयंसेवी है कि केवल हलफनामों का सार उल्लेख किया गया है।22.5.2008 पर अपनी बेटी से पूरे तथ्यों के बारे में जानने के बाद मैंने अपनी ओर से कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।स्वेच्छा से कहा कि यह श्री आर. एस. चीमा द्वारा शुरू किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए था, जैसा कि मैंने अपनी परीक्षा में बताया था।यह सही है कि समझौता विफल होने के बाद भी मैंने आज तक पुलिस या अदालत में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।"

हमने पहले रेणुका के साक्ष्य से एक उद्धरण निकाला जिसमें उसने कहा कि उसने अपने पिता को घटना के सभी विवरणों का खुलासा किया और उससे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने यह कहते हुए ऐसा नहीं किया कि समझौते की बात चल रही थी।

(110) न्यायाधीश ने रणबीर सिंह और उनकी बेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।उन्होंने कहा कि उनका कार्य और आचरण निंदनीय है क्योंकि संपत्ति के लिए, उन्होंने वास्तविक अपराधी की जांच करने की साजिश रची और अगर उन्हें समझौते के अनुसार या अन्यथा संपत्ति मिली होती,

तो अपराध पर किसी का ध्यान नहीं जाता।विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि में विभिन्न सुधार हुए थे।

रेणुका और रणबीर सिंह की गवाही और यह कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कानूनी बिरादरी के एक वरिष्ठ सदस्य की छवि को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन वे उनके बीच साजिश साबित करने में विफल रहे।यदि हम विद्वान न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत होते, तो हम इन टिप्पणियों से भी पूरी तरह सहमत होते।हालाँकि, बाद में बताए गए कुछ अन्य तथ्यों के साथ उनका आचरण ही हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि राम कुमार कल्याण ने श्रामवीर पर गोली नहीं चलाई थी।22.04.2008 पर हुई घटना को दोहराने के लिए, घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर रेणुका को अस्पताल में भर्ती कराया गया।इसके लगभग दो सप्ताह बाद यानी 6/7 मई, 2008 के आसपास रणबीर सिंह उससे मिलने गए, जब उन्हें इस बात का संकेत मिला कि उनके बेटे की हत्या कैसे की गई और उसे किसने मारा।इस प्रकार, रणबीर सिंह के अनुसार, उन्हें 6/7 मई, 2008 के आसपास सूचित किया गया था कि राम कुमार कल्याण ने उनके बेटे की हत्या कर दी है।किसी भी मामले में, उन्हें 22 मई, 2008 तक यही बताया गया था, जब उनके अनुसार, उनकी बेटी रेणुका के अस्पताल से लौटने पर पूरे तथ्य उनके संज्ञान में आए।इस प्रकार, उनके अनुसार, 6/7 मई तक और किसी भी स्थिति में, 22 मई, 2008 तक उन्हें सूचित कर दिया गया था कि राम कुमार कल्याण ने उनके बेटे की हत्या कर दी है।हालाँकि, उन्होंने पहले स्वीकार किया कि दोनों परिवारों के बीच समझौते के लिए बातचीत जो संपत्तियों के आसपास केंद्रित थी, उसके बाद भी जारी रही।घटना के 382 दिन बाद पहली बार मुख्यमंत्री को रेणुका की शिकायत में आरोपी के खिलाफ उक्त आरोप लगाए गए।

(111) अभियुक्त की ओर से यह सुझाव दिया गया था कि यह विश्वास करना असंभव है कि एक बहन जिसने अपने भाई को एक व्यक्ति द्वारा गोली मारते हुए देखा है और एक पिता को उसके द्वारा उसी के बारे में बताया जा रहा है, वह अपने भाई/बेटे के हत्यारे को न्यायाधीश के दायरे में लाने से अधिक संपत्ति को महत्व देगी।हम इस संबंध में भी रेणुका के साक्ष्य से निपटने के बाद इस पर आएंगे।

(112) हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि हम वसीयत, शपथ पत्र और निपटान के कार्यों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी मामलों के गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं।न ही हम इस बारे में कोई विचार व्यक्त करते हैं कि घटना से पहले जिस तरह से राम कुमार कल्याण, ओम लता कल्याण और/या उनके मृत बेटे नबित सहित उनके परिवार के सदस्यों ने रेणुका के साथ व्यवहार किया था।हो सकता है कि उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया हो।हो सकता है कि उन्होंने दहेज की मांग की हो।हालाँकि, वे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्वतंत्र कार्यवाही में निर्णय लिया जाएगा।पीडब्लू-11

रेणुका कल्याण (113) श्री नरूला ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि रेणुका के जबड़े पर चोट एक गोली से लगी थी जो दीवार से भटक गई थी।

56

राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के अलावा

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

753

गोली से संबंधित भौतिक साक्ष्य, उन्होंने यह स्थापित करने के लिए रेणुका से संबंधित साक्ष्य पर भी भरोसा किया कि उसने वास्तव में इस घटना को नहीं देखा था।फैसले के पैराग्राफ-60 में विद्वान न्यायाधीश ने घटना के बारे में रेणुका के संस्करण को सही ढंग से प्रतिग्रहण करना नहीं किया।रेणुका कल्याण ने अपनी जिरह में कहा कि राम कुमार कल्याण ने उन पर एक इंच के भीतर से गोली चलाई थी।पीडब्लू2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि दोनों चोटों में कोई ब्लैकनिंग या टैटू नहीं था।कम से कम कहने के लिए, यह संदेह पैदा करता है कि हथियार रेणुका पर केवल इंच के भीतर से दागा गया था।ब्लैकनिंग और टैटू बनाना आम तौर पर एक संपर्क घाव का संकेत है, हथियार को बेहद करीब से दागा जा रहा है।

(114) इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडब्लू23 ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ (बी) 10 में कहा हैः-

“(बी) घटना के स्थान से अवलोकनः-

10. फर्श से लगभग 3.5ft की ऊँचाई पर दरवाजे D/3 के पास दीवार पर एक सीमेंट चिप का निशान मौजूद पाया गया।यह गोली लगने का निशान पाया गया।”

पीडब्लू 23 के इस पहलू पर निम्नलिखित प्रतिपरीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

“यह सही है कि जैसा कि पैरा बी के उप पैरा 10 में उल्लेख किया गया है, यह एक गोली लगने का निशान था और उप पैरा 11 में अवलोकन दरवाजे के जाली में एक गोली के छेद से संबंधित है।यह सही है कि जैसा कि डॉ. बलवान सिंह ने एमएलआर Ex.P9 में देखा है कि रेणुका के व्यक्ति पर दो बंदूक की गोली के घाव थे।मैंने स्वेच्छा से कहा कि हालांकि मैंने मौके पर जांच नहीं की है, लेकिन बाद में मैंने इस मामले की जांच के दौरान रेणुका से पूछताछ की है।यह सही है कि अपोलो अस्पताल के रिकॉर्ड सहित रेणुद्वारा के मेडिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद यह पाया गया कि रेणुद्वारा को दो गोलियों की चोटें थीं, एक गोली को हटा दिया गया है जबकि दूसरी गोली अभी भी उसके जबड़े में लगी हुई है।रेणुका के शरीर में दस्ती के बाएँ बीच में गोली मिलने की संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि नाबीत को लगी दो बंदूक की गोली की चोटों में से किसी एक से बाहर निकलने वाली या विक्षेपित गोली हो सकती है।इस बात की संभावना से

इनकार नहीं किया जा सकता है कि रेणुका की पीठ पर गोली दीवार आदि जैसी कठोर सतह से विक्षेपित हो सकती है।"

(115) पीडब्लू 23 और की रिपोर्ट से दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं।

उसकी प्रतिपरीक्षा से।सबसे पहले, वास्तव में, दीवार पर गोलियों का निशान था।दूसरा, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि रेणुका के जबड़े में पाई गई गोली नबित को लगी दो गोली की चोटों में से किसी से बाहर निकलने या विक्षेपित होने के कारण थी।उन्होंने कहा कि रेणुका के जबड़े पर गोली के दीवार आदि जैसी कठोर सतह से विक्षेपित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसलिए अभियोजन पक्ष न केवल किसी अन्य संभावना को खारिज करने में विफल रहा है, बल्कि वास्तव में यह स्थापित किया है कि गोली एक कठोर सतह से विक्षेपित हुई थी।यह सीधे तौर पर रेणुका के साक्ष्य के खिलाफ है।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने रेणुका के इस साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया कि राम कुमार कल्याण ने उन पर गोली चलाई थी।राम कुमार कल्याण और यहाँ तक कि ओम लता कल्याण के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 303 और 307 के तहत आरोप, क्योंकि रेणुका को मारने का प्रयास, विफल हो जाता है।

(116) एक अन्य पहलू है जो रेणुका के संस्करण पर संदेह पैदा करता है, जिसे अन्य साक्ष्यों के साथ माना जाता है, बचाव पक्ष के पक्ष में एक मजबूत तर्क है।उस समय रेणुका गर्भवती थी।दुखद रूप से, उसने इस घटना में अपने बच्चे को खो दिया।प्रदर्शनी पी-13, जो अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली से छुट्टी का सारांश है, बताता है कि उसे होश खोने और उल्टी का इतिहास था।दोनों चोटें ऐसी थीं कि वह बेहोश हो सकती थी।पीडब्लू2 ने केवल यह राय दी कि छाती की चोट के बाद कुछ मिनटों के लिए उसके होश में रहने की संभावना थी जिससे वह बाद की घटना को देख सके।हालांकि, प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि गर्भावस्था के मानसिक तनाव और बहुवचन गुहा में 600 मिलीलीटर तरल पदार्थ के संग्रह के कारण छाती में चोट संख्या 2 मिलने पर रेणुका के तुरंत बेहोश होने की संभावना है।

(117) इन परिस्थितियों में, यह न केवल संभव है, बल्कि अत्यधिक संभावना है कि रेणुका पर गोली की दोनों चोटें एक विक्षेपित गोली के कारण थीं।

(118) यह बदले में आरोपी के मामले का समर्थन करता है कि श्रमवीर ने पहले खुद को गर्दन पर गोली मारी और नीचे गिरने के बाद खुद को छाती पर गोली मार ली।एफ. आई. आर.-182 में गोली के कठोर सतह पर विक्षेपित होने का उल्लेख नहीं किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।अगले दिन सुबह 8 बजे यानी 48 घंटे के भीतर पूर्वाहन दर्ज की गई।बयान वास्तव में लगभग छह पूर्वाहन लगभग छह घंटे के भीतर दर्ज किया गया था।इस दौरान राम कुमार खाली

नहीं थे।उन्होंने पुलिस अधिकारियों और रणबीर सिंह को फोन किया और श्रामवीर, नबित और रेणुका को करनाल के सरकारी अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की।वास्तव में रेणुका की नवीनतम जाँच 12.00 पूर्वाहन यानी आधे घंटे से भी कम समय के भीतर राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा की गई थी।

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

घटना की।संभवतः उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्होंने इस समय बैलिस्टिक और यहां तक कि दीवार पर निशान से संबंधित मुद्दे का विश्लेषण किया होगा।

(119) अपनी प्रतिपरीक्षा में, रेणुका ने प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति का संकेत इस प्रकार दियाः-

"मेरे ससुराल पहुंचने के दस मिनट बाद श्रमवीर ने पहली गोली चलाई और उस समय मैं शर्मवीर से लगभग 10-12 इंच की दूरी पर था।उन्होंने फिर कहा कि शर्मवीर से 4-5 फुट दूर।श्रमवीर ने मेरे ससुराल के मास्टर बेडरूम के दरवाजे से बाहर आने के बाद पहली गोली चलाई और जब उसने गोली चलाई तो वह दरवाजे पर ही था।उस समय मैं उस तरफ खड़ा था जहाँ फ्रिज पड़ा था।जब मुझे पहली आग लगी तो मैं बस शर्मवीर चिल्लाया और मैंने उसे गोली नहीं चलाने के लिए या वह क्या कर रहा है, न ही किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए कहा।जब श्रामवीर द्वारा चलाई गई दूसरी आग नबित को लगी तो वह मुझे पकड़ रहा था और वह मेरी पीठ पर था।जब श्रमवीर ने खुद को गोली मारी तो वह उसी स्थान पर खड़ा था जहाँ से उसने हम पर गोली चलाई थी और वह उसी स्थान पर गिर गया।नाबीत आग की गोली से पीड़ित होने के बाद फ्रिज से दो-तीन फुट की दूरी पर एक स्थान पर गिर गया।आग की एक गोली लगने के बावजूद मैं नीचे नहीं गिरा था।मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि क्या शर्मवीर ने लगातार चारों गोलियां चलाईं या उसने प्रत्येक गोली के बाद पिस्तौल निकाल ली।आग किसी भी दीवार या किसी अन्य वस्तु से नहीं लगी।उन्होंने फिर कहा कि मुझे इस संबंध में याद नहीं है।राम कुमार ने मुझ पर बहुत करीब से गोली चलाई जो इंचों के भीतर थी।मैं उस समय खड़ा था।राम कुमार ने शर्मवीर को करीब से गोली मारी थी।मुझ पर गोली चलाने के बाद राम कुमार ने आगे गोली नहीं चलाई थी।पूरी घटना लगभग चार-पाँच मिनट तक चलती है।मैं बेहोश हो गया और केवल अपोलो अस्पताल में होश में आया।जब अपराध दल घटनास्थल की जांच करने आया तो मैंने अपराध स्थल और घटना के दौरान प्रत्येक शव के वास्तविक स्थान की ओर भी इशारा किया था।मैं डाइनिंग टेबल के बजाय फ्रिज के पास गिर गया।"

(120) रेणुका द्वारा इंगित व्यक्तियों की स्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा Ex.P42 पर प्रस्तुत स्थल योजना से अलग है, जो अपराध स्थल की यात्रा की रिपोर्ट का एक हिस्सा है।इस रिपोर्ट में नबित को राम कुमार कल्याण के शयनकक्ष के ठीक बाहर खड़ा दिखाया गया है।

रेणुका को विपरीत दीवार के करीब खड़े दिखाया गया है।श्रमवीर को उसके पीछे और दाईं ओर खड़ा दिखाया गया है।

(121) श्री बजाज ने इस विसंगति को इस आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की कि स्थल योजना बहुत बाद में और राम कुमार कल्याण के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी।अभियोजन पक्ष के कहने पर स्थल योजना तैयार की गई और प्रदर्शित की गई।अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान यह तर्क नहीं दिया कि स्थल योजना गलत है।न ही उन्होंने इसे पेश करने वाले अपने ही गवाह से कोई स्पष्टीकरण मांगा।इसलिए बचाव पक्ष को इस विसंगति पर भरोसा करने का अधिकार है।

(122) हालाँकि, रेणुका के साक्ष्य और स्थल योजना में एक बात समान है और वह यह है कि रेणुका दीवार के सामने खड़ी थी जिसमें गोली का निशान था और जो उसके जबड़े पर गोली के विक्षेपण के लिए जिम्मेदार हो सकता है।इसका सामना करते हुए श्री बजाज ने कहा कि गोली का निशान साढ़े तीन फीट की ऊंचाई पर था।अभियुक्त के खिलाफ यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि गोली केवल उसी ऊंचाई पर विक्षेपित हुई होगी।यह किसी भी मामले में कहीं और नहीं मिला था।

(123) श्री नरूला ने तब यह इंगित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों पर भरोसा किया कि क्यों रेणुका के साक्ष्य को अन्यथा भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने इस तथ्य पर भरोसा किया कि रेणुका कल्याण ने निम्नलिखित पहलुओं पर अपना संस्करण बदल दिया थाः-

(ए) अपने मुख्य परीक्षण में, उसने कहा कि 23-03-2008 लगभग 8:30 बजे पर नबित और राम कुमार कल्याण उसे उसके घर के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ गए और तब से वह अपने माता-पिता के साथ रह रही थी जो उसकी इच्छा के खिलाफ वहाँ रह गए थे।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि उसकी शिकायत Ex.P21 के पैराग्राफ 2 में, उसने उल्लेख किया कि उसके घरेलू सामान को करनाल में एक अलग घर में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसने कभी भी शिकायत नहीं की कि उसे वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे अलग रहने के लिए मजबूर किया गया था।

यह स्पष्ट विरोधाभास नहीं है।यह सच है कि अभियुक्तों ने आरोप लगाया है कि वह अपने पति नबित को अलग रहने और उसके माता-पिता का घर छोड़ने के लिए परेशान करती थी।वह एक और बात है।हालाँकि, उसकी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान को उसकी जाँच के प्रमुख के बयान के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।विरोधाभास केवल इस प्रभाव के लिए है कि अपने परीक्षण-प्रमुख में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था, अपने

परीक्षण-प्रमुख में उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य राज्य में रहने के लिए मजबूर किया गया था।

60

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

757

अलग से।जिरह से केवल यह पता चलता है कि एक अलग निवास की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था और अगर सभी घरेलू सामान नहीं तो कुछ को दूसरे घर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

(बी) पुलिस को दी गई अपनी शिकायत (Ex.P21) में, उसने कहा कि जब उसके भाई ने पिस्तौल चलाई तो गोली उसकी छाती के बाईं ओर लगी और यह नहीं कि जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसे गोली लगी थी।हालाँकि, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में उन्होंने कहा, जिस भाग का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, कि जब श्रमवीर ने नबित पर गोली चलाई तो गोली उनके सीने में लग गई जब वह अपने पति को बचाने के लिए आगे आई।

(ग) अपने मुख्य परीक्षण में, रेणुका ने कहा कि दिनांक 22.04.2008 सुबह 8:30 बजे, नबित अपने माता-पिता के घर गई जहाँ वह रह रही थी और जबरन उनकी बेटी पूर्वाहन ले गई, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि अन्न्या उस दिन ठीक नहीं थी और उसकी चिकित्सा जांच की आवश्यकता थी।उसने आगे कहा कि नबित उस दिन उसे चिकित्सा जांच के लिए नहीं ले गया था और उसने उसे अन्न्या की चिकित्सकीय जांच कराने के लिए कहा था, जिसके बाद नबित उसे 2 या 3 मिनट के भीतर ले गया।रेणुका ने तब स्वेच्छा से कहा कि वह उसे जबरन ले गया।

((घ) रेणुका द्वारा स्वेच्छा से दिए गए कथन को समझना मुश्किल है।उसने खुद कहा कि उसने नबित को उसकी चिकित्सकीय जांच कराने के लिए अन्न्या को ले जाने के लिए कहा और नबित उसे उसी के लिए ले गया।रेणुका ने खुद नबित को मेडिकल जांच के लिए अन्न्या को ले जाने के लिए कहा था, इसलिए नबित के जबरन अन्न्या को ले जाने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था।

(124) हम केवल अपनी गवाही में उपरोक्त विरोधाभासों के कारण घटना के बारे में रेणुका के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करेंगे।वे घटना में राम कुमार कल्याण की भूमिका पर विचार नहीं करते हैं।हालाँकि, जिन अन्य परिस्थितियों का हमने उल्लेख किया है, उनके साथ विचार करने पर इन विरोधाभासों के कारण उचित सत्यापन के बिना उनके बयानों को प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल हो जाता है।

(125) श्री नरूला ने दृढ़ता से तर्क दिया कि रेणुका और रणबीर सिंह का आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का स्पष्ट उद्देश्य है।उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत कियाःइसका उद्देश्य संपत्ति को रेणुका के

नाम पर हस्तांतरित करना था।घटना के लगभग तुरंत बाद, संपत्ति/नबहित की संपत्ति से संबंधित मुद्दे को निपटाने के लिए पक्षों के बीच बातचीत हुई। में से किसी एक की अंतर्निहित असंभवता है।

रेणुका कल्याण या उनके पिता रणबीर सिंह को कभी विश्वास नहीं हुआ कि राम कुमार कल्याण ने श्रमवीर या रेणुका को मार डाला था या मारने की कोशिश भी की थी।अगर रेणुका ने वास्तव में राम कुमार कल्याण को अपने भाई की हत्या करते देखा होता, तो यह असंभव है कि वह अपने भाई के हत्यारे को न्यायाधीश के कटघरे में लाने के बजाय संपत्ति हासिल करना पसंद करती।इसी तरह, यह विश्वास करना असंभव है कि राम कुमार कल्याण ने अपने बेटे के हत्यारे को न्यायाधीश के दायरे में लाने के बजाय अपनी बेटी को संपत्ति हासिल करते हुए देखना पसंद किया होगा।ये आरोप घटना के एक साल से अधिक समय बाद लगाए गए थे और राम कुमार कल्याण के आरोप के अनुसार संपत्ति के संबंध में समझौते के बाद ही वे सफल नहीं हुए।यह केवल देरी का सवाल नहीं है।देरी अपने आप में एक कहानी का खुलासा करती है।देरी और इस अवधि के दौरान जो हुआ वह स्वाभाविक रूप से असंभव है कि रेणुका ने राम कुमार कल्याण को अपने भाई की गर्दन पर गोली चलाते हुए देखा और ओम लता कल्याण ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला।

(126) यह इसे देखने का एक तरीका हो सकता है।हालाँकि, मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार-विमर्श करने के बाद हम इसे अलग तरह से देखने के लिए इच्छुक हैं।इस संबंध में श्री नरूला ने अपने इस तर्क के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया कि रेणुका ने जानबूझकर और सचेत रूप से गलत सबूत दिए थे।हम जल्द ही उनका उल्लेख करेंगे।

रेणुका द्वारा अपने भाई की हत्या के लिए राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण को जिम्मेदार ठहराने वाले तथ्य महत्वपूर्ण हैं।घटना के 382 दिन बाद पहली बार शिकायत की गई थी।

यह घटना 22.04.2008 पर लगभग 11:40 पी. एम. पर हुई। 24.04.2008 पर रणबीर सिंह को पता चला कि राम कुमार कल्याण ने No.182 पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के 14/15 दिन के बाद लगभग 6/7 मई, 2008 के कुछ दिनों बाद, रणबीर सिंह नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रेणुका से मिलने गए, जब उनके अनुसार, उन्हें अपनी बेटी से वास्तविक तथ्यों के बारे में पता चला।वह अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहता है, प्रासंगिक भाग जिसके बारे में हमने पहले उद्धृत किया था, कि इस बैठक में उसे संकेत मिला कि उसके बेटे की हत्या कैसे की गई थी और उसे किसने मारा था।यह इंगित करता है कि रेणुका ने कम से कम उस दिन उसे बताया था कि राम कुमार कल्याण ने उसे मार दिया था।ऐसा नहीं है कि रेणुका ने उस दिन रणबीर सिंह को बताया था कि किसी और ने उसकी हत्या कर दी थी।अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे का बयान कि रेणुका

कल्याण ने उन्हें 22.05.2008 पर पूर्ण तथ्य बताए, इसका कोई परिणाम नहीं है।किसी भी घटना में, 22.05.2008 तक, रणबीर सिंह के अनुसार भी वह पूरी जानकारी जानते थे।उन्होंने स्वीकार किया कि इस अवधि के दौरान और बातचीत के बाद भी राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

759

अधिवक्ता द्वारा से दोनों परिवारों के बीच जारी रहा।वास्तव में, कनाडा से अधिवक्ता के लौटने के बाद जून/जुलाई के महीने में बातचीत हुई।

(127) दिनांक 23.05.2008 को तत्कालीन निरीक्षक डी. डब्ल्यू. 4-हरबंस लाल ने करनाल के सरकारी अस्पताल का दौरा किया, जहाँ वे रेणुका से मिले।डॉक्टर ने रेणुका को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।08.05.2008 पर, डी. डब्ल्यू. 4 ने सेवा सदन का दौरा किया, जहाँ रेणुका को अपोलो अस्पताल से स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया था।वह रेणुका से फिर से 12.05.2008 पर मिला जब उसने फिर से बयान देने से इनकार कर दिया।23.05.2008 पर, वह रेणुका के माता-पिता के घर गया, जहाँ उसने फिर से कोई बयान नहीं दिया।उस दिन रेणुका के चचेरे भाई रणदीप सिंह भी मौजूद थे।इसलिए डी. डब्ल्यू. 4 ने एक कुशल पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं होने के कारण बयान दर्ज नहीं कर सके।26.05.2008 पर, रेणुका ने एक शपथ पत्र, Ex.D1 दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रामवीर ने आत्महत्या कर ली थी।27.05.2008 पर, उन्होंने संपत्ति में अपनी रुचि को त्यागते हुए एक शपथ पत्र दायर किया।शपथ पत्र की पहचान रणबीर सिंह ने की थी।07.06.2008 पर, रेणुका ने एक और शपथ पत्र दायर किया, जो दिनांकित 26.05.2008 के हलफनामे की पुष्टि करता है, जिसकी पहचान उनके मामा ने की थी।यह संभव है कि रेणुका ने तीन मौकों पर पुलिस अधिकारी को बयान देने से इनकार कर दिया और उपरोक्त प्रभाव के लिए तीन हलफनामे दायर किए क्योंकि वह निश्चित नहीं थी कि उसके भाई ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि राम कुमार कल्याण द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी।यह विश्वास करना भी उतना ही कठिन है कि रणबीर सिंह अपनी बेटी के उपरोक्त कृत्यों के लिए सहमत हो जाते और इसे स्वीकार कर लेते यदि उन्हें रेणुका द्वारा निश्चित रूप से बताया जाता कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि राम कुमार कल्याण द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी।यह मुख्यमंत्री को दी गई 18.02.2009 की शिकायत पर है कि रेणुका ने पहली बार आरोप लगाया कि राम कुमार कल्याण ने श्रामवीर की हत्या की थी।

(128) इन तथ्यों के बारे में हमारी धारणा को व्यक्त करने से पहले यहां उन निर्णयों का उल्लेख करना सुविधाजनक होगा जिन पर श्री नरूला ने अपने इस कथन के समर्थन में भरोसा किया था कि रेणुका और रणबीर सिंह ने दिलचस्प रूप से गलत सबूत दिए थे।

(ए) थुलिया काली बनाम तमिलनाडु राज्य 6 में, सुप्रीम

अदालत ने कहाः-

“12..... आपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट [6 1972 (3) एस. सी. सी. 393] के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है।

63

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(2)

मुकदमे में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने का उद्देश्य।अभियुक्त के दृष्टिकोण से उपरोक्त रिपोर्ट के महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है।अपराध के संबंध में पुलिस को शीघ्र रिपोर्ट दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम।प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर अलंकरण होता है जो एक विचार का परिणाम है।देरी के कारण, रिपोर्ट न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि विचार-विमर्श और परामर्श के परिणामस्वरूप रंगीन संस्करण, अतिरंजित विवरण या मनगढ़ंत कहानी की शुरुआत से खतरा पैदा हो जाता है।इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी को संतोषजनक रूप से समझाया जाए।

(ख) रामजी सूर्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 7 में, सर्वोच्च न्यायालय ने

अदालत ने कहाः- “8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां अपराध का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, वहां भी संबंधित आरोपी के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है बशर्ते कि ऐसा गवाह सुनने वाली अदालत उसे ईमानदार और सच्चा मानती हो।लेकिन विवेक की आवश्यकता है कि एक अकेले गवाह की गवाही के समर्थन में अन्य अभियोजन साक्ष्य से कुछ पुष्टि की जानी चाहिए, विशेष रूप से जहां ऐसा गवाह भी मृतक से निकट संबंध रखता है और आरोपी वे हैं जिनके खिलाफ कुछ उद्देश्य या दुर्भावना का सुझाव दिया जाता है।अब तत्काल मामले में पुलिस को पहली जानकारी देने में अत्यधिक देरी से संबंधित साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी यानी सुरजाबई (पीडब्लू 2) के साक्ष्य में अन्य अंतर्निहित विसंगतियों से पता चलता है कि उसके साक्ष्य को आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।पहली जानकारी (उदा. पी-10) स्वयं कुछ विचार-विमर्श के बाद तैयार प्रतीत होता है।के लिए जिम्मेदार भूमिका

64

7 1983(3) एस. सी. सी. 629 राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

761

गुम्बा (पीडब्लू 5) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में पूर्व पुलिस पटेल अदालत को सुरजाबई (पीडब्लू 2) के साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले अन्य अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पुष्टि करने के लिए मजबूर करता है।(जोर दिया गया)।

(129) उपरोक्त निर्णय अभियुक्त का समर्थन करते हैं लेकिन इस मामले के तथ्यों में उस हद तक नहीं जितना Mr.Narula द्वारा तर्क दिया गया है।वर्तमान मामले में देरी 382 दिनों की है जो काफी है।देरी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।हम पहले ही बताए गए कारणों से इसे प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है।हमें प्रत्यक्षदर्शी रेणुका के साक्ष्य की काफी सावधानी से जांच करनी चाहिए।

(130) यह कहने के बाद भी, उपरोक्त निर्णयों और जिन तथ्यों और परिस्थितियों का हमने उल्लेख किया है, उन पर विचार करते हुए हम श्री नरूला के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना नहीं करेंगे कि रेणुका और रणबीर सिंह ने जानबूझकर और जानबूझकर गलत सबूत दिए।हमारे विचार में, शिकायत दर्ज करने में देरी और घटना के बाद हुई घटनाओं को एक अलग तरीके से देखा जा सकता है जो इस संभावना को इंगित करता है कि घटना के बारे में रेणुका का स्मरण विभिन्न कारकों के कारण धुंधला या गलत था।सबसे पहले, यह याद रखना चाहिए कि उस समय रेणुका एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी जिसे उसने इस घटना के कारण दुखद रूप से खो दिया था।करनाल के सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी पीडब्लू2 Dr.Balwan सिंह के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि जब वह अस्पताल पहुंची तो वह अर्ध-अचेतन थी, हालांकि उन्होंने कहा कि रेणुका कुछ मिनटों के लिए बाद की घटनाओं को देख सकती थी।प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि छाती पर चोट लगने पर और गर्भावस्था के मानसिक तनाव और बहुवचन गुहा में 600 एमएल तरल पदार्थ के संग्रह के कारण रेणुका के तुरंत बेहोश होने की संभावना है।उन्होंने स्वीकार किया कि इन परिस्थितियों में रेणुका के बेहोश होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।इस तरह की गंभीर घटना के आघात का उस पर अपना प्रभाव पड़ा होगा।उसने कुछ ही मिनटों में अपने भाई और अपने पति को खो दिया और खुद को गंभीर चोटें आईं।किसी भी माता-पिता के रूप में वह स्पष्ट रूप से अपनी बेटी अनन्या के भविष्य और उसके भविष्य के बारे में भी चिंतित रही होगी।एफ. आई. आर.-182 विचाराधीनता रहने और उसके परिवार पर संदेह होने की संभावना का अपना प्रभाव पड़ा होगा।हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते कि इन कई गंभीर तथ्यों का घटना के दौरान जो हुआ उसके बारे में रेणुका के स्मरण पर अपना प्रभाव पड़ा हो।इसलिए, यह संभव है कि रेणुका ने झूठे बयान नहीं दिए थे, बल्कि इन सभी परिस्थितियों का शिकार थीं, जिनके प्रतिकूल परिणाम थे।

उसकी स्मृति पर प्रभाव।यह भी संभव है कि इस तरह से उन्होंने इसे अपने पिता रणबीर सिंह को बताया होगा।हालाँकि हमने रेणुका और रणबीर सिंह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हम एक ओर उनके साक्ष्य और दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के बाकी साक्ष्यों के बीच विसंगतियों को इन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण बताते हैं जिनका सामना रेणुका ने किया था और जिनका सामना करना जारी रखना चाहिए।

(131) हम मदद नहीं कर सकते लेकिन अपने विचार व्यक्त करते हैं कि दोनों परिवार निर्दोष प्रतीत होते हैं।विचार करने के बाद परिवार निर्दोष प्रतीत होते हैं।इस घटना पर बहुत विस्तार से विचार करने के बाद, हमारे विचार में, श्रमवीर की मृत्यु आत्मघाती थी न कि हत्या और रेणुका पर चोट राम कुमार कल्याण द्वारा उनकी पत्नी ओम लता कल्याण के कहने पर या अन्यथा नहीं लगाई गई थी।दोनों परिवार निर्दोष पीड़ित हैं।

(132) श्री बजाज ने निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया

दयाल सिंह और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य 8 में उच्चतम न्यायालयः-

“22. अब, हम ऐसे मामलों में अदालत के कर्तव्य का विज्ञापन कर सकते हैं।साथी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 613:1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 659] इस न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि पुलिस रिकॉर्ड संदिग्ध हो जाते हैं और जांच निष्पक्ष हो जाती है, तो यह देखना अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि क्या अदालत में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए और ऐसी खामियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए।धनज सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2004) 3 एस. सी. सी. 654:2004 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 851] ने अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 657, पैरा 5)

“5. दोषपूर्ण जाँच के मामले में अदालत को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी होती है।लेकिन किसी अभियुक्त व्यक्ति को केवल दोष के कारण बरी करना सही नहीं होगा; ऐसा करना जांच अधिकारी के हाथों में खेलने के समान होगा यदि जांच योजनाबद्ध रूप से दोषपूर्ण है।”

अवलोकन स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।मान लीजिए कि जांच में कुछ खामियां हैं।हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का साक्ष्य स्वयं स्थापित नहीं करता है

8 2012(3) एस. सी. सी. (सी. आर. एल.) 838 राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

अभियुक्तों में से किसी एक का अपराध।आगे यह मानते हुए कि कोई चूक थी, निश्चित रूप से परिकल्पित रूप से दोषपूर्ण नहीं थी।किसी भी स्थिति में वे अभियुक्त के कारण या अभियुक्त की ओर से किसी की ओर से दोषपूर्ण नहीं थे।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के ठोस साक्ष्य पर भरोसा किया गया था।श्री बजाज ने सुनवाई के दौरान उन सबूतों को अस्वीकार करने की मांग की जो हमने पहले ही प्रस्तुत किए गए कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।

(133) श्री बजाज ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ-29 और 30 पर भी भरोसा किया जो इस प्रकार हैः-

30. जहाँ प्रत्यक्षदर्शी विवरण विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सा राय को निर्णायक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

"34. ... विशेषज्ञ गवाह से अपेक्षा की जाती है कि वह उन आंकड़ों सहित सभी सामग्रियों को अदालत के समक्ष रखे जो उसे निष्कर्ष पर आने के लिए प्रेरित करती हैं और विज्ञान की शर्तों की [जांच] करके मामले के तकनीकी पहलू पर अदालत को प्रबुद्ध करती हैं ताकि अदालत, हालांकि कोई विशेषज्ञ नहीं, विशेषज्ञ की राय को उचित सम्मान देने के बाद उन सामग्रियों पर अपना निर्णय बना सके, क्योंकि एक बार विशेषज्ञ की राय स्वीकार हो जाने के बाद, यह चिकित्सा अधिकारी की राय नहीं है, बल्कि अदालत की राय है।"

(मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे [(1992) 3 एससीसी देखें।

204 :1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 598:(1992) 2 एस. सी. आर. 921], एस. सी. सी. पीपी. 221-22, पैरा 34।)".....(जोर दिया गया)।

ये टिप्पणियां अभियोजन पक्ष के मामले का भी समर्थन नहीं करती हैं।चिकित्सीय और नेत्र साक्ष्य के बीच पर्याप्त भिन्नता है।अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि अन्य गवाहों की रिपोर्ट निष्पक्ष, अस्थिर या अभियोजन पक्ष को गलत तरीके से निर्देशित करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का परिणाम थी।हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को अस्वीकार करने के Mr.Bajaj के प्रयास का समर्थन नहीं किया।ऐसा कोई सुझाव भी नहीं था कि पीडब्लू10 और पीडब्लू11 के अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह अभियोजन पक्ष को गलत दिशा देने के किसी भी प्रयास का परिणाम थे।जहाँ तक निर्णय के पैरा-30 में टिप्पणियों का संबंध है, हमें डर है कि हम पीडब्लू 10 या पीडब्लू 11 के साक्ष्य को कम से कम इस हद तक विश्वसनीय और भरोसेमंद मानने में असमर्थ हैं कि हम अन्य गवाहों के साक्ष्य को खारिज कर देंगे।

(134) Mr.Bajaj ने 764 के फैसले के पैरा-43 पर भी भरोसा किया।

उच्चतम न्यायालय ने योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य 9,

जो नीचे लिखा हैः- "43. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने तब नेत्र साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विसंगतियों को इंगित करके अभियोजन पक्ष की कहानी में सेंध लगाने की कोशिश की है।हालाँकि, हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं क्योंकि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य के अनुरूप था और हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि उस हद तक, यह प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करता है।हम मानते हैं कि चिकित्सा और नेत्र साक्ष्य में कोई भौतिक विसंगति नहीं है और इस आधार पर नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय द्वारा लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सा साक्ष्य का साक्ष्य मूल्य केवल पुष्टिकारक है और निर्णायक नहीं है और इसलिए, मौखिक साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य के बीच टकराव के मामले में, पूर्व को तब तक प्राथमिकता दी जानी चाहिए जब तक कि चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता है।[सोलंकी को देखें।

चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 2 एससीसी

174; मणि राम बनाम राजस्थान राज्य, 1993 सप्लीमेंट (3) एससीसी

18; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल, हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ, (1999) 5 एस. सी. सी. 96; धीरजभाई गोरखभाई नायक

बनाम गुजरात राज्य, (2003) 9 एस. सी. सी. 322; थमन कुमार बनाम।

चंडीगढ़ संघ राज्य, (2003) 6 एस. सी. सी. 380; कृष्णन बनाम राज्य, (2003) 7 एस. सी. सी. 56; खम्बम राजा रेड्डी बनाम लोक अभियोजक, ए. पी. उच्च न्यायालय, (2006) 11 एस. सी. सी. 239; राज्य

यू. पी. बनाम दिनेश, (2009) 11 एस. सी. सी. 566; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि चंद, (2009) 13 एस. सी. सी. 542; अब्दुल सईद बनाम एम. पी. राज्य,

(2010) 10 एस. सी. सी. 259 और भजन सिंह @हर्भजन सिंह

v. राज्य, (2011) 7 एस. सी. सी. 421]।

फैसला शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करता है।उस मामले में, चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य के अनुरूप पाया गया था और चश्मदीद गवाह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए आयोजित किया गया था।वर्तमान मामले में एक से अधिक मामलों में चिकित्सीय साक्ष्य के बजाय मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता देने का कोई सवाल ही नहीं है

9 2016(4) आर. सी. आर (आपराधिक) 753) राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

765

कारण।अभियोजन पक्ष के गवाहों के चिकित्सा और अन्य साक्ष्य रेणुका के साक्ष्य के खिलाफ दृढ़ता से विरोध करते हैं।बिना पुष्टि के रेणुका के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।पुष्टि केवल अन्य गवाहों द्वारा से हो सकती है।अन्य गवाहों का साक्ष्य उसके साक्ष्य की पुष्टि नहीं करता है।382 दिनों की देरी है जो विशेष रूप से मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ महत्वपूर्ण है।

(135) हमें डर है कि उपरोक्त को देखते हुए आरोपी को रेणुका के साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इसलिए विद्वान न्यायाधीश ने अन्य गवाहों के साक्ष्य की ओर रुख किया।लल्लू में

मांझी और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य 10 उच्चतम न्यायालय

आयोजितः-

“10. साक्ष्य के कानून में किसी दिए गए तथ्य के प्रमाण में किसी विशेष संख्या में गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, एकल गवाह की गवाही का सामना करते हुए, अदालत मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकती है, अर्थात्, (i) पूरी तरह से विश्वसनीय, (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय, और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।पहली दो श्रेणियों में एकल गवाह की गवाही को स्वीकार करने या त्यागने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है।कठिनाई तीसरी श्रेणी के मामलों में उत्पन्न होती है।न्यायालय को सतर्क रहना होगा और किसी एक गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से पहले विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा भौतिक विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होगी।(देखिएःवादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य [ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614:1957 क्रि एलजे 1000]) "

रेणुका सबसे अच्छी श्रेणी (iii) में आती हैं।इसलिए न्यायालय को पुष्टि करने वाले साक्ष्य की तलाश करनी चाहिए जो विद्वान न्यायाधीश ने सही किया था।हालाँकि, हम उनके तर्क और अन्य गवाहों के साक्ष्य की सराहना को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।उनका सबूत अगर कुछ भी बचाव का समर्थन करता है।

(136) श्री बजाज ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि राम कुमार कल्याण हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को जानते थे।इस संबंध में फोटोग्राफर के साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।राम कुमार कल्याण स्वीकार करते हैं कि वे उन्हें जानते थे।यह अपने आप में कुछ भी भयावह होने का संकेत नहीं देता है।श्री बजाज यह स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं कि डी. जी. पी. ने

किसी भी तरह से जाँच में हस्तक्षेप किया था।यदि साक्ष्य में खामियां थीं, तो यह 10 2003 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 566,766 था।

यह पता लगाने में विफलता सहित सभी खातों पर कि श्रामवीर ने 22.04.2008 की रात को हथियार कैसे प्राप्त किया था।वे यह पता लगाने के लिए रणबीर सिंह के आवास पर भी नहीं गए।ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की, यह बताए जाने के बावजूद कि हथियार श्रमवीर का नहीं बल्कि उसके पिता रणबीर सिंह का था।अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह संकेत नहीं मिलता है कि साक्ष्य में चूक राम कुमार कल्याण की ओर से डी. जी. पी. द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के कारण हुई थी।हम यह समझने में असमर्थ हैं कि रणबीर सिंह और रेणुका कल्याण द्वारा इस तरह का आरोप कैसे लगाया जा सकता है, जब दोनों में से किसी ने भी अधिकारियों को सूचित नहीं किया कि रेणुका कल्याण ने राम कुमार कल्याण को श्रामवीर को गर्दन में गोली मारते देखा था।रणबीर सिंह एक अनुभवी अधिवक्ता और श्रमवीर के पिता हैं, जिन्हें कथित तौर पर उनकी बेटी ने बताया था कि राम कुमार कल्याण ने उनके बेटे को गोली मार दी थी।उन्होंने इस बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी।उन्होंने वास्तव में पुलिस अधिकारियों को बताया कि यह आत्महत्या का मामला था।हलफनामे और दस्तावेजों के संबंध में उनका मामला और पुलिस को दिए गए इस आशय के बयान कि श्रमवीर ने आत्महत्या की थी, यह है कि उन्हें अधिवक्ता द्वारा गुमराह किया गया था और प्राथमिकी के कारण राम कुमार कल्याण द्वारा दबाव डाला गया था। वे यह आरोप नहीं लगाते कि इसके लिए पुलिस अधिकारी या जांच अधिकारी जिम्मेदार थे।तब यह समझना मुश्किल है कि वे इस संबंध में अपनी 382 दिनों की खामोशी के दौरान जांच में खामियों के लिए जांच अधिकारियों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं।

(137) श्री बजाज का यह कहना कि जाँच में खामियों के लिए राम कुमार कल्याण के साथ उनकी दोस्ती के कारण पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, सही नहीं है।वास्तव में खामियां हैं।हालाँकि, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया था।बहुत कम सबूत हैं जो यह इंगित करते हैं कि वे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के कहने पर थे।वास्तव में जाँच की कुछ विसंगतियाँ बचाव पक्ष के पूर्वाग्रह को साबित करती हैं।दो उदाहरण पर्याप्त हैं।हमने देखा कि दो दिनों की अवधि के लिए इस बात का कोई सबूत नहीं था कि राम कुमार कल्याण के कपड़े कहाँ थे और उनके पायजामे के रंग में विसंगति थी।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से श्रमवीर ने पिस्तौल प्राप्त की थी, उसकी कोई जांच नहीं हुई थी।रणबीर सिंह ने तर्क दिया कि श्रमवीर ने अपने कमरे में यानी रणबीर सिंह के कमरे में अलमारी तोड़ दी।रणबीर सिंह ने एक पुलिस अधिकारी को आने और एक साल बाद ही इस बारे में

रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया।यह याद रखना चाहिए कि प्राथमिकी संख्या 182 में राम कुमार कल्याण ने रणबीर सिंह के परिवार के सदस्यों के बीच साजिश का आरोप लगाया था।

इसके बावजूद इस बात की जांच भी नहीं की गई कि हथियार श्रामवीर को कैसे मिला, हालांकि यह उसका नहीं था।यदि पुलिस महानिदेशक ने जाँच में हस्तक्षेप किया होता तो वह निश्चित रूप से अधिकारियों को इस पहलू की जाँच करने का निर्देश देते।(138) श्री बजाज ने उचित रूप से इस आशय की कोई शिकायत नहीं की कि श्रमवीर, नबित और रेणुका को बिना समय गंवाए सरकारी अस्पताल, करनाल ले जाया गया।उन्होंने वास्तव में निष्पक्ष और सही कहा कि केवल उसी के कारण रेणुका बच गई।यह याद रखना चाहिए कि घटना के आधे घंटे के भीतर रेणुका की चिकित्सकीय जांच की गई थी जैसा कि मेडिको लीगल रिपोर्ट (Ex.P9) दिनांक 23.04.2008 से स्पष्ट है।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय राम कुमार कल्याण को यह पता नहीं था कि उनमें से कोई वास्तव में मर चुका था या अभी भी जीवित था।

(139) राम कुमार कल्याण द्वारा घटना के बारे में तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करना उनके पक्ष में एक कारक है।अगर वह चाहता कि रेणुका मर जाए तो वह तुरंत पुलिस को फोन नहीं करता।(140) श्री बजाज ने हालांकि कहा कि एफ. एस. एल. दल के आने से पहले कमरे में मौजूद अन्य वस्तुओं को बाधित कर दिया गया था या हटा दिया गया था।ये वस्तुएँ जाँच अधिकारी के पास थीं।

(141) श्री बजाज ने कहा कि राम कुमार कल्याण को दिनांक 24.04.2008 पर पता चल गया होगा कि रेणुका चोट से बच जाएगी और इसलिए उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया शुरू की।हालाँकि, इस तर्क को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।हम अनुमान और अटकलों के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक नहीं हैं जैसा कि हमें श्री बजाज ने आमंत्रित किया था।

(142) श्री बजाज ने प्रस्तुत किया कि गोलीबारी के क्रम और लोगों की स्थिति सहित घटना के बारे में रेणुका के विवरण के बारे में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी।यह बात गलत है।

(143) अन्य स्वतंत्र गवाहों की तरह रेणुका से भी व्यापक रूप से जिरह की गई थी।उदाहरण के लिए उन्हें एक साल बाद दायर की गई शिकायत में एक बयान Ex.P20 और उनके आरोपों के बीच विरोधाभास दिखाया गया था।उद्वारा यह सुझाव दिया गया था कि उसके एफिडेविट दिनांक 26.05.2008 में जो कहा गया था वह घटना का सही संस्करण था और उसने अपने चचेरे भाई रणदीप चौहान, एक अधिवक्ता की उपस्थिति में सामग्री को देखने और उद्वारा सच स्वीकार करने के बाद एफिडेविट को निष्पादित किया था, जिसने उसके शपथ पत्र पहचान की थी। 26-05-2008

दिनांकित शपथ पत्र में उन्होंने कहा है कि श्रमवीर ने आत्महत्या कर ली थी।इसलिए, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि श्रमवीर ने अपराध किए थे।

आत्महत्या और यह हत्या का मामला नहीं था।दिनांकित 26.05.2008 शपथ पत्र के संबंध में उनसे आगे जिरह की गई।उसका बयान घटना के लगभग एक साल बाद 30.03.2009 पर पुलिस को दिया गया था।उस बयान के दौरान उसने अपराध स्थल का एक मोटा रेखाचित्र तैयार किया था जो उसके बयान के साथ संलग्न है।यह याद रखना चाहिए कि यह अभियोजन पक्ष का गवाह है जिसने रेखाचित्र प्रस्तुत किया था जिस पर Mr.Narula द्वारा भरोसा किया गया था।हालाँकि वह रेखाचित्र राम कुमार कल्याण के कथन के अनुसार हो सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष, रेणुका और रणबीर सिंह ने इसका विरोध नहीं किया।उन्होंने इसे अपने साक्ष्य में प्रस्तुत किया।तब शायद ही यह सुझाव दिया जा सकता है कि बचाव पक्ष बयान पर भरोसा नहीं कर सकता।घटना के संबंध में व्यापक प्रतिपरीक्षा है जिसका एक हिस्सा हमने पहले उद्धृत किया था।

(144) श्री बजाज ने तर्क दिया कि एफ. एस. एल. दल के आने से पहले पिस्तौल और कारतुस हटा लिए गए थे।हालाँकि, हम यह मान लेंगे कि पीडब्लू23 ने यह आरोप लगाया है।हालाँकि, इसे डी. डब्ल्यू. 4 में नहीं रखा गया था।इस प्रभाव के साक्ष्य का अभाव में ऐसा मान लेना खतरनाक होगा।पी. डब्ल्यू. 23 के साक्ष्य से यह स्थापित नहीं होता है कि डी. डब्ल्यू. 4 ने एफ. एस. एल. दल के आने से पहले पिस्तौल और गोलियां हटा दी थीं।एफ. एस. एल. की टीम डी. डब्ल्यू. 4 के साथ दोपहर 1 बजे अपराध स्थल पर पहुंची।किसी भी स्थिति में, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, जाँच में किसी भी त्रुटि के लिए अभियुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

(145) हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा की है कि यह स्थापित नहीं हुआ है कि श्रमवीर और राम कुमार कल्याण दोनों के कपड़ों पर वास्तव में किसका खून था।

(146) अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(147) यह भी विचार करना आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय में अपील में या अन्यथा, यह एक आपराधिक मामले में गंभीर और अचानक उकसावे के वैकल्पिक बचाव का अनुरोध करने के लिए खुला है।यह गंभीर और अचानक उकसावा संभवतः राम कुमार कल्याण द्वारा अपने बेटे को श्रामवीर द्वारा मारे जाने के कारण हुआ था और इसलिए गुस्से में पिस्तौल उठाकर श्रामवीर को गोली मार दी थी।इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने माना है कि राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला स्थापित नहीं किया गया है।

(148) यह हमें 2015 की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 में सामान्य आदेश और फैसले के खिलाफ लाता है जहां तक यह भा.दं.सं. सी. की खंड 307 और ओम लता राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के राम कुमार कल्याण को बरी करता है।

कल्याण पर भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 और 307 के तहत आरोप लगाया गया है। दोषसिद्धि के विरुद्ध 2014 की दाण्डिक अपीलीय No 922-DB में हमने अब तक जो कहा है, वह यह भी स्थापित करता है कि रेणुका की हत्या के प्रयास के लिए राम कुमार कल्याण के खिलाफ कोई मामला नहीं है।हमने विक्षेपित गोलियों के कारण रेणुका को हुई दोनों चोटों के बारे में भी चर्चा की है।हमने फैसले के पैराग्राफ-60 का हवाला दिया जिसमें विद्वान न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे कि पीडब्लू 23 Dr.R.K.Kaushal, जो एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ हैं, के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस बात की संभावना थी कि रेणुका के जबड़े पर गोली दीवार जैसी कठोर सतह से विक्षेपित होने के बाद थी।रिपोर्ट Ex.P42 से पता चलता है कि दीवार पर गोली लगने का निशान था।राम कुमार कल्याण द्वारा उस पर गोली चलाने के बारे में रेणुका के बयान को प्रतिग्रहण करना करना तब मुश्किल है।(149) यह हमें ओम लता कल्याण के खिलाफ आरोप पर लाता है।आरोप है कि उसने राम कुमार कल्याण को श्रमवीर और रेणुका को मारने के लिए राजी किया था।विद्वान न्यायाधीश ने फैसला सुनाया किः-

“61. अब ओम लता की भूमिका पर आते हुए, उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने शर्मवीर और रेणुका को मारने के लिए उकसाया था।हालाँकि, पीडब्लू11 की गवाही के अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि किसी भी समय, उसने राम कुमार के साथ शर्मवीर को मारने और रेणुका पर गोली चलाने का समान इरादा साझा किया था।इसके अलावा, शिकायतकर्ता का यह बयान 382 दिनों के लंबे अंतराल के बाद दर्ज किया गया है।अधिक से अधिक व्यक्तियों को फंसाने की एक सामान्य प्रवृत्ति है।राम कुमार द्वारा उन पर गोली चलाने के बारे में उनका कथन, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विश्वसनीय नहीं है।ऐसा लगता है कि आरोपी ओम लता को गलत तरीके से फंसाने के लिए रेणुका ने गलत और मनगढ़ंत आदेश दिया है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष ओम लता के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।”

(150) जहाँ तक वे ओम लता कल्याण से संबंधित हैं, हम विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों से सहमत हैं।हालाँकि, यह टिप्पणी कि शिकायतकर्ता का बयान 382 दिनों के लंबे अंतराल के बाद दर्ज किया गया था, राम कुमार कल्याण के खिलाफ आरोपों के संबंध में भी लागू होनी चाहिए।

(151) श्री बजाज ने ठीक ही स्वीकार किया कि ओम लता कल्याण के खिलाफ कोई अन्य सबूत नहीं है।हालाँकि, उसने प्रस्तुत किया कि उसके अपराध को इस आधार पर माना जाना चाहिए कि उसका रेणुका को मारने का उद्देश्य था।उनके अनुसार इसका उद्देश्य उनके बेटे नबित की संपत्ति में एक हिस्सा हड़पना था।

(152) हम जो कहने के लिए विवश हैं, वह पूरी तरह से निराधार और आधारहीन है।यह कभी किसी का मामला नहीं था कि राम कुमार कल्याण या ओम लता कल्याण ने श्रमवीर या रेणुका को मारने की योजना बनाई थी।उनका मामला हमेशा से रहा है कि श्रामवीर द्वारा नबित को गोली मारने के तुरंत बाद ही राम कुमार कल्याण ने श्रामवीर की गर्दन पर पिस्तौल चलाई।इस प्रकार उस समय तक अभियोजन पक्ष के अनुसार भी श्रामवीर को मारने का कोई इरादा नहीं था।श्री बजाज हमें यह मानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि उन कुछ क्षणों के दौरान ओम लता कल्याण ने अचानक रेणुका को मारने के बारे में सोचा ताकि वह नबित की संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में प्राप्त कर सके।यहां तक कि उस स्तर पर अभियोजन पक्ष के अनुसार कोई वसीयत नहीं थी क्योंकि वे तर्क देते हैं कि वसीयत बाद में जाली थी।अगर ऐसा है तो जाहिर है कि राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण को घटना के समय वसीयत के बारे में पता नहीं था।इसलिए, हमें यह मानने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि ओम लता कल्याण ने उन कुछ क्षणों के दौरान और उन कुछ मिनटों के दौरान सर्वोच्च स्तर पर निर्विकारता के कानून के प्रावधानों के बारे में सोचा और फिर अपने पति राम कुमार कल्याण को रेणुका को मारने के लिए प्रोत्साहित किया।सुनवाई के दौरान, विद्वान अधिवक्ता स्वयं निर्विकारता के कानून को याद करने की कोशिश कर रहे थे और हमसे यह विश्वास करने की उम्मीद की जाती है कि ओम लता ने भी ऐसा ही किया था, जबकि उनका बेटा और उसकी बहू का भाई जमीन पर मृत पड़े थे।यह शायद विद्वान अधिवक्ता से चूक गया कि ओम लाला किसी भी स्थिति में नबित की माँ होने के नाते हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की खंड 8 के अनुसार नबित की संपत्ति में एक वर्ग-1 उत्तराधिकारी होने के नाते विरासत में मिला होगा।

(153) हमने कई दिनों तक अन्य अपीलों के साथ इन अपीलों पर सुनवाई की।लगभग सुनवाई के अंत में 11.01.2017 Mr.Bajaj ने अतिरिक्त साक्ष्य के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 319 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया।हमने उस आवेदन का निपटान निम्नलिखित आदेश दिनांक 11.01.2017 द्वारा कियाः-

"पक्षों की सहमति से, आवेदन को आज तय करने का आदेश दिया जाता है।आवेदन को संख्या निर्धारित करने के लिए पंजीकरण करें।सी. आर. एम. में नोटिस।

श्री S.S.Narula, अधिवक्ता, गैर-आवेदक/अपीलार्थी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।सुना है।

कई दिनों तक मुख्य अपील की सुनवाई के बाद, खंड 391 Cr.P.C के तहत यह आवेदन आज प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।तीन दस्तावेजों पर भरोसा किया जाता है, अर्थात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करनाल, राम कुमार कल्याण बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा पारित 11.02.2012 दिनांकित आदेश।

74

(एस. जे. वज़ीफदार, सीजे.)

771

2011 की आपराधिक शिकायत No.19 में; 2011 के सी. आर. सं. 2946 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 05.09.2014 का आदेश और 2011 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1100 में दिनांकित 18.04.2012 के आदेश के अनुसार दिनांकित 21.11.2014 की विशेष जांच दल की रिपोर्ट।

अपीलकर्ता को दलीलों के दौरान न्यायालय के आदेशों पर भरोसा करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बजाज का कहना है कि एस. आई. टी. रिपोर्ट को केवल यह तर्क देने के लिए भेजा जा रहा है कि एस. आई. टी. का विचार था कि इस मामले में पूरी जांच ठीक से नहीं की गई थी।उन्होंने स्पष्ट किया है कि एस. आई. टी. की रिपोर्ट पर दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन करने के उद्देश्य से भरोसा नहीं किया गया है।

श्री नरूला को एस. आई. टी. की रिपोर्ट पर केवल इसी आधार पर विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले जाने की अनुमति है।

आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है। है।”

(154) यह भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय में अपील में या अन्यथा, यह एक आपराधिक मामले में गंभीर और अचानक उकसावे के वैकल्पिक बचाव का अनुरोध करने के लिए खुला है।यह गंभीर और अचानक उकसावा संभवतः राम कुमार कल्याण द्वारा अपने बेटे को श्रामवीर द्वारा मारे जाने के कारण हुआ था और इसलिए उसने पिस्तौल उठाकर श्रामवीर को गोली मार दी थी।इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने माना है कि राम कुमार कल्याण और ओम लता कल्याण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत मामला स्थापित नहीं किया गया है।(155) इन परिस्थितियों में:-

(1) 2014 दाण्डिक अपीलीय सं 922-डी. बी. की अनुमति है।

(2) राम कुमार कल्याण का निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश और सजा दिनांक 09.05.2014/12.05.2014 in

श्री अजय कुमार शारदा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करनाल द्वारा 2013 के सत्र मामला संख्या 838 को खारिज कर दिया जाता है और अपीलकर्ता को उन आरोपों से बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उसे निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है।

(3) अपीलकर्ता राम कुमार कल्याण को में रिहा किया जाएगा।

तत्काल, यदि किसी अन्य अपराध में इसकी आवश्यकता नहीं है।(4) जुर्माने का भुगतान करने पर उसे वापस कर दिया जाएगा।

(5) 2015 की आपराधिक अपील-ए. डी.-12 खारिज कर दी गई है।

संजीव शर्मा, संपादक

अस्वीकरण– स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णयों का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निस्पादन और उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुभाष चन्द्र